C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXIV, Tenth Session, 2012/1934 (Saka)
No. 19, Monday, April 30, 2012/ Vaisakha 10, 1934 (Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 341and 342	3-56
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 343 to 360	57-104
Unstarred Question Nos. 3911 to 4140	105-521

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member

PAPERS LAID ON THE TABLE **522-533**

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
&
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA **534**

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
34th and 35th Reports **534**

COMMITTEE ON MEMBERS OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME
Statement **535**

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE
15th Reports **535**

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
100th and 101th Reports **535**

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
161th Reports **536**

ELECTION TO COMMITTEE **536**

STATEMENTS BY MINISTER

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 12th report of the Standing Committee on Coal and Steel on Modernisation and Expansion of Steel Sector pertaining to the Ministry of Steel 537

(i) (b) Status of implemention of the recommendations contained in the 18th report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Steel 538

Shri Beni Prasad Verma

NATIONAL HOUSING BANK (AMENDMENT) BILL,2012 **539**

MATTERS UNDER RULE 377 **540-552**

(i) Need to expedite the Defence Airport project at Minicoy in Lakshadweep Parliamentary Constituency.
Shri Hamdullah Sayeed 540

(ii) Need to take steps to correctly identify starvation deaths and persons living in starvation and provide relief thereon.
Dr. Shashi Tharoor 541

(iii) Need to abolish excise tax, tax collected at Source and reduce customs duty on non-branded gold jewellery.
Dr. Nirmal Khatri 542

(iv) Need to extend tax concessions to mustard oil factories in Bharatpur Parliamentary Constituency, Rajasthan.
Shri Ratan Singh 543

(v) Need to allocate CNG as per Administrative Price Mechanism to Gujarat.
Dr. Kirit Premjibhai Solanki 544

(vi) Need to establish an Agricultural University in Barwani district, Madhya Pradesh.
Shri Makan Singh Solanki 545

(vii) Need to ensure proper packing of cement by the cement companies.
Shri Ganesh Singh 546

(viii) Need to expedite payment of compensation to farmers whose land have been acquired by Indian Air Force in Hanumangarh district, Rajasthan.
Shri Ram Singh Kaswan 547

(ix) Need to stop air and water pollution being caused by cotton mills in Fatehpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.
Shri Rakesh Sachan 548

(x) Need to convert the road between Tetaria Mod to Koiridih in Aurangabad district, Bihar into a pucca road.

Shri Mahabali Singh 549

(xi) Need to take effective steps to check adulteration of food items.

Dr. Ratna De 550

(xii) Need to take up the construction work of Thiruvarur-Thiruthuraipoondi-Pattukottai rail line in Tamil Nadu on priority basis.

Shri A.K.S. Vijayan 551

(xiii) Need to provide adequate power to Bihar from the Central pool.

Shri Jagadanand Singh 552

SUBMISSION BY MEMBERS 560-563

Re: Reservation in promotion for SCs/STs

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2012-2013
Ministry of Urban Development 581-717

Shri Sanjay Nirupam 583-594

Shri Lalji Tandon 597-603

Shri R. Thamaraiselvan 604-606

Shri Prem Chand Guddu 607

Shri Shailendra Kumar 608-612

Shri Vijay Bahadur Singh 613-616

Shri N. Peethambara Kurup 617-619

Shri Jagdish Sharma 620-621

Prof. Sugauta Roy 622-625

Shri Naranbhai Kachhadia	625
Shri Sanjeev Ganesh Naik	627-628
Shri K.Sivakumar *alias* J.K. Ritheesh	629-631
Shri P.K. Biju	632-635
Shri Kalikesh Narayan Singh Deo	636-639
Shri Umashankar Singh	640-641
Shrimati Jyoti Dhurve	642-643
Dr. Charles Dias	644
Shri S. Semmalai	645-647
Shri Deepender Singh Hooda	648-653
Smt. Santosh Chowdhury	654-655
Dr. Rattan Singh Ajnala	656-658
Shri P. Lingam	660-662
Shri Pralhad Joshi	663-667
Shri Mahendrasingh P. Chauhan	668-669
Dr. Arvind Sharma	670-671
Shri Manohar Tirkey	672-673
Shri Mohammed E.T. Basheer	674-675
Shri Udai Pratap Singh	676-677
Shri Dhananjay Singh	678
Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary	679
Shri Mohinder Singh kaypee	680-681
Shri Rajendra Agrawal	682-683
Shri Jai Prakash Agarwal	684-687
Shri S.S. Ramasubbu	688-691
Shri Narayan Singh Amlabe	691-692
Shri Makan Singh Solanki	694-695
Shri Ratan Singh	696-697
Shrimati Darshna Jardosh	698

Shri Mahabal Mishra 699-701
Shrimati Putul Kumari 702-703
Shri Kamal Nath 704-717

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 719
Member-wise Index to Unstarred Questions 720-725

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 726
Ministry-wise Index to Unstarred Question 727

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, April 30, 2012/ Vaisakha 10, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

MADAM SPEAKER: Question Hour; Q. 341.

… (*Interruptions*)

11.0¼ hrs

At this stage, Shri K. Chandrasekhar Rao and Shrimati M. Vijaya Shanthi came and stood on the floor near the Table.

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

11.0 ½ hrs

At this stage Dr. Sanjay Jaiswal, Shrimati Ashwamedh Devi, Shri Kaushalendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

(Interruptions)[*] ...

MADAM SPEAKER: Q. 341, Shrimati Tabassum Hasan – not present.

… (*Interruptions*)

[*] Not recorded

MADAM SPEAKER: Dr. Girija Vyas to ask supplementary.

डॉ. गिरिजा व्यास: माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में चार मिलें बंद हुई हैं, जिसमें एक-एक उदयपुर और ब्यावर में हैं, जहां पर हमारी काफी मशहूर काटन मिल्स थीं। ...(व्यवधान) यूपीए-1 ने उनके सुदृढ़ीकरण का निर्णय भी ले लिया था। ...(व्यवधान) लेकिन एक वर्ष बाद ही उस निर्णय को हटा दिया गया। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप इस मुद्दे को शून्य काल में उठाइएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आपका नोटिस आया है, आप इसे शून्य काल में उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप इस मुद्दे को शून्य काल में उठा लीजिएगा।

...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : महोदया, हम लोग सदन का बॉयकाट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

11.03hrs.

Dr. Sanjay Jaiswal, Shrimati Ashwamedh Devi, Shri Kaushalendra Kumar and some other hon. Members then left the House

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद यादव जी, आपने नोटिस दिया है? आप सबसे पहले इसे शून्य काल में उठा लीजिएगा।

Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

डॉ. गिरिजा व्यास: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में चार कॉटन मिलें बंद हुई हैं। उनमें से उदयपुर और ब्यावर की बहुत ही महत्वपूर्ण मिलें थीं। उदयपुर के संबंध में निर्णय लिया गया था कि मिलों का सुदृढीकरण किया जाएगा और उसके आदेश भी हो चुके थे। अचानक उन आदेशों पर यू-टर्न हुए, आदेश कब खारिज हुए, जमीन बेच दी गई, आधी से ज्यादा जमीन औने-पौने दामों पर बिक गई। कुछ लोगों को उकसा कर, कुछ पार्टी विशेष के लोगों ने कुछ लोगों से कहा कि वीआरएस लेना चाहते हैं। आज हालात ये हैं कि उनमें से

90 प्रतिशत लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। उनमें से बहुत से लोगों की मौत हो गई है और उनकी विधवाओं को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इन कॉटन मिलों के संबंध में और विशेषकर उदयपुर कॉटन मिल के संबंध में पूर्व में सरकार ने सुदृढ़ीकरण का जो फैसला किया था, उसके लिए क्या कार्रवाई की गई है? आज भी जमीन है, आज भी मिल मौजूद है। क्या उस मिल को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है?

दूसरा, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जो लोग सफर कर रहे हैं, उनके लिए सरकार की क्या योजना है।

श्री आनन्द शर्मा: महोदया, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है, उसे मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि उदयपुर टेक्सटाइल मिल नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के तहत है और उस पर विचार किया जा रहा है कि उसे किस प्रकार से रिवाइव किया जाए। इस पर गंभीरता से सोचा जा रहा है। पूरे देश के अंदर टैक्सटाइल सेक्टर एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा, पिछले तीन वर्षों में देश के अंदर 150 मिलें बंद हो गयीं।...(व्यवधान) सरकार ने इस पूरे सेक्टर की रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान बनाया है।...(व्यवधान) एनटीसी में जो हमारी मिल्स हैं, 119 मिल्स में 78 मिलें बंद हो गयी थीं। इनको रिवाइव करने के लिए हमने एक नीति बनायी। इनमें से 40 मिल्स को हमने पहले चरण में रिवाइव कर दिया है और अगले चरण में यानी दूसरे चरण में 18 मिल्स को रिवाइव किया जायेगा तो 58 मिल्स रिवाइव की जा रही हैं।...(व्यवधान) जो माननीया गिरिजा व्यास जी ने कहा है, उदयपुर के बारे में इसमें विचारगत है और माननीय सदस्या से बात करके, टीम भेजकर जो भी संभव हो पायेगा प्रयास किया जायेगा।...(व्यवधान)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: महोदया, हम सब जानते हैं कि कपास का प्रयोग देश की वस्त्र मिलों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, लेकिन आज देश के कपास उत्पादक किसानों की हालत उचित दाम न मिलने पर दयाजनक है।...(व्यवधान) कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 900 रूपये प्रति 20 किलो की दर से कपास नहीं खरीदा जा रहा है।...(व्यवधान) बीज, बिजली, पानी, उर्वरक इत्यादि महंगे हो जाने के कारण किसान हैरान-परेशान हैं। मेरे गृह राज्य गुजरात में किसान आन्दोलन पर उतर आये हैं। उनको समर्थन देने से पुलिस द्वारा मेरी भी धरपकड़ हुई थी।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सी.सी.आई. केन्द्रों के जरिये 900 रूपये प्रति 20 किलो की दर से कब कपास की खरीदी की जायेगी?...(व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा : महोदया, माननीय चौहाण जी ने जो कहा, यह सही है, विशेष तौर से सौराष्ट्र में गुजरात में यह एक समस्या है। ...(व्यवधान) देश में जो कपास मंडियों में आता है, महोदया, हालांकि यह प्रश्न कपास से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि इस स्थिति को देखते हुए, गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जिसका काम केवल एम.एस.पी. ऑपरेशंस करना है, उसे कामर्शियल ऑपरेशन करने के लिए कहा है ताकि वहां पर बाजार स्थिर रहें और किसानों के हित की रक्षा हो।...(व्यवधान) कॉटन कार्पोरेशन पूरे देश में जहां किसी मंडी में जरूरत है, वह वहां हस्तक्षेप कर रही है, वहां खरीद रही है। मुझे माननीय सदस्य से यह कहना है कि जो कोई भी ऑक्सन होती है, कॉटन कार्पोरेशन या कोई भी पीएसयू मंडी का भाव तय नहीं कर सकता है, मंडी के भाव पर खरीद सकते हैं।...(व्यवधान) जहां तक आपने एम.एस.पी. का प्रश्न किया, एम.एस.पी. को कृषि मंत्रालय बताता है, उस पर पूरा विचार करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने कृषि मंत्री जी को एक प्रस्तावना की है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पुनर्विचार किया जाये और इसे बढ़ाया जाये। वह प्रस्तावना सरकार के ध्यान में है।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्योंकि यह मिल मजदूरों का मामला है और आज पूरे देश में मिल मजदूर संकट से गुजर रहे हैं।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में तीन साल में आपने 12 मिलों का हवाला दिया है, जो बंद हैं। मऊ जनपद जो बुनकर बाहुल्य इलाका है, जहां ...(व्यवधान) प्रधा कॉटन मिल और स्वदेशी कॉटन मिल, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के जमाने में स्थापित की गयी थीं, आज काफी अरसे से बंद हैं।...(व्यवधान) सारे मजदूर पलायन कर रहे हैं और उन मजदूरों को न कोई कम्पनसेशन दिया गया और न ही कोई वीआरएस की सुविधा दी गयी। आपकी एक योजना जो है, टीडब्ल्यूआरएफएस इसके अन्तर्गत अगर निजी क्षेत्र में कोई कॉटन मिल बंद होती है तो उसके परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए कामगारों को हम कहीं न कहीं स्थापित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मऊ में जो स्वदेशी कॉटन मिल और...(व्यवधान) प्रधा कॉटन मिल जो बंद हैं, अधिकारियों की मिलीभगत से वहां की सारी मशीनें और वहां का सारा सामान मनमाने तरीके से बेचा जा रहा है।...(व्यवधान) मजदूरों को बाहर कर दिया गया है, उनके सामने रोजी-रोजी का संकट पैदा हो गया है। क्या माननीय मंत्री जी पुनः मिल को चालू करने की व्यवस्था करेंगे अथवा जिनका पिछले कई सालों से बकाया है, उनके बकाये का भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।...(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री आनन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उस पर सरकार पूरा विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन यूपी लिमिटेड, 1974 में स्थापित हुई थी। इसमें 11 मिल्स हैं। इनमें से पाँच का पहले राष्ट्रीयकरण हुआ और कुल मिलाकर 11 मिल्स हैं जिसमें स्वदेशी कॉटन मिल, कानपुर भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में तीन मिलों को रिवाइव करने की सरकार की योजना है। मैं इसकी विस्तृत जानकारी दे सकता हूँ। स्वदेशी कॉटन मिल, मऊ का जो मामला है, ...(व्यवधान) मैं वही बता रहा हूँ। वह अभी डिसप्यूट में है। उस पर कानूनी डिसप्यूट चल रहा है। अगर वह डिसप्यूट सैटल हो जाता है, तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। यह हमारे विचाराधीन है। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए क्योंकि यह मज़दूरों का मामला है। ...(व्यवधान)

श्री आनन्द शर्मा : आपकी बात ठीक है। जहाँ तक मज़दूरों की बात है, जब मिल्स बंद होती हैं तो वह चिन्ता का विषय बनता है। मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि कितनी मिलें बंद हुईं और कितने मज़दूरों ने अपना रोज़गार खोया। इसके लिए टैक्सटाइल वर्कर्स रीहैबिलिटेशन स्कीम है। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि मैंने इस स्कीम की समीक्षा की है। यह स्कीम प्रभावी नहीं है। जब तक बीआईएफआर उसको क्लोज़ डिक्लेयर नहीं करती, तब तक मज़दूर को पैसा नहीं मिलता। इस पर हम तुरंत संशोधन करने जा रहे हैं। मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि यह एक गंभीर विषय है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हैं? आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Tufani Saroj says.

(Interruptions) ...*

श्री तूफ़ानी सरोज : अध्यक्ष महोदया, सरकार ने देश को कपड़ा उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम सरकारी कपड़ा मिलें लगाईं, लेकिन धीरे-धीरे कुप्रबंधन के कारण सारी मिलें बंद होती गईं। आज सरकार कह रही है कि उन बंद मिलों को चालू करने के लिए हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है। इनमें से 11 मिलें उत्तर प्रदेश में बंद हैं। मैं विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अगर मरवाडी कारखाने को माइनस कर दिया जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग धंधे नहीं हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया, मऊ के बारे में मैंने लिखित रूप से माननीय मंत्री जी को पत्र दिया था। मुझे आश्वासन भी

* Not recorded.

दिया गया था कि मऊ की मिल शीघ्र से शीघ्र चालू की जाएगी। अभी माननीय सांसद के प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अदालती मामला है। कोई खास दिक्कत नहीं है। सरकार मऊ की उस मिल को चालू करने के लिए गंभीर नहीं है। यदि सरकार गंभीर हो जाए तो कोर्ट का मामला कोई बड़ी बात नहीं है, वह कोर्ट का मामला निपट सकता है और मऊ की वह मिल खुल सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उक्त मऊ मिल को चालू करने के लिए वह क्या कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं?

श्री आनन्द शर्मा : महोदया, जैसे मैंने कहा, यह अदालत के विचाराधीन है। अदालत अपना निर्णय दे दे तो सरकार इस पर विचार करेगी और यह देखेगी कि क्या यह रिवाइव हो सकती है या नहीं क्योंकि देश के अंदर प्राइवेट मिल्स भी बहुत बंद हुइ हैं और एनटीसी की भी बहुत मिल्स बंद हुई हैं। एनटीसी की 78 मिल्स बंद हुई हैं। एनटीसी की मिलों में से 40 को पहले चरण में रिवाइव किया गया, मॉडर्नाइज़ किया गया, नई टैक्नोलॉजी लाई गई, और 18 को हम दूसरे चरण में रिवाइज़ करेंगे, हम इसको गंभीरता से लेंगे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सरकार उस विषय पर निर्णय ले सकती है जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार अदालत को निर्देश नहीं दे सकती, इसलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

(Q.342)

MADAM SPEAKER: Shri Satpal Maharaj.

श्री सतपाल महाराज: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूरे देश में विशेषकर उत्तराखंड राज्य में ऐसी कितनी जल विद्युत परियोजनाएँ हैं जिन पर करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं और उन पर काम बंद है? इसके क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं का काम पुनः शुरू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? उत्तराखण्ड के श्रीनगर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना का पुनर्निमाण कार्य शुरू करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है और क्या करने जा रही है? इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस पर 90 प्रतिशत पैसा खर्च हो चुका है? मैं आपके माध्यम से यह सब जानना चाहता हूं। धन्यवाद।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ [redacted]। यह क्या हो रहा है? बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ...*

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, the total number of pending power projects… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब दूसरा प्रश्न चल रहा है। इसलिए आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, यह पूरे देश के मिल मजदूरों का मामला है। इसलिए इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर हैं।

---

* Not recorded

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Yes, the hon. Minister, please.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, the total number of power projects, which are pending for environment clearance in the country are 41; and there are roughly 48 power projects, which are pending for forest clearance. Out of those, almost all have been cleared and they are just pending receipt of the environment clearance. The whole process has been cleared; and actually only five are under the active consideration of the Central Government… (*Interruptions*)

The hon. Member asked about the power projects in Uttarakhand. Only one or two projects are pending and they are in the very last stages. About the stage-I projects, the details have been submitted in the Statement that has been placed on the Table of the House. There is only one project, which is pending for stage-II clearance.

Those projects will be disposed of as soon as the stage-II clearance formalities are completed.

अध्यक्ष महोदया : दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

श्री सतपाल महाराज: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि बहुत सी जल विद्युत परियोजनाएं दो-दो, तीन-तीन साल तक बंद रहती हैं और बिना कोई चैंजिस के उसके बाद वे स्वीकृत कर दी जाती हैं और बहुत से निवेशक, जो तीन-तीन साल से पैसा निवेश करके बैठे हैं, इसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्या मंत्री जी यह बताना का कष्ट करेंगे कि उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है?...(व्यवधान)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I totally understand the concern of the hon. Member. However, there are many issues in relation to the River Ganga in other States. Those issues have to be addressed… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए!

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए हैं, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैसीमुथियारी जी, बैठ जाइए। आप लोग भी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोगों को क्या चाहिए? बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Kindly take your seats.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, Mr. Anand Sharma, I think they want some more clarifications on Q. 341. You can call them to your office and explain everything.

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): Okay, Madam. I will do that.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आपको हॉफ एन ऑवर डिसक्शन चाहिए तो आप नोटिस दीजिए। हम करवा देंगे।

…(व्यवधान)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I totally understand the concern of the hon. Member regarding projects, which have been approved and then being held up… (*Interruptions*)

I think the Leader of the Opposition wants to say something.… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहती हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं आपका नाम अभी बुलाती हूं।

…(व्यवधान)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: However, Madam, we have to understand that there are many concerns raised about the flow of the Holy River Ganga, about the purity of the River. These concerns also have to be addressed. So, this is a delicate balance that we are trying to achieve.

The Government is doing its best to address all these concerns. But, of course, the cost and the amount that has been invested where the environment clearance has already been given is a matter of concern; and this is very much in the Government's mind when we take a final decision on these projects.

MADAM SPEAKER: Thank you.

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, हमारे सदन के दो माननीय साथी वेल में बैठकर तेलंगाना का जयघोष कर रहे हैं और प्रश्न काल चल रहा है। यह दृश्य बहुत कष्टदायक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह समस्याओं को टालने की जो इस सरकार की नीति है, उसके कारण यह दृश्य उपस्थित हो रहा है। इसी कारण उस दिन तेलंगाना के आठ सांसदों को यहां से निलम्बित किया गया और आज पिछले बीस मिनट से हमारे ये दोनों साथी यहां बैठकर कह रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दस मिनट के लिए प्रश्न काल स्थगित करके, नेता सदन यहां बैठे हैं, उनसे कहिए कि सरकार स्पष्ट करे कि वह तेलंगाना निर्माण की दिशा में क्या कर रही है? कम से कम यह हमें बता दें। दिनांक 9 दिसम्बर, 2009 को इसी सदन में गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम तेलंगाना निर्माण की दिशा में बढ़ रहे हैं। ढाई सालों से ये लोग और तेलंगाना के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वहां जो लोग उद्वेलित हैं, ये लोग यहां उनके उद्वेलन की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। उस दिन वे कर रहे थे।…(व्यवधान) दस मिनट के लिए नेता सदन खड़े हों और यह बता दें कि तेलंगाना निर्माण की दिशा में सरकार क्या कर रही। …(व्यवधान) मैं इन्हें विश्वास दिलाती हूं कि ये तेलंगाना का बिल लेकर आएं, हम इनका समर्थन करके तेलंगाना का निर्माण कराएंगे। मगर, हमारे साथी यहां बैठे रहें और इस तरह तेलंगाना का जयघोष करते रहें और प्रश्न काल चलता रहे, यह बहुत कष्टदायक दृश्य है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, यह दृश्य बहुत कष्टदायक है। ...(व्यवधान) आप नेता सदन को कहिए वे रिस्पॉन्ड करें और हम अपने साथियों को कहेंगे कि वे अपनी सीटों पर जाएं।...(व्यवधान) तेलंगाना के लोग बहुत उद्वेलित हैं। ये उन्हीं की अभिव्यक्ति करने के लिए यहां बैठे हैं। सरकार रिस्पॉन्ड करें ताकि हम अपने साथियों को कहें कि वे अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : The House stands adjourned to meet again at 12 Noon.

11.22 hrs.

The Lok Sabha then adjoured till Twelve of the Clock

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair***)**

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table. Shri Mallikarjun Kharge.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Financial Estimates and Performance Budget (Hindi and English versions) of the Employees' State Insurance Corporation, New Delhi, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6608/15/12)

(2) A copy of the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2011 (Hindi English versions) published in Notification No. G.S.R. 228(E) in Gazette of India the 23rd March, 2011 under sub-section (3) of Section 37 of the Apprentices Act 1961.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in the Library. See LT No. 6609/15/12)

(4) A copy of the Corrigendum (Hindi and English versions) of the Budget of the Ministry of Labour and Employment for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6610/15/12)

… (*Interruptions*)

12.0 ¼ hrs

At this stage, Shri K. Chandrasekhar Rao and Shrimati M. Vijaya Shanthi came and stood on the floor near the Table.

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ...*

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI G.K. VASAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Cochin Shipyard Limited and the Ministry of Shipping for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6611/15/12)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Gautam Budh Nagar, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Gautam Budh Nagar, for the year 2010-2011.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in the Library. See LT No. 6612/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STEEL (SHRI BENI PRASAD VERMA): I to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the MOIL Limited and the Ministry of Steel for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6613/15/12)

(2) Memorandum of Understanding between the Rashtriya Ispat Nigam Limited and the Ministry of Steel for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6614/15/12)

---

* Not recorded

(3) Memorandum of Understanding between the MSTC Limited and the Ministry of Steel for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6615/15/12)

(4) Memorandum of Understanding between the KIOCL Limited and the Ministry of Steel for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6616/15/12)

(5) Memorandum of Understanding between the Steel Authority of India Limited and the Ministry of Steel for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6617/15/12)

(6) Memorandum of Understanding between the Hindustan Steelworks Construction Limited and the Ministry of Steel for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6618/15/12)

(7) Memorandum of Understanding between the NMDC Limited and the Ministry of Steel for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6619/15/12)

(8) Memorandum of Understanding between the MECON Limited and the Ministry of Steel for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6620/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the

year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in the Library. See LT No. 6621/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the the G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora, for the year 2009-2010.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in the Library. See LT No. 6622/15/12)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bangalore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bangalore, for the year 2010-2011.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in the Library. See LT No. 6623/15/12)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Forest

Management, Bhopal, for the year 2010-2011.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in the Library. See LT No. 6624/15/12)

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(i) The Environment (Protection) (Second Amendment) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R. 266(E) in Gazette of India dated 30th March, 2012.

(ii) The Environment (Protection) Amendment Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R. 152(E) in Gazette of India dated 16th March, 2012.

(Placed in the Library. See LT No. 6625/15/12)

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Sections 12 & 13 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(i) S.O. 1754(E) published in Gazette of India dated the 28th July, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1174(E) dated 18th July, 2007.

(ii) S.O. 264(E) published in Gazette of India dated the 13th February, 2012, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1174(E) dated 18th July, 2007.

(iii) S.O. 2609(E) published in Gazette of India dated the 22nd November, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1174(E) dated 18th July, 2007.

(Placed in the Library. See LT No. 6626/15/12)

… (*Interruptions*)

SHRI K. CHANDRASEKHAR RAO (MAHBUBNAGAR): Let the Government say something. Why is the Government keeping mum?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): On behalf of Shri Jyotiraditya M. Scindia, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the West Bengal Consultancy Organisation Limited, Kolkata, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the West Bengal Consultancy Organisation Limited, Kolkata, for the year 2010-2011 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in the Library. See LT No. 6627/15/12)

(b) (i) Review by the Government of the working of the STCL Limited, Bangalore, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the STCL Limited, Bangalore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (b) of (1) above.

(Placed in the Library. See LT No. 6628/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Entrepreneurship Development Madhya Pradesh, Bhopal, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Entrepreneurship Development Madhya Pradesh, Bhopal, for the year 2010-2011.

(Placed in the Library. See LT No. 6629/15/12)

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the PEC Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6630/15/12)

(ii) Memorandum of Understanding between the State Trading Corporation of India Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6631/15/12)

(iii) Memorandum of Understanding between the India Trade Promotion Organisation and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6632/15/12)

(5) A copy of the Chief Inspectors, Deputy Chief Inspectors and Inspectors (qualification and experience) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 124(E) in Gazette of India dated the 7th March, 2012 under sub-section (2) of Section 28A of the Boilers Act, 1923.

(Placed in the Library. See LT No. 6633/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the NTC Limited and the Ministry of Textiles for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6634/15/12)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 34 of the National Institute of Fashion Technology Act, 2006:-

(i) The National Institute of Fashion Technology for the Post Graduate

Degree, Under Graduate Degree, Diploma and Certificate Programme Ordinance, 2007 published in Notification No. NIFT/DC/06-07/Degree/42 in Gazette of India dated 30th January, 2012.

(ii) The National Institute of Fashion Technology Academic Programmes Ordinances, 2012 published in Notification No. NIFT/DC/06-07/Degree/42 in Gazette of India dated 5th March, 2012.

(iii) The First Statutes of National Institute of Fashion Technology, 2012 published in Notification No. F. No. NIFT/HO/ACT-Statutes/2007-Vol.III in Gazette of India dated 11th April, 2012.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) & (ii) of (2) above.

(Placed in the Library. See LT No. 6635/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in the Library. See LT No. 6636/15/12)

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Mishra Dhatu Nigam Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6637/15/12)

(ii) Memorandum of Understanding between the Hindustan Shipyard Limited and the Ministry of Defence for the year 2012-2013.

(Placed in the Library. See LT No. 6638/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI JITIN PRASADA): I beg to lay on the Table:

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 10 of the National Highways Act, 1956:-

(i) S.O. 1463(E) and S.O. 1464(E) published in Gazette of India dated 27th June, 2011, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 76 (Chittorgarh-Kota-Baran- Rajasthan/Madhya Pradesh Border Section) in the State of Rajasthan.

(ii) S.O. 1203(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2011, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 71 (Rohtak-Bawal Section) in the State of Haryana.

(iii) S.O. 1588(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2011, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 7 (Lakhnadon-Seoni-Madhya Pradesh and Maharashtra Border) in the State of Madhya Pradesh.

(iv) S.O. 1589(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2011, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 28 (Lucknow to Faizabad to Gorakhpur-Uttar Pradesh/Bihar Border Section) in the State of Uttar Pradesh.

(v) S.O. 1679(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2011, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 21 (Kurali-Kiratpur Section) in the State of Punjab.

(vi) S.O. 1680(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2011, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 14 (Dwarka-Rajasthan/Gujarat Border) in the State of Rajasthan.

(vii) S.O. 1681(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2011, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 76 (Pindwara-Udaipur Section) and National Highway No. 14 (Pindwara to Rajasthan/Gujarat Border Section) in the State of Rajasthan.

(viii) S.O. 1849(E) published in Gazette of India dated 8th August, 2011, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 4 (Bangalore-Hoskote-Karnataka/Andhra Pradesh Border Section) in the State of Karnataka.

(ix) S.O. 3045(E) published in Gazette of India dated 24th December, 2010, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 66 (Tamil Nadu/Pondicherry Border- Tindivanam-Thiruvannamalai-Krishnagiri Section) in the State of Tamil Nadu.

(x) S.O. 3059(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2010, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 6 (Nagpur-Kondhali-Talegaon Section) in the State of Maharashtra.

(xi) S.O. 104(E) published in Gazette of India dated 18th January, 2011, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 2 (Delhi/Haryana Border-Haryana/Uttar Pradesh Border Section) (Haryana/Uttar Pradesh Border-Kanpur Section) in the State of Haryana.

(xii) S.O. 2852(E) published in Gazette of India dated 26th November, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2331(E) dated 22nd September, 2010.

(xiii) S.O. 2794(E) published in Gazette of India dated 16th November, 2010,

regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 2 (Uttar Pradesh/Bihar Border to Barwa Adda Section) in the State of Bihar.

(xiv) S.O. 2764(E) published in Gazette of India dated 10th November, 2010, regarding collection of user fee in respect of National Highway No. 8A (Bamanbore to Samakhiyali to Gandhidham Section) in the State of Gujarat.

(xv) S.O. 940(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 5 in the State of Punjab.

(xvi) S.O. 986(E) published in Gazette of India dated 4th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 21 (Kurali-Kiratpur Section) in the State of Punjab.

(xvii) S.O. 1556(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, authorising the Land Acquisition Officer, NHAI, Bilaspur, Himachal Pradesh, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 21 (Bilaspur-Ner Chowk Section) in the State of Himachal Pradesh.

(xviii) S.O. 1574(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1713(E) dated 13th July, 2009.

(xix) S.O. 1317(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. NE-II (Eastern Peripheral Expressway) (Sonepat Section) in the State of Haryana.

(xx) S.O. 1138(E) published in Gazette of India dated 20th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 10 (Bahadurgarh-Rohtak Section) in the State of Haryana.

(xxi) S.O. 968(E) published in Gazette of India dated 3rd May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 73 (Yamunanagar-Panchkula Section) in the State of Haryana.

(xxii) S.O. 1561(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24 (Bareilly-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxiii) S.O. 1555(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 91 (Ghaziabad-Aligarh Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxiv) S.O. 1553(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 985(E) dated 4th May, 2011.

(xxv) S.O. 1360(E) and S.O. 1361(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 231 (Raibareilly-Jaunpur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxvi) S.O. 1550(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, authorising the Land Acquisition Officer, District Bilaspur, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 21 (Ner Chowk-Manali Section) in the State of Himachal Pradesh.

(Placed in the Library. See LT No. 6639/15/12)

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI MUKUL WASNIK): On behalf of Shri D. Napoleon, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of

the Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in the Library. See LT No. 6640/15/12)

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in the Library. See LT No. 6641/15/12)

… (*Interruptions*)

12.02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Central Education Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th April, 2012."

I lay on the table the Central Education Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012, as passed by Rajya Sabha on the 27th April, 2012.

… (*Interruptions*)

12.02¼ hrs.

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

34th and 35th Reports

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, में कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:--

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में चौतीसवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में पैंतीसवां प्रतिवेदन।

---

* Laid on the Table

12.02½ hrs

COMMITTEE ON MEMBERS OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (LOK SABHA)
Statement

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I beg to lay the Statement (Hindi and English versions) on Final Action Taken Replies of the Ministry of Statistics and Programme Implementation on the recommendations contained in Chapters I and V of the Sixth Report (15th Lok Sabha) of the Committee on MPLADS (Lok Sabha) regarding action taken by the Government on the recommendations contained in the Third Report of the Committee on the subject "Providing MPLADS funds to acquire ambulance by reputed service organizations like Red Cross, etc.".

… (*Interruptions*)

12.02 ¾ hrs.

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE
15th Report

SHRI SATPAL MAHARAJ (GARHWAL): I beg to present the Fifteenth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Defence on `Demands for Grants 2012-13' of the Ministry of Defence.

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
100th and 101st Reports

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce:-

(1) 100th Report on Demands for Grants (2012-13) of the Department of

Commerce (Ministry of Commerce and Industry).

(2) 101st Report on Demands for Grants (2012-13) of the Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industry).

… (*Interruptions*)

12.03 ½hrs

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS

161th Report

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): अध्यक्ष महोदया, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 161वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.04 hrs

ELECTION TO COMMITTEE
Agricultural and Processed Food Products Export Dvelopment Authority

MADAM SPEAKER: Shri Anand Sharma.

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): On behalf of Shri Jyotiraditya M. Scindia, I beg to move:

> "That in pursuance of clause (d) of sub-section (4) of section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, subject to the other provisions of the said Act."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (d) of sub-section (4) of section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985, the members of this House do proceed to elect,

in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

12.05 hrs

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 12th report of the Standing Committee on Coal and Steel on Modernisation and Expansion of Steel Sector pertaining to the Ministry of Steel*

THE MINISTER OF STEEL (SHRI BENI PRASAD VERMA): Madam, I beg to lay the statement on status of implementation of the recommendations contained in the Twelfth Report of the Standing Committee on Coal and Steel (Fifteenth Lok Sabha) in pursuance of the Direction 73-A of the hon. Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin - Part II dated the 1st September, 2004.

The aforesaid Twelfth Report was presented to the Lok Sabha and laid in Rajya Sabha on the 24th February, 2011. The Report relates to the "Modernisation and Expansion of Steel Sector" of the Ministry of Steel.

The Committee in the said Report has made a total of fifteen recommendations on aims, objectives and achievements of the Ministry indicating where action is called for on the part of the Government.

The Action Taken Statement on the recommendations/observations contained in the Report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Coal and Steel on 23rd May, 2011.

The present status of implementation of various recommendations made by the Committee is indicated in the annexure of the Statement, which is hereby laid on the table of the Lok Sabha. I would not like to take the valuable time of the House in reading out all the contents given in the Annexure which is laid on the Table. I would request that this may be considered as read in the House.

---

* Laid on the Table and also placed in Library. See LT No. 6642/15/12

12.05½ hrs

(i) (b) Status of implemention of the recommendations contained in the 18th report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Steel*

THE MINISTER OF STEEL (SHRI BENI PRASAD VERMA): Madam, I beg to lay the statement on the status of implementation of the recommendations contained in the Eighteenth Report of the Standing Committee on Coal and Steel (Fifteenth Lok Sabha) in pursuance of the Direction 73-A of the Hon. Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin - Part II dated the 1st September, 2004.

The aforesaid Eighteenth Report was presented to the Lok Sabha and laid in Rajya Sabha on the 29th August, 2011. The Report relates to the examination of Demands for Grants of the Ministry of Steel for the year 2011-2012.

The Committee in the said Report has made a total of twenty recommendations on aims, objectives and achievements of the Ministry and where action is called for on the part of the Government.

The Action Taken Statement on the recommendations/observations contained in the Report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Coal and Steel on 8th February, 2012.

The present status of implementation of various recommendations made by the Committee is indicated in the annexure of the Statement, which is hereby laid on the table of the Lok Sabha. I would not like to take the valuable time of the House in reading out all the contents given in the Annexure which is laid on the Table. I would request that this may be considered as read in the House.

———

* Laid on the Table and also placed in Library. See LT No. 6643/15/12

12.05 ¾ hrs

NATIONAL HOUSING BANK (AMENDMENT) BILL, 2012*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Housing Bank Act, 1987.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Housing Bank Act, 1987. "

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 30.04.12

** Introduced with the recommendation of the President.

12.06 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

(i): Need to expedite the Defence Airport project at Minicoy in Lakshadweep Parliamentary Constituency

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP):The geography and location of the Lakshadweep Islands has contributed considerably towards its vulnerability. The Lakshadweep Islands have been witnessing acts of piracy and trespassing within its vicinity for quite some time. The susceptibility of the Lakshadweep Islands to the activities of non-state actors was correctly highlighted following the Mumbai attack in November, 2008. The increasing incidents of piracy in and around the Islands have added a whole new dimension to threat perceptions.

Piracy has become a major cause of concern for the Indian security establishment. Keeping this in mind, the Government of India is augmenting the security of the Island territory. Hon'ble Defence Minister had agreed for an Air Strip (Defence Airport) at Minicoy to meet any emergency. But the implementation seems to be extremely slow in regard to land acquisition for the project, compensation to the land owners and commencement of construction by the Defence personnel.

Therefore, I request and urge the Government following a spurt in piracy attempts and in view of the threat to the Sea Lines of Communications in general and to the Lakshadweep Islands in particular, the project of Defence Airport at Minicoy be given to most priority.

---

* Treated as laid on the Table

(ii) Need to take steps to correctly identify starvation deaths and persons living in starvation and provide relief thereon

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): The number of starvation deaths reported in the country in the past few years is nil. Nevertheless, regional media frequently reports starvation deaths. The Government should ensure that starvation deaths are recorded as they are and not as deaths due to other causes. Across the country, starvation deaths are being recorded by government officials as deaths due to tuberculosis, alcoholism or other hunger-related diseases. This practice window- dresses the number of starvation deaths and leads to a misdirection of government programs aimed at combating starvation. Several schemes are present to check malnutrition and combat hunger. The proposed food security Act also directs the State Governments to identify people living in starvation. Then why is there a need to hide starvation deaths. Proper identification only can lead to requisite steps being taken to better the situation. Recording them as deaths due to other causes just makes the fight against hunger futile.

The population in the habitat where a starvation death happens is the one that is in dire need of relief. The failure to correctly report starvation deaths takes our attention away from the population in need, throwing them deeper into the abyss. The misreporting is severely detrimental to our quest for food-security.

I urge the Government to take steps to correctly identify starvation deaths and persons living in starvation and provide more effective relief to them.

(iii) Need to abolish excise tax, Tax collected at Source and reduce customs duty on non-branded gold jewellery

डॉ.निर्मल खत्री (फैजाबाद): इस बार प्रस्तुत बजट (वर्ष 2012) में सर्राफा व्यवसाय के कई स्तरों पर कर आरोपित किये गये हैं, जिसको लेकर सर्राफा व्यवसाय से जुड़े कारीगरों व व्यापारियों में आक्रोश है। यह लोग एक लंबे समय तक हड़ताल पर भी रहे। सैंकड़ों वर्षो से भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों विशेषतया पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों के लाखों कारीगर स्वर्ण आभूषण निर्माण के कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए हैं, जो इनके जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा है। कर की जटिलताओं के चलते इनके कामकाज बाधित होंगे और इनके समक्ष रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जायेगा।

प्रस्तावित नई व्यवस्था से स्मगलिंग जैसी देश समाज विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो सर्राफा व्यवसाय एवं देश के लिए अहितकारी है। साथ ही एक्साइज डयूटी के दायरे में लाकर सरकारी सर्राफा व्यवसायियों को विभागीय शोषण का अवसर देगी जिससे राजस्व की प्राप्ति तो कम होगी लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

भारतवर्ष में स्वर्ण एवं चांदी के आभूषणों को जहां एक ओर देशी संस्कृति में महिलाओं के सुहाग एवं सौन्दर्य का पूरक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसको चल सम्पत्ति के रूप में भी आवश्यकता पड़ने पर इसको बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी किया जा सकता है। ऐसी आवश्यक वस्तु पर इतना कर लगाकर आम महिलाओं से इससे दूर रखना देश की महिलाओं के लिए हितकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए लाखों सर्राफा व्यवसायियों, स्वर्ण आभूषण कुटीर उद्योग से जुड़े कारीगरों एवं जनता को ध्यान में रखकर नान ब्राण्डेड ज्वैलर्स पर एक्साइज टैक्स को हटाया जाए, टीसीएस को समाप्त किया जाए तथा कस्टम ड्यूटी घटायी जाये।

(iv) Need to extend tax concessions to mustard oil factories in Bharatpur Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री रतन सिंह (भरतपुर): श्री रतन सिंह (भरतपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में पूर्व से सरसों के तेल की बहुत फैक्ट्रीज कार्यरत रही हैं। भरतपुर और इससे लगे हुए अलवर, करौली, मथुरा जिले में सरसों की फसल अच्छी गुणवत्ता एवं बहुतायत होती है जिसके कारण भरतपुर में सरसों के तेल की बहुत फैक्ट्रीज कार्यरत थी तथा सरसों के तेल की आपूर्ति अन्य राज्यों को भी करती रही है। सरसों की फसल के उत्पादन से यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति अन्य क्षेत्रों की तुलना में अच्छी रही है। वर्तमान में तेल मिलों पर करों की भरमार हुई है जिससे यहां पर कार्यरत सरसों के तेल की मिल्स धीरे धीरे कम होती जा रही है। कई फैक्ट्रीज तो बंद हो गयी हैं। किसानों को मिलने वाली आय और रोजगार की हानि हो रही है। मानव जीवन में सरसों का महत्व लाभप्रद तेल होने के कारण प्रतिदिन बढ़ रहा है। अतः मांग के अनुरूप आपूर्ति करनी चाहिए।जो फैक्ट्रीज बंद हो गयी हैं उन्हें चालू कराने के लिए अनुदान और करों में रियायत का लाभ दिलाना चाहिए जिससे किसान अधिक से अधिक सरसों जैसी व्यापारिक फसलों का उत्पादन कर आर्थिक स्थिति को सुधार सके। सरसों उत्पादन में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता अन्य फसलों की तुलना में कम होती है जिससे भू-गर्भीय एवं सतही जल की सिंचाई की तुलना में पानी की बहुत बचत होगी जो वर्तमान की आवश्यकता भी है। कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में सरसों के तेल उत्पादन की फैक्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाये और बंद फैक्ट्रीज को शीघ्र कार्यरत कराया जाये।

(v) Need to allocate CNG as per Administrative Price Mechanism to Gujarat

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I humbly invite the immediate attention of the Ministry of Petroleum and Natural Gas towards the need to address the high price of CNG in Ahmedabad, as compared to other major cities. Based on the active advice of Bhurelal Committee appointed by Hon'ble Supreme Court, Government of Gujarat introduced CNG in motor vehicles in Ahmedabad in the State. Since then, the consumption of CNG is increasing rapidly in Gujarat. However, prices of CNG in Gujarat are higher as compared to Delhi, Mumbai and other cities. The current price of CNG in Ahmedabad is 45.25 Rs/Kg, while in Delhi the price is 35.45 Rs/Kg. The prices in Delhi and Mumbai are competitive due to the APM (administered price mechanism). As the State Government of Gujarat is keen to promote CNG usage, it has requested Union Government to allocate adequate quantity of CNG as per APM to Gujarat. It is a legitimate demand of Gujarat. Hence, I request the Government to allocate CNG as per the APM at the earliest.

(vi) Need to establish an Agricultural University in Barwani district, Madhya Pradesh

श्री मकनसिंह सोलंकी (खरगौन): सादर अभिवान सहित निवेदन है कि म.प्र. का खरगौन संसदीय क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। भारत के राष्ट्रपति महामहिम ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी द्वारा म.प्र. के बडवानी जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। अधिसूचित क्षेत्र का विकास शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। लेकिन आजादी के 64 वर्ष बाद भी खरगोन बडवानी जिले बहुआयामी विकास से कोसों दूर है। यहां की 80 प्रतिशत जनता कृषि आधारित जीवनयापन करती है। ऐसे में क्षेत्र के विकास के लिए रेल, उद्योग, शिक्षा के लिए बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा लगातार रेल सेवा की मांग की जा रही है जिसको अभी तक शासन द्वारा उचित गति नहीं मिल पाई है।

क्षेत्र की जनता की ओर से विनम्र निवेदन प्रस्तुत करता हूं कि बडवानी जिला कृषि प्रधान होते हुए भी यहां पर कृषि महाविद्यालय की लगातार आवश्यकता महसूस की जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की आवश्यकता को महसूस करते हुए बडवानी जिले की आदिवासी जनता की मांग को पूर्ण करते हुए आप कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए।

जिला बड़वानी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना निम्न कारणों से अति आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण है।

1. संपूर्ण निमाड कृषि प्रधान क्षेत्र है तथा यहां की भूमि उपजाऊ व कृषक अत्यंत परिश्रमी है।

2. क्षेत्र में रोजगार के लिए कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रमुख उद्योग नहीं है।

3. इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना एवं जिले में निर्माणाधीन भीनानायक लोअर गोई परियोजना के कारण सिंचित क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है।

4. आदिवासी विद्यार्थियों में शिक्षा का प्रतिशत कुशल नेतृत्व में निरंतर बढ़ रहा है।

5. बडवानी में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हो चुकी है। किन्तु स्नातक स्तर पर धार, खरगोंन, झाबुआ, बड़वानी आदि में कृषि विषय पर अध्ययन की व्यवस्था नहीं है।

6. जिले में 80 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि व्यवसाय से जुडे हैं जिसमें आदिवासी समुदाय के लोगों की संख्या बहुत अधिक है।

7. परम्परागत कृषि की जगह वैज्ञानिक तरीके से खेती होने से उत्पादन बढ़ेगा।

8. सिलावद क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है

(vii) Need to ensure proper packing of cement by the cement companies

श्री गणेश सिंह (सतना): श्री गणेश सिंह (सतना) मैं भारत सरकार का ध्यान सीमेंट की खरीदी करने वाले उपभोक्ताओं के साथ हो रहे अन्याय की ओर दिलाना चाहता हूं। सीमेंट कंपनियां जिस बैग में सीमेंट पैक करके बाजार में भेजते हैं उस बोरी से सीमेंट बाहर निकलती रहती है और उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते उसमें सीमेंट कम हो जाती है जबकि उपभोक्ता से पूरा पैसा लिया जाता है यह उचित नहीं है उसके अलावा पर्यावरण भी प्रभावित होता है।

मेरी सरकार से मांग है कि देश की सभी सीमेंट उत्पादक कंपनियों को निर्देश दिया जाए कि वे जो सीमेंट बैग उपयोग करते हैं उसमें सुधार करें ताकि सीमेंट बैग से बाहर जो सीमेंट गिरती रहती है उस पर रोक लगाई जा सके।

(viii) Need to expedite payment of compensation to farmers whose land have been acquired by Indian Air Force in Hanumangarh district, Rajasthan

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): भारतीय वायु सेना के द्वारा एयर टू ग्राउण्ड फायरिंग रेंज, ठुकराना के लिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील के ग्राम मोटेर, धांधुसर, बनासर व घिरसर, बांगासर की 47299 बीघा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पिछले बीस वर्षो से चल रही है। राजस्थान सरकार द्वारा भी इसके लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 1997 से विचाराधीन है, 12 वर्ष पश्चात भी भूमि एयरफोर्स को हस्तांतरित नहीं की गई है, भूमि अधिग्रहण की राशि भी भूमालिकों को प्रदान नहीं की गई है। एयरफोर्स सूरतगढ़ को 187.31 करोड़ रूपया अवार्ड राशि जमा कराने के लिए कहा गया है। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण मुआवजा का प्रकरण रक्षा मंत्रालय के पास विचाराधीन है। उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के कारण उक्त गांवों के किसानों के समक्ष विकट संकट पैदा हो गया है। उक्त गांवों के विकास कार्य बंद हैं, वे अपनी जमीन पर सुधारात्मक कार्य भी नहीं करवा पा रहे हैं। इस क्षेत्र के ग्रामवासी, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मोटेर व जनप्रतिनिधि काफी समय से इस समस्या के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रक्षा मंत्री महोदय को पत्र लिखा है। किसान दिक्कत में हैं फिर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर भू मालिकों को अविलम्ब बाजार दर पर मुआवजा राशि प्रदान करते हुए इस प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

(ix) Need to stop air and water pollution being caused by cotton mills in Fatehpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर में ब्लाक मलवां, सौरा व छिवली में काटन मिल्स के तीन प्लांट लगे हैं और वह हर प्रकार से पर्यावरण की खुले आम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मिल्स के केमिकल युक्त पानी को फिल्टर न कर के फैक्टरी के बोर होलों में सीधे डाला जा रहा है और शेष दूषित पानी को खुले स्थानों में बहा दिया जाता है। यह दूषित पानी खेती योग्य भूमि के पास में भरा रहता है जिससे सैंकड़ों एकड़ खेती बंजर हो गई है। इस दूषित पानी के खुले में भरे होने से जानवर पानी पीकर बीमार हो रहे हैं साथ ही मच्छरों का भी प्रकोप ज्यादा हो रहा है जिससे अनेक बीमारियां पैदा हो गई हैं। इसके साथ ही इन मिल्स के प्लांट के आसपास के गांवों का पेयजल दूषित हो गया है जिस कारण से पेयजल की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इन मिल्स में धान की भूसी को वायलर में जलाया जा रहा है जिससे पूरे क्षेत्र का पर्यावरण दूषित हो गया है। चिमनी से निकलने वाले धुएं में ये कण हवा में उड़ कर वायु को प्रदूषित कर रहे हैं जिससे इस क्षेत्र के दर्जनों गांवों (सौरा, बरौरा, चक्कीनाका, मदारीपुर मलवां छिवली) आदि में रहने वाले लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं और वह खुले स्थान में सोना भी दूभर हो गया है। साथ ही वातावरण में दूषित कणों के होने से क्षेत्र के सैंकड़ों लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं।

अतः आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की उक्त काटन मिल्स द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को देखते हुए इसे रोकने की दिशा में उचित कदम उठाये जाएं साथ ही इस मिल्स के प्लांटों के आसपास के प्रदूषित क्षेत्रों के जिन किसानों की खेती योग्य भूमि बंजर हुई है और जो लोग बीमारी के शिकार हुए हैं उन्हें मिल्स प्रबंधकों से मुआवजा भी दिलाया जाये।

(x) Need to convert the road between Tetaria Mod to Koiridih in Aurangabad district, Bihar into a pucca road

श्री महाबली सिंह (काराकाट): मुझे माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान नक्सल प्रभावित क्षेत्र सासाराम एवं औरंगाबाद की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि यह क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित है एवं आये दिन घटनाएं घटती रहती हैं जिससे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। खास कर औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड में घटनाएं ज्यादा घटती हैं। इसी प्रखंड के तेतरिया मोड से कोइरीडीह तक 6 कि.मी. का रास्ता काफी खराब स्थिति में है जहां पर उग्रवाद जैसी अप्रिय वारदातें होती रहती हैं।

अतः इस 6 कि.मी. रोड़ को नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास की योजना के तहत पथ का पक्कीकरण कराने का कष्ट करें जिससे नक्सली गतिविधि में कमी आये।

(xi) Need to take effective steps to check adulteration of food items.

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Adulteration of food items has become a major menace. Now, even in tooth paste, ice-creams, we find adulteration. This is a very dangerous trend.

We have the Prevention of Food Adulteration Act but prosecution and convictions are not effective. Stringent measures should be taken against those found guilty of adulteration of food items. Law should take its course and it should take swiftly. Adulteration of food items should be made a non-bailable offence.

No doubt, several steps have been undertaken by the Government to check adulteration. The Government has come up with a new authority called the Food Safety and Standards Authority of India. But cases of adulteration have not stopped. In fact, adulteration incidents have increased. Nothing concrete has come up from the Government till now to stop adulteration of food items. And we could see adulteration going on under our very nose and we have become hapless and helpless victims unable to check it.

I would like to urge very strongly, with the Government to keep strict vigil on the quality of food items, including ice-creams, and tooth paste and other essential items and safety of consumers should be kept paramount and stringent punishment should be meted out to those who indulge in this heinous crime of adulteration in food items, ice-creams, tooth paste, etc.

(xii) Need to take up the construction work of Thiruvarur-Thiruthuraipoondi-Pattukottai rail line in Tamil Nadu on priority basis

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Railways about one of the most important pending proposal in respect of Nagapattinam, Tamil Nadu.

The gauge conversion of Thiruvarur-Thiruthuraipoondi-Pattukottai segment of Thiruvarur- Karaikudi has been left out in the budget, 2012-13. This segment ends at Thiruvarur which has already been converted into broadgauge. On Thiruvarur-Thiruthuraipoondi-Pattukottai line lies the very famous 800 years old Dargah at Muthupettai, which attracts pilgrims from all over the country. Moreover this area is one of the salt producing areas of the county. I have raised this issue in the Parliament on several occasions during the last 10 years. I have also written so many letters to different Railway Ministers in this regard but the demand still remains unaddressed.

The Railways are going to take up the work of Karaikudi-Pattukottai line first, which is gross injustice to the people of my Parliamentary Constituency. Starting first the Karaikudi-Pattukottai line is like laying steps on a hill from top to bottom whereas it is prudent to start the work from bottom to top from engineering point of view. I, therefore, request the Ministry of Railways to start first Thiruvarur-Thiruthuraipoondi- Pattukottai line instead of the present proposal of starting first the Karaikudi-Pattukottai gauge conversion work. This is relevant if Thiruvarur-Thiruthuraipoondi-Pattukottai line is completed, which is of approximately 70 kms. only.

Hence, I urge upon the Railway Minister to take up the work on Thiruvarur-Thiruthuraipoondi-Pattukottai line on top priority basis so that the people of these areas can be benefited to a great extent.

(xiii): Need to provide adequate power to Bihar from the Central pool

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): बिहार प्रदेश का आम आदमी विद्युत की कमी से लाचार एवं बेबस होता जा रहा है। बिजली विकास की मूल आवश्यकता है। इसके अभाव में खेती, पढ़ाई, उद्योग-धंधे सभी पर प्रभाव पड़ रहा है। बिहार प्रदेश के पास अपना उत्पादन शून्य है। विद्युत खपत के लिए पूरी तरह से केन्द्रीय आबंटन पर निर्भर बिहार आवश्यक एवं न्यायपूर्ण बिजली की आपूर्ति से वंचित है।

पूर्वी परिक्षेत्र में विद्युत उत्पादन खपत से अधिक होने पर भी बिहार को बिजली न देकर पूर्वी क्षेत्र से बाहर दक्षिणी-उत्तरी एवं पश्चिमी इलाके को पावरग्रिड के माध्यम से बिजली दी जाती है। जबकि उत्पादन के घटने का कारण देकर बिहार प्रदेश के लिए आबंटित बिजली में कटौती कर दी जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादन एवं खपत के अंतर को पाटने के लिए ही केन्द्रीय परिक्षेत्र के उत्पादन को राष्ट्रीय पावरग्रिड के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। बिहार प्रदेश को आबंटित बिजली एवं खपतमें 30 प्रतिशत के आसपास अंतर है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अंतर 6 प्रतिशत है। ऐसी हालत में बिहार के साथ न्याय हो सके, राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत उपलब्धता में से और अधिक बिजली बिहार को देना न्यायोचित होगा और वह भी तब जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिव्यक्ति खपत से बिहार में प्रतिव्यक्ति खपत अत्यधिक कम है।

MADAM SPEAKER: Now 'Zero Hour' - Shri Sharad Yadav.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): चन्द्रशेखर राव जी, आपकी जो समस्या है, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसके पांच मिनट बाद आप इसे कर लीजिए। सरकार को भी इनकी बात का जवाब दे देना चाहिए।

अध्यक्षा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश में जो उत्पादन है, वह पिछले तीन वर्ष से हिन्दुस्तान के किसान को छोड़कर देश में हर चीज़ का उत्पादन ठप्प हो गया है, इण्डस्ट्रियल स्लो डाउन हो गया, जी.डी.पी. नीचे चली गई, लेकिन इस बार जो रिकार्ड उत्पादन हुआ है, वह 10.34 करोड़ टन पैडी का हुआ है, गेहूं का 9.02 करोड़ टन हुआ है और दाल का 1.70 लाख टन हुआ है यानि देश में इस बार बम्पर क्रॉप है। देश में जो आपका स्टाक है, वह 52 लाख टन अभी है और इस देश में जो फसल आने वाली है, वह 770 लाख टन आने वाली है। अब आप बताइये कि अभी जो अनाज रखा हुआ है और जो फसल आई हुई है, उसकी खरीद के लिए कहीं भी कोई चीज़ भी हुई? खरीद के मामले में सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं, अनाज बाहर सड़ रहा है और आज ऐसी स्थिति है कि आप रास्तों में जहां गेहूं के इलाके हैं, पंजाब त्राहिमाम है, मध्य प्रदेश त्राहिमाम है, उत्तर प्रदेश त्राहिमाम है और बिहार त्राहिमाम है। सारे देश में गेहूं का उत्पादन वाले किसान सबसे ज्यादा मेहनत करके फसल पैदा करते हैं। इस देश में कोई दूसरा नहीं है, जो तीन वर्ष से ऐसा इस देश में काम कर रहा है, हिन्दुस्तान का किसान ज्यादा काम कर रहा है।

12.09 hrs

At this stage, Shri K. Chandrasekhar Rao and Shrimati M. Vijaya Shanthi went back to their seats

आज पूरा देश आपसे कहना चाहता है कि एक दूसरे पर आप जिम्मेदारी मत टालिये, आप यहां तत्काल वार रूम खोलिये। आज देश भर में सरकारी खरीद की दिक्कत है, बोरियां नहीं हैं। आपका कहीं भी मार्केट ठीक काम नहीं कर रहा है। पंजाब में आपका मार्केट ठीक काम कर रहा है, प्रिक्योरमेंट ठीक काम कर रहा है, लेकिन वे उसे कहां रखें, वे कहां जायें, अनाज सड़ रहा है और देश भर आज त्राहिमाम है। तीन वर्ष से सबसे ज्यादा उत्पादन किसान ने किया, दादा बताओ, कौन सी चीज़ है, जो आपके बाजार के चलते इस देश में उठी हो। अकेले हिन्दुस्तान की सदियों पुरानी किसान की परम्परा है, उसके चलते इस देश में तीन वर्ष से हिन्दुस्तान में बम्पर क्रॉप हो रही है, इतना उत्पादन हो रहा है कि रखने की जगह नहीं है।

हमारे जमाने में क्राइसिस आया तो मैंने कई उपाय किये। सारे देश में महंगाई को रोकने के लिए पांच वर्ष मैं डिपार्टमेंट में बैठा रहा। सारे अनाज जो पड़े हुए थे, उनको मैंने कई रास्ते से, सूखे के इलाके में सस्ता अनाज करके, फूड फार वर्क में दिया और जो बच गया उसको एक्सपोर्ट किया। किसी तरह से अनाज का जो स्टोरेज है, उसको बढ़ाने का काम करें। अभी बिहार में हमने पचास-पचास फीसदी स्टोरेज

के लिए सब्सिडी दी है। आपने पहले स्टोरेज के लिए सब्सिडी दी। किसी किसान को वर्ष 2009 से सब्सिडी का एक पैसा नहीं मिला। कहां से यह बढ़ेगा, कहां से यह होगा? आपके पास स्टॉक करने की 19 फीसदी कैपेसिटी है। आप अनाज कहां रखेंगे? जो अनाज भरा हुआ है, उसे कहां निकालेंगे, कहां क्या होगा? त्राहिमाम मचा हुआ है और त्राहिमाम ऐसा है कि हम लोग निकल नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। कोई कहता है कि बोरी नहीं है, इलाहाबाद में पूछा, तो कहते हैं बोरी नहीं है। इनके यहां कहते हैं कि खरीद नहीं है। बिहार के लोग कहते हैं कि खरीद का कहीं कोई रास्ता नहीं बन रहा है। आप बताइये, सब लोग पीछे चले गये हैं, इंडस्ट्री पीछे चली गयी है, बाजार में जीडीपी भी पीछे चला गया है, लेकिन अकेला अनाज है और अनाज को रखने की जगह नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं, आप कोई रास्ता नहीं ढूंढते हैं। आप क्यों नहीं वार रूम खोल रहे हैं? जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट है, आप कमेटी क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं वार रूम खोल रहे हैं? कौन सरकार है, उसके बारे में क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं की जा रही है? राज्य सरकार कह रही है कि बैग नहीं दिए, जबकि ये कह रहे हैं कि हमने दिए। ऐसे में किसान क्या करेगा? कोई इन्फार्मेशन नहीं है, देश तो तबाही की कगार पर खड़ा हो गया। यह तबाही ऐसी होगी, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो घर नहीं बैठेंगे। आप समझ लीजिए कि देश में चारों तरफ हाहाकर है, यहां बरसात हो रही है और इन्वायर्नमेंट डिपार्टमेंट कहता है कि खुशनुमा हो जाएगा दिल्ली का वातावरण। चार सौ किलोमीटर दूरी पर जो अनाज पैदा हुआ, वह चौपट हो गया, वह गीला हो गया, उसको रखने की जगह नहीं है। आप अपनी सरकारी एजेंसी से यह कहते हैं कि दिल्ली खुशनुमा हो जाएगी। यह खुशनुमा हो जाएगी और देश भूखों मर जाएगा। जिस तरह से मामले उठ रहे हैं, उस मामले में हिंदुस्तान की जो अस्सी फीसदी आबादी है, वह आज ऐसी हालत में पहुंच गयी है कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। इस संसद में मामला उठाइए, तो कोई दो सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। आज चारों तरफ अजीब से अजीब काम चल रहे हैं।

हिंदुस्तान में अकेले किसान ने, कोई दूसरा नहीं अकेले किसान ने सबसे ज्यादा पैडी पैदा किया, सबसे ज्यादा गेहूं पैदा किया। इस साल दाल एक लाख सत्तर हजार टन पैदा हुयी है। सारा अनाज, सारी जो आपने योजना बनायी, इससे उत्पादन बढ़ा, मैं आपकी बात मान लेता हूं, उत्पादन बढ़ा है, तो क्या इसके लिए वार रूम नहीं खोलना चाहिए, इसके लिए क्या तत्काल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? प्रणव बाबू, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कोई नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा सवाल कोई नहीं है। इसके लिए तत्काल सरकार को वार रूम खोलना चाहिए। इस अनाज का क्या किया जाए, इस पर कैबिनेट को तत्काल फैसला करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेगी, तो हिंदुस्तान में बहुत तबाही मचेगी। आपको पता है कि खेत में अनाज आ गया और बरसात के चलते चौपट हो गया। खलिहान में फसल आ गयी, वहां चौपट हो

गयी। किसान बाजार जा रहा है, तो उससे कोई उसकी फसल लेने को तैयार नहीं है। कोई कहता है कि बोरी नहीं आयी, कोई कहता है कि इलाहाबाद में बोरी नहीं है। मध्य प्रदेश मैंने बहुत पहले काम किया, यहां का फूड मिनिस्टर कहता है कि उनका इलाका पैडी का है, यह इलाका गेहूं का है। इस सारे इलाके में जो उत्पादन है, आप तो खुद जानती हैं कि आपका जो जिला है, वह पंजाब के बराबर उत्पादन करता है, चाहे गेहूं हो या धान हो। हमारा इलाका सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है। मेरे नैटिव जिला होशंगाबाद में पंजाब के हर जिले के बराबर अनाज पैदा होता है। आप यह बताइए कि किसान कहां जाए, वह क्या करे, किसके पास जाए?

प्रणव बाबू, आप सदन में उपस्थित हैं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यह इस देश के किसान का हाहाकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तत्काल कोई समय गंवाये बगैर यदि इस सवाल को हल नहीं किए, तो किसानों में आक्रोश बढ़ेगा। मैं सारे सवालों को कैसे रखूं, मैं सारी तैयारी करके आया हूं, लेकिन मैं क्या-क्या बात रखूं, क्या-क्या करूं? पंजाब आज इस तरह की स्थिति में है कि वहां सरकार नहीं चल पाएगी। आप की सरकार भी नहीं बचेगी। आप समझ लीजिए कि किसान का दर्द और उसकी तकलीफ है तो वह बगावत करता है। सबसे पहले वही बगावत करता है और वह बगावत टिकाऊ होती है। यह बगावत ऐसी नहीं होती है जैसे शहरों में होती है। वह टिकाऊ होगी। वे मरने से कभी नहीं डरते हैं। आत्म हत्या हो रही है। आप के किसान की फसल लूट रही है। उनकी फसल कोई खरीदने वाला नही है और यहां खुशनुमा वातावरण बन रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि दिल्ली खुशनुमा हो गई। चार सौ किलोमीटर में सारे किसान की फसल तबाह और चौपट हो गई। आप बाहर मुंह नहीं खोलते हैं। आपको मालूम है कि ये समस्याएं दो वर्ष से चल रही हैं। आपको मालूम है कि अठारह करोड़ रूपये का अनाज पिछली बार सड़ गया। इस बार तो पूरा अनाज सड़ जाएगा। अनाज रखने के लिए कोई जगह नहीं है। आप अनाज बाहर रखिए यदि बच जाए तो मुझे कह दीजिए। भूख का हाहाकार होगा। अनाज का हाहाकार होगा। कोई रास्ता जल्दी निकलिए और फिर मैं कहता हूं कि उसके लिए वहां वार रूम तत्काल खोलिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपने नाम इनके विषय के साथ संबद्ध करने के लिए भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी रिकार्ड मे नही जाएगा।

...(व्यवधान)*

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया : श्री विश्व मोहन कुमार, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री गणेश सिंह, श्री कीर्ति आजाद, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री विरेन्द्र कुमार, श्री राम सिंह कस्वां, श्री सुरेश अंगड़ी, श्री शिवराम गौड़डा, श्री प्रहलाद जोशी, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री प्रेमदास, श्री रेवती रमण सिंह, श्री बृजभूषण शरण सिंह, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, डॉ. रतन सिंह अजनाला, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, डॉ. रत्ना डे, डॉ. एम. तम्बिदुरई, डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग, श्री मनोहर तिरकी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री एस. सेम्मलई, श्री दिनेश चन्द्र यादव, अपने आप को श्री शरद यादव जी के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री जयप्रकाश अग्रवाल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको फिर बुला लेते है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री नारनभाई कछाड़िया ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: It is not a discussion. अभी चर्चा नहीं हो रही है। यह जीरो आवर है। We are not having a discussion. अभी वह इतने अच्छे से इस पर बोल दिए। उन्होंने इस पर प्रकाश डाल दिया।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) *

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): आज मैं इस सदन में उनके लिए आवाज उठाने जा रहा हूं उन किसान भाइयों के लिए आवाज उठा रहा हूं जिन्होंने आज हमारे देश कि हरियाली की शान बनाए रखने के लिए और यहां की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगनदान दिया है। ...(व्यवधान)

* Not recorded.

महोदया, सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि आज पूरे देश में किसान की जो हालत बनी हुई है वह उनकी सहन शक्ति से बाहर है। जिन किसानों ने कॉटन जैसे फसल अपने खून-पसीने बहा कर उपजाए और आज कॉटन को खरीदने के लिए मंडी में कोई खरीददार नहीं है। जो किसान दूसरे की भूख मिटाने का काम करता था आज वही किसान भूखे मर रहे हैं। आज जो किसानों की स्थिति है यदि वह वैसे ही रही तो उन्हें आत्महत्या करने के शिवाय और कोई चारा नहीं है।...(व्यवधान)

महोदया, एक समय हमारा देश कृषियों और ऋषियों का देश कहलता था लेकिन आज वही सरकार अपने ही देश के किसानों का हत्यारा कहला रही है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let him speak. He is speaking on a 'Zero Hour' issue.

श्री नारनभाई कछाड़िया: मजदूर से लेकर मिल के मालिकों तक, संत से लेकर साहूकार तक, राजाओं से लेकर रंक तक और सरपंच से लेकर संसद तक सभी को गांव के किसानों, मजदूरों एवे छोटे-मोटे व्यापारियों एवं गांव में रहने वाले लोगों के लिए हर छोटे-बड़े समाज की आवश्यकता होती है और उन्हीं के वोट से मंत्री, सांसद और एम.एल.ए. बनते हैं।

महोदया, आज पूरे देश में जो कॉटन की खेती हो रही है, खासकर गुजरात में कॉटन का उत्पादन सबसे अच्छा हुआ है। किसान ने रात-दिन एक कर के काम किया है और अच्छे कपास का उत्पादन किया लेकिन आज इस कॉटन का सही दाम नहीं मिल रही है जिसके कारण पूरे गुजरात के किसान के हालात बहुत दयनीय हो गई है। आज किसानों की हालता इसलिए बिगड़ी है कि क्योंकि केन्द्र सरकान ने कॉटन का निकास बंद कर दिया। यह निकास किसके फायदे के लिए बंद किया यह सरकार और वाणिज्य मंत्रालय जानता है। कॉटन का निकास बंद करने से किसानों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जब बाद में कॉटन के निकास का परमिशन दिया तो इसे सरकार ने किसानों के प्रति एक एहसान जताया कि हमने काटन निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है लेकिन सच तो यह था कि इस निकास का प्रभाव मंडियों और कॉटन व्यापारियों में दिखाई नहीं दिया।

महोदया, सबसे चौकाने वाली बात तो यह है कि अब केन्द्र सरकार ने सी.सी.आई. के जरिए कॉटन खरीदना शुरू कर दिया है। जिस जिले में सी.सी.आई. के माध्यम से कॉटन खरीदी की गई वह कांग्रेस के बड़े नेताओं के जिनिंग थे और ए.पी.एम.सी. जिसके माध्यम से एक बड़ी मात्रा में 600 से 700 रूपये के भाव में, बीस किलो के भाव में कॉटन खरीदा की। लेकिन जहां एपीएमसी का कांग्रेस का प्रमुख बैठा है, वहीं यह खरीदी हुई और बाद में सीसीआई को 900 रुपये के हिसाब से कॉटन दे दिया गया। आज किसान इस सरकार की किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों की लपेट में आकर खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस पलायन के लिए केन्द्र सरकार यानी यूपीए सरकार जिम्मेदार है। एक तरफ

भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री बार-बार कहते थे कि भारत में दूसरी हरित क्रान्ति लाएंगे और दूसरी तरफ किसानों को न समय पर फर्टिलाइजर मिलता है, न बीज मिलते हैं और न ही किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है। बिजली, पानी, लोन इत्यादि की सुविधा भी नहीं मिल रही है।

हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किसानों की पानी जैसी समस्या को दूर करने के लिए देश में सभी नदियों को जोड़ने की योजना शुरू की थी। इस योजना के पूर्ण होने के बाद भारत में दूसरी हरित क्रान्ति आने वाली थी। लेकिन इस सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि उसे डर था कि यदि यह योजना सफल हो जाएगी तो पूरे देश में बीजेपी छा जाएगी। आज इसी पानी की असुविधा के कारण पूरे देश में दस सालों में दो लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। केन्द्र सरकार के आंकड़े बताते हैं और इस आत्महत्या के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। महोदया, इस तरह देश में एक भय सता रहा है कि अगर किसान खेती छोड़ देगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि महंगाई और बढ़ जाएगी और लोग अनाज के लिए भूखे मरेंगे। सबसे ज्यादा चिन्ता की बात यह है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। अगर यह टूट जाएगी तो हमारा देश भी बहुत बड़े संकट में आ जाएगा।

महोदया, मैं इस सदन में बैठे सभी सांसदों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि किसी न किसी तरह हम सब खेती से जुड़े हुए हैं। किसानों की समस्या को हम सबको साथ मिलकर हल करना चाहिए और इस देश के कॉटन उगाने वाले किसानों को बचाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री हरिभाऊ जावले, आप अपने को इनके विषय के साथ सम्बद्ध कर लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल और श्री वीरेन्द्र कुमार अपने को श्री नारनभाई कछाड़िया के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): अध्यक्ष महोदया,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैंने बोल दिया है कि आप अपने को इनके विषय के साथ सम्बद्ध कर लीजिए। आपका यही मसला है।

...(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ जावले: आज जो मीटिंग हो रही है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस तरह मत कीजिए। श्री पन्ना लाल पुनिया, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए। पुनिया जी बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उन्हें भी अपना विषय उठा लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सरकार को इमीडिएट रिस्पांस देना चाहिए।...(व्यवधान) यह सरकार कुछ सुन नहीं रही है।...(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया: अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन में बाधा उत्पन्न हो रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : केवल पुनिया जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)*

श्री पन्ना लाल पुनिया: यह सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। पुनिया जी की बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया: शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के अधिकारी, कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन पहले से अनुमन्य थी। ऐसी भ्रान्ति है कि इसे रोका गया है।...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट से जो भ्रान्ति फैली है, उसका उल्लेख किया जाना अत्यन्त अनिवार्य है। इसकी पृष्ठभूमि में पहले बता दिया जाए कि सबसे पहले जब इंदिरा साहनी केस में 1992 में फैसला हुआ, उसमें कहा गया कि एससी, एसटी के मामलों में रिजर्वेशन इन प्रोमोशन एलाउड नहीं है।...(व्यवधान) पार्लियामैंट ने इसमें कंसीडर किया और 77वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें कहा गया कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो दे सकती है, लेकिन प्रमोशन के साथ सीनियॉरिटी...(व्यवधान)

---

* Not recorded

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): शरद जी ने जो विषय यहां रखा, आपको याद होगा कि यही विषय तीन दिन पहले मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में उठाया था। आज इसे पूरे देश के संदर्भ में शरद जी ने उठाया है। किसान गेहूं उगाए तो स्टोरेज नहीं, धान उठाए तो समर्थन मूल्य नहीं, कपास उगाए तो उसे निर्यात की अनुमति नहीं, आलू उगाए तो सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं।

लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय होने के बाद सरकार से रिस्पांस मांगा था। सरकार का रिस्पांस देना तो दूर, नेता सदन , सदन छोड़कर ही चले गये। ...(व्यवधान) हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम यहां बैठकर क्या करें? अगर नेता सदन छोड़कर चले गये और हमारी बात का यहां जवाब भी नहीं आना, तो फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ...(व्यवधान) हम इस विषय पर बहिर्गमन करते हैं। ...(व्यवधान) हम भी सदन छोड़कर जाते है।

12.25 hrs

Shrimati Sushma Swaraj, Shri Sharad Yadav, Shri Basu Deb Acharia, Shri Lalu Prasad and some other hon. Members then left the House.

...(व्यवधान)

12.25 ¼ hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Reservation in promotion for SCs/STs

श्री पन्ना लाल पुनिया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने, विचार रखने का अवसर प्रदान किया। यह मामला प्रमोशन इन रिजर्वेशन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमैंट दिया है, उससे भ्रांति फैली है। आम तौर से राज्य सरकारों में यह धारणा आयी है कि अब प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त हो गया है। मैं इसकी पृष्ठभूमि में बता दूं कि वर्ष 1992 में पहली बार इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि एससी, एसटी के इम्प्लायज, अधिकारी और कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन अनुमन्य नहीं है। पार्लियामैंट ने इस पर विचार किया और 77वां संविधान संशोधन आया। उस संशोधन में कहा गया कि नहीं, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकती है। यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने कहा कि ठीक है, रिजर्वेशन तो दे सकते हैं, लेकिन सीनियोरिटी इसमें नहीं मिलेगी। उसके बाद 85वां संविधान संशोधन इसी पार्लियामैंट से पास हुआ और यह कहा गया कि कॉनसीक्वैंशियल सीनियॉरिटी भी दी जायेगी। तब से यह चला आ रहा था। इसमें बहुत से रिट पिटीशन्स

हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिट पिटीशन्स को इकट्ठा करके निर्णय दिया। वह निर्णय अभी भी एम. नागराज केस में आया है। एम. नागराज केस में कहा गया कि 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन, दोनों वैधानिक है, कांस्टीट्यूशनली वैलिड हैं, लेकिन किसी भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है, तो तीन बातें अवश्य देखनी होगी और उसकी स्टडी करानी होगी। एक, उन्होंने कहा कि इन वर्ग के लोगों में आज भी बैकवर्डनैस है या नहीं, इसकी स्टडी करानी होगी। दूसरा, इस वर्ग के लोगों को सर्विसेज में एडिक्वेट रिप्रैजेंटेशन है या नहीं, यह भी स्टडी करानी होगी। तीसरा, अगर एससी, एसटी के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जाती है, तो यह भी अध्ययन कराना होगा कि क्या प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ये तीन कंडीशन्स रखीं । इन तीन कंडीशन्स के आधार पर कई राज्य सरकारों ने कहा कि अब तो प्रमोशन में रिजर्वेशन बंद हो गया। राजस्थान में अभी कोई मामला आया, तो उसमें चीफ सैक्रेट्री और डीओपीटी, प्रिंसिपल सैक्रेट्री को कंटैम्प्ट नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमैंट दिया है, वे इसी तरह के केसेज हैं। उसमें उन्होंने कहा कि एम. नागराज केस के हिसाब से प्रोमोशन में रिजर्वेशन लागू हो और विभिन्न राज्य सरकारों ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन आदेश या नियम जारी किये हैं, वे नियमावली असंवैधानिक है, वह संविधान के अनुसार नहीं है। मैंने डीओपीटी, मिनिस्टर और प्रधान मंत्री जी को भी यह लिखा था कि श्री एम. नागराज केस के खिलाफ कोई न कोई रिट पिटीशन होनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर हम बैकवर्डनैस की बात करते हैं, तो वह ओबीसी के लिए अनुमन्य है, ओबीसी में लागू है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एक अलग क्लास है और यह अनडिस्प्यूटेडली बैकवर्ड हैं। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती। इंदिरा साहनी मामले में नौ जज़ेज की बेंच थी और एम. नागराज केस में, जिस बेंच ने कहा कि बैकवर्डनेस पर हमको अध्ययन करके यह फाइंडिंग देनी होगी, वह सिर्फ पांच जज़ेज की बेंच थी, इस तरह से नौ जज़ेज की बेंच के निर्णय का प्रभाव रहता है और पांच जज़ेज की बेंच के निर्णय का प्रभाव नहीं है। हमने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिट पेटीशन या रिव्यू पेटीशन करके इसमें क्लेरिफिकेशन कराना चाहिए कि अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए बैकवर्डनेस का और जो बाकी मानक हैं, वे लागू नहीं होते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 77वें एवं 85वें संविधान संशोधनों को वैधानिक होल्ड कर दिया है, तो उनको लागू होना चाहिए और सब जगह रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू रहना चाहिए। मेरा आपसे कहना है कि अभी तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे भ्रांति फैली है। इसमें मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और एम.नागराज केस को क्लेरिफाई करें। अगर यह नागराज हमेशा रास्ते में खड़ा हुआ मिलेगा, तो अनुसूचित जाति का कभी भला नहीं हो सकता। केन्द्र

सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि इसमें अवश्य जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है। मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी से, डीओपीटी से कि एम.नागराज केस को क्लेरिफाई करके, इससे रास्ते में जो अड़चनें पैदा हुई हैं, उनको खत्म किया जाए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: If you want to associate yourself with this issue, please send the slip.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : श्री खिलाड़ी लाल बैरवा, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री शैलेन्द्र कुमार, डॉ. बलीराम, श्री रघुवीर सिंह मीणा, श्री सज्जन वर्मा, श्री महिन्दर सिंह केपी, श्री पी.टी.थॉमस, श्री कमल किशोर 'कमांडो', श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती संतोष चौधरी स्वयं को श्री पी. एल. पुनिया द्वारा शून्यकाल में उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, the hon. Minister is sitting here and he should react on this issue. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, on the issue of reservation on promotions for SCs and STs, twice the Government brought an amendment in the Act, and it was set aside by the Supreme Court. Thereafter when the Nagaraj case, the Rajasthan High Court case, came we referred the matter to the Department of Law and Justice. The Department of Law and Justice said that the guidelines framed in the Nagaraj case have to be considered by the Government of India. Even then the discussion is going on. I take into consideration the hon. Member's view on what further course of action the Government of India is to take on the reservation on promotion for SCs and STs.

SHRI KODIKKUNNIL SURESH : When are you going to take action, Sir?

SHRI V. NARAYANASAMY: I said we are going to take it up. He gave the suggestion. The Government will sit with the Department of Law and Justice and also the Ministry of Social Justice and we will take immediate action on that.

———

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने कल की एक बहुत ही हृदय-विदारक, दर्दनाक घटना को सदन में उठाने की अनुमति दी।

मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से नेपाल जाने वाले राजमार्ग पर सिद्धार्थ नगर से एक निजी बस आ रही थी और गोरखपुर की तरफ से तेज गति से एक रोडवेज की बस आ रही थी, जिसके हेड ऑन कोलीज़न से 20 लोगों की मौत उसी स्थान पर हो गयी और लगभग 34 लोग आज भी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं। विडंबना यह है कि तीन सिदार्थ नगर में तीन गरीब लोगों की झोपड़ियां जल गयीं, जिनके घर में जलने के बाद कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी बच्ची, जो आग से जल गयी थी, उसका भाई कल उसी बस से मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने ले जा रहा था, उस दुर्घटना में वह बच्ची और उसका भाई भी मौत के मुंह में चले गए। इस तरह से गरीब लोग, जिनके पास आज कोई सहारा भी नहीं है, 20 लोगों की इस तरह से हृदय-विदारक मृत्यु राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो गयी। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से उन परिवारों का सहारा छिन गया, जो गरीब लोग थे और ज्यादातर वे लोग पूर्वांचल के सिदार्थ नगर के थे, जो उस बस से सफर कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने उनको एक-एक लाख रुपये आर्थिक सहायता दी है, लेकिन आज उन परिवारों के समक्ष जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा कि उन मृतक परिवारों के आश्रितों को कम से कम दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि ऐसी निजी बसें, जिनके इंश्योरेंस नहीं होते हैं, उनसे प्रभावित लोगों के परिवारों की भी किसी तरह से क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। मैं शैलेन्द्र जी से भी कहूंगा कि रोडवेज की बस के साथ एक्सीडेंट हुआ है। राज्य सरकार कम से कम यह तो कर ही सकती है उन मृतकों के परिवार में से एक-एक आश्रित व्यक्ति को किसी भी स्तर पर राजकीय नौकरी प्रदान करे। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि यह जिन लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उन मृतक परिवार वालों के आंसू बह रहे हैं, उनकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उनके आश्रितों को भविष्य के लिए एक सम्बल के रूप में जीविका का सहारा मिल जाएगा। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि वह मृतक परिवार वालों में से एक-एक व्यक्ति को नौकरी दे। यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं काफी समय बाद होती हैं कि एक ही दुर्घटना में 20 लोग मारे जाएं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। इनमें से कोई इलाज के लिए जा रहा था, कोई दवा के लिए जा रहा था तो कोई शादी में शामिल होने जा रहा था। कल जब यह दुर्घटना हुई तो वह पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है। मृतकों में कुछ लोग गोरखपुर के थे, कुछ महाराजगंज के थे और मेरे क्षेत्र सिद्धार्थ नगर के भी लोग थे। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना

चाहता हूं कि यह जो हृदयविदारक घटना हुई है, जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों को सहारे के रूप में केन्द्र से दो-दो लाख रुपए दिए जाएं। इसके साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि आप और यह सदन उन 20 मृतकों की आत्मा के प्रति संवेदना प्रकट करे तथा मृतकों के परिवार वालों को इस विपत्ति सहन करने की ईश्वर से शक्ति प्रदान करने की दुआ करे।

अध्यक्ष महोदया: श्री कमल किशोर कमांडो भी अपने को इस विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के उद्योग मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में लोग जब सीमेंट खरीदने जाते हैं तो हर बोरी में उन्हें निर्धारित मात्रा से दो से चार किलोग्राम कम सीमेंट मिलती है। जब मैंने पूरा अध्ययन कराया तो पता चला कि सीमेंट के लिए जो बैग इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से सीमेंट रिस-रिस कर बाहर निकलती रहती है और उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते कम हो जाता है। यह सीमेंट उपभोक्ताओं के साथ बहुत अन्याय है तथा फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वैसे भी सीमेंट के दाम रोजाना बढ़ते ही रहते हैं। इस गम्भीर विषय के सम्बन्ध में मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उद्योग मंत्री जी तुरंत देश में सीमेंट उद्योगों को निर्देशित करें कि अच्छी क्वालिटी के लैमिनेटेड बैग सीमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएं और यह देखा जाए कि सीमेंट उन बैग्स से रिस रहा है या नहीं। इस तरह के बैग सीमेंट उद्योगों में इस्तेमाल होने चाहिए। मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में देश का एक तिहाई सीमेंट का उत्पादन होता है। सीमेंट के बैग में निर्धारित मात्रा से कम सीमेंट पाया जाना कहीं न कहीं उपभोक्ता के साथ अन्याय है इसलिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार के उद्योग मंत्री जी इस ओर ध्यान दें, ऐसी मैं अपील करता हूं।

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I rise to draw the attention of this House to a very urgent matter of public importance.

On 29th April, 2012, that is, yesterday, there was a demonstration at Jantar Mantar, New Delhi and agitations in all the metropolitan cities of Bengaluru, Hyderabad and Imphal regarding crimes and apparently institutionalized discrimination against the North Eastern people.

Madam, to draw your kind attention, it is indeed very shocking for the people of Manipur, that one architect student, Roitam Richard was found dead in his hostel room on 17th April. Following that, there was a lot of confusion about how he died. *Post-mortem* report says that there were injuries all over his body

and that there was bleeding on the face. But some others say that some days earlier to that, there was a motor accident. So, controversial opinions are coming out. In the meanwhile, his parents have gone there to take the body.His injuries were so grievous which clearly showed that something serious had happened. His parents have written a letter to the hon. Home Minister, the Government of India, with a copy marked to me. I have already forwarded the letter to the Home Ministry to look into the request of the parents to institute an inquiry at the level of at least the CBI so that we may go to the root of the problem and find a permanent solution.

This is not the only incident. Recently, D. Sangma niece of the hon. Chief Minister of Meghalaya, who was studying in Amity University, was found hanging from the fan of her hostel room. It was alleged that she was humiliated by the invigilator in an examination for using a mobile phone.

Even day before yesterday, on the night of 27th April, a Manipuri boy was beaten up in Delhi. A Naga boy, Joshua Muivah from Ukhrul district of Manipur was also attacked by some unknown persons. A series of such incidents are happening one after another. This has instilled a sense of alienation among the people of North-East region in their own country. We, as people belonging to this region, take note of these incidents and raise our voice in unison. The murder of Richard is very gruesome. We all condemn it. We should also pay attention to the other incidents of apparently institutionalised discrimination and crimes against the North-Eastern people.

I would request the Government of India, particularly the Minister of Home Affairs, to do something so that such incidents do not occur in future.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में हैं और जिसे कभी मिनि-ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था, इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 5-6 प्रधान मंत्री भी इस देश को दिये हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह आईएएस, आईपीएस, वैज्ञानिक और तमाम राजनेताओं को जन्म देने वाला विश्वविद्यालय है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दिया गया है लेकिन मैं बड़े दुःख के साथ इस सदन को और सरकार को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि आज वहां का वातावरण बहुत प्रदूषित हो गया है और छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों में जन-आक्रोश है। वहां पर जो एक शैक्षणिक वातावरण होना चाहिए, वह पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। अभी कुछ दिन पहले छात्रावास को खाली कराने के लिए पुलिस के बल पर कोशिश की गयी जबकि वहां के छात्र आईएएस, पीसीएस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं को देने की तैयारी कर रहे थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, वहां पर बराबर धरने-प्रदर्शन भी चले हैं कि छात्रसंघ के चुनाव लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के अनुसार होने चाहिए, लेकिन आज विश्वविद्यालय प्रशासन वहां पर बिल्कुल मौन है। वहां 500 प्रोफेसर्स और लेक्चरर की जगह रिक्त हैं। शिक्षकों की तरफ से बराबर यह मांग उठी है कि इन रिक्तियों को भरा जाए, लेकिन दूसरी तरफ संविधान के नाम पर लेक्चरर और प्रोफेसर्स जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के वहां कार्यरत हैं, उनके साथ भी बड़ी अनदेखी की गयी है। इधर कुछ रिक्तियां भरने की कोशिश की गयी, लेकिन जो एससीएसटी के रिजर्व पद हैं उन्हें अपर कास्ट के थ्रू भरने की कोशिश की गयी। इससे भी वहां का शिक्षक आंदोलन करने के लिए विवश है। पिछले सेशन में मैंने इस मुद्दे को उठाया था लेकिन सरकार ने इसकी अनदेखी की है। प्रोफेसर, छात्र और शिक्षकों का वाइस-चांसलर से कोई समन्वय नहीं है, कोई उनका संवाद नहीं होता है। अगर ये लोग वाइस-चांसलर से बात करने जाते हैं तो वह बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका रवैया बिल्कुल तानाशाह वाला है। यही कारण है कि वहां का वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं और यह छात्रों से जुड़ा हुआ सवाल है।

महोदया, छात्र देश के भावी कर्णधार हैं, जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका हुआ है। यह मुद्दा छात्रों स जुड़ा है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, वे इस बारे में कुछ शब्द कहें, जिससे कि हमें आश्वासन मिल सके, जिससे कि विश्वविद्यालय के जो छात्र, शिक्षक तथा कर्मचारी आंदोलित हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके।

श्री पन्ना लाल पुनिया: सभापति महोदया, मैं अपने को श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जो राजनीति और प्रशासन से जुड़ा हुआ है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदया, हमें आजाद हुए 60 साल से ज्यादा का समय हो गया है। जिस समय संविधान बना था, उस समय संघीय ढांचे में अलग-अलग राज्यों में असेम्बलियों का गठन किया गया था। कई राज्यों में विधान परिषद और विधान सभा, दोनों का गठन किया गया था और कई राज्यों में जनसंख्या के आधार पर केवल विधान सभा का गठन किया गया था। आज समय बदल गया है, उस समय दिल्ली की आबादी करीब 35 लाख थी और आज दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ से ज्यादा है। मेरा मानना है कि इस बारे में दोबारा विचार किया जाना चाहिए। इस बारे में बहुत दिनों से कोई बहस नहीं हुई है। जहां विधान सभा है, वहां केवल विधान सभा चली आ रही है और जहां विधान सभा और विधान परिषद है, वहां दोनों काम कर रही हैं। मेरा मानना है कि प्रशासनिक तौर पर जो फसलें एक बॉडी लेती है, अगर वह फैसलें दो बॉडी लें, तो जरूरी है कि दोनों बॉडीज उसे पास करें, तब कोई कानून बनेगा। सिर्फ एक बॉडी अगर होती है, तो उसका तानाशाह जैसा रवैया हो जाता है। जो मुख्यमंत्री होता है, वह जैसा चाहे असेम्बली से पास करवा लेता है, क्योंकि उसे दूसरी बॉडी में नहीं जाना पड़ता है। हमारे यहां केंद्र में लोकसभा और राज्य सभा है। दोनों जगह से जब तक विधेयक पास नहीं होता, तब तक कानून नहीं बनता है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि समय बीत गया है और हमारी मैच्योर डैमोक्रेसी है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जहां विधान सभा है, वहां विधान परिषद भी होनी चाहिए और इस कानून में बदलाव करना चाहिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया: अध्यक्ष महोदया, मैं अपने को श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध करता हूं।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I would like to place before this House and draw the attention of the concerned Minister with regard to some pathetic conditions of some Indian citizens in Sri Lankan jails.

There are about 37 Indian citizens in Sri Lankan jails. These 37 Indian citizens belong to Kerala and Tamil Nadu. They are in Sri Lankan jails for about 17 years. I think they went there in search of employment but they were cheated there and false cases had been framed against them. Now, they are completing about 17 years in jails there.

They have given a number of representations to the Prime Minister of India and concerned Ministers. India is the signatory of the SAARC countries.

According to the Agreement made among the SAARC countries, the prisoners can be handed over to their countries. It is, in that context, that they again written to the concerned Ministers. Even, the concerned Ministers promised that they would be taken back but no action has been taken. The Consulate has also informed that they have written to the Government of India and Government of India has written to the Chief Ministers of Kerala and Tamil Nadu also. It is because they have to be sent to the jails of Kerala and Tamil Nadu. They belong to these States.

At least, it can be considered on humanitarian grounds as they have already completed about 17 years in jails, the Government can take the decision on the basis of SAARC Agreement.

So, I would like to request the Government to take immediate action on humanitarian grounds.

MADAM SPEAKER: Shri M.B. Rajesh and Shri P.K. Biju may be allowed to associate themselves with the matter raised by Shri P. Karunakaran.

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): I would like to draw the attention of the House and the Government that there is a proposal to construct a Greenfield airport at Androth Island in Lakshadweep which is my constituency.

The foundation for the Greenfield airport construction has been laid about 16 years back, that is, way back in 1996. It has been almost 16 years but the proposal is still pending. This has been discussed and deliberated in the IDA Meeting which was chaired by the hon. Prime Minister. It is understood that the Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Civil Aviation have already conducted the site survey. Earlier, in the site survey, they had said that about four lakh square kilometres of land is required. But according to the revised proposal, six lakh square kilometres of land is required. Anyway, the site survey has been conducted but the Environment Impact Assessment is yet to be conducted by the Ministry of Environment.

Therefore, I would urge the Ministry of Civil Aviation and especially the Ministry of Environment to ensure that the Environment Impact Assessment is

conducted expeditiously and without any further delay the proposal is cleared so that the green field airport could be constructed.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Respected Madam, I thank you for giving me this opportunity.

I would request the Government to grant Central Road Fund (CRF) for Sabarimala roads in Kerala for meeting its growing infrastructural requirements. There has been no fund allocation to the State of Kerala under CRF for the last two years. The Government of Kerala has already submitted proposal for fund allocation under CRF. If the Government grants fund for Sabarimala roads in Kerala under CRF, it would be a boon for the devotees of Lord Ayyappa.

It should be noted that crores of devotees across the country pay pilgrimage to Sabarimala and their number is increasing year by year. Last year, four crore devotees paid pilgrimage to Sabarimala Shrine. The number is higher than the population of Kerala. This shows the growing importance of better transit facilities at Sabarimala. Therefore, I would request for an urgent intervention of the Prime Minister in this regard and grant Central Road Fund for Sabarimala roads in Kerala.

MADAM SPEAKER: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Anto Anthony Shri N. Peethambara Kurup. Shri P.T. Thomas, Shri M.B. Rajesh, Smt. Botcha Jhansi Lakshmi and Shri S.S. Ramasubbu are allowed to associate.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): अध्यक्ष महोदया, अपर-सकरी, ढाढर-तिलैया, धनंजय आदि नदियां बिहार के नवादा जिले में शरीर की धमनियों की तरह हैं जिससे ताल-तलैया जीवित हैं। ये नामित नदियां नवादा, गया, बरबीघा, शेखपुरा जिले को अभिसिक्त करती रहती हैं। अपर-सकरी को बिहार के प्रथम मुख्य मंत्री ने नहरें निकालने का कदम उठाया था जिससे वारसलीगंज का भू-भाग आज भी सिंचित हैं, पर यह योजना आज भी अधूरी पड़ी हैं। इसके पश्चिमी हिस्से में बिहार सरकार बकसोती योजना का डी.पी.आर. तैयार कर, मंत्रिपरिषद से स्वीकृति देकर केन्द्र के पास निधि के लिए एक वर्ष पूर्व ही भेजा है जिस पर कार्यान्वयन की प्रतीक्षा की जा रही है।

ढाढर-तिलैया नवादा, गया के हजारों एकड़ जमीन को सिंचित करने की एक बड़ी योजना है जिस पर कार्यवाही के कदम भी उठे और यह योजना भी 800 करोड़ रुपये की है जिसमें तिलैया नदी से पानी को लिफ्ट करना होगा पर इधर तिलैया नदी को इस योजना से हटाने की साजिश हो रही है। यदि ऐसा हुआ तो यह योजना ही समाप्त हो जाएगी और इस पर करोड़ों खर्च हुए रुपये बेकार हो जाएंगे।

अत: मैं केन्द्र से मांग करता हूं कि वह ढाढर, तिलैया, अपर-सिकरी, धनंजय नदियों की समेकित रूप से एक बृहत योजना की रूपरेखा तैयार करे और इस शाश्वत, क्रोनिक सुखाड़ जिला नवादा के अस्तित्व और विकास के रास्ते को प्रशस्त करे। धन्यवाद।

श्री पन्ना लाल पुनिया: अध्यक्ष महोदया, मैं अपने आपको माननीय सांसद डा. भोला सिंह जी द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री राधे मोहन सिंह (गाज़ीपुर): अध्यक्ष महोदया, आप यहां से बोलने के लिए कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें, धन्यवाद।

महोदया, मैं लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं गंगा कटान के संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि एक तरफ गंगा जहां हमारी मां है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है और हमारे विकास का द्योतक है, मैं वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सर्वाधिक पिछड़े जिले गाजीपुर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो गाजीपुर गंगा कटान से सर्वाधिक प्रभावित जिला है, उस जिले के कई जगहों पर गंगा के कटान की वजह से आम आदमी का जीवन इतना खराब हो गया है कि यह देखकर जब स्वप्न में उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि बगल में ही गंगा है और धीरे धीरे उनके खेत विलुप्त होते जा रहे हैं। 10 से 15 फीट तक आबादी का निवास है। बाढ़ के समय जब हम ग्रामीण भ्रमण के लिए निकलते हैं तो इस बात के अहसास से इतना अफसोस होता है कि किस तरह लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमने इस संबंध में गाजीपुर जिला अधिकारी को पत्र के माध्यम से ज्ञात कराया कि यहां आम आदमी का जीवन जिस तरह से चल रहा है, इसे ठीक करने का प्रबंध किया जाए क्योंकि कहीं किसी दिन ऐसा न हो कि गंगा के कटान से गांव के साथ तमाम जनता विलुप्त हो जाए। इस संबंध में जो पत्र आया वह इतना हास्यस्पद है और जले पर मिर्च की तरह काम करता है। इसमें लिखा गया कि सरकार यह देखती है कि क्षति किसकी ज्यादा होगी, जहां कटान हो रहा है, कटान को रोकने में ज्यादा लागत आएगी या उस जनसंख्या को शिफ्ट करनेकी ज्यादा लागत आएगी।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तरफ समुद्र में पुल बनाया जा रहा है, समुद्र के अंदर कार्य हो रहा है और दूसरी तरफ जनहित की अनदेखी करके प्रयास किया जाता है और लोगों को शिफ्ट करने की बात कही जाती है। पूर्वांचल में गाजीपुर में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल सबसे बड़ा उद्योग खेती ही है। यहां न कोई मिल है और न ही कोई फैक्ट्री है। मैं आपका ध्यान ब्लाक करंडा में सेवरा, रासयापुरा, बच्चा का पूरा, सरायमोहम्मदपुर, वयपुर, सोकनी, तुलसीपुर, मोहबलपुर की तरफ दिलाता हूं। गंगा के कटान से औडियार जंक्शन और देवकली जो एक बड़ा पंप है, खतरे में है। उत्तर प्रदेश के दो- तीन पंप लिफ्ट कैनाल में भी एक कैनाल ये है, अगर गंगा के कटान से निश्चित रूप से इस तरह की स्थिति बनेगी तो यह ध्वस्त हो सकता है। केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार फंड देती है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि केंद्र सरकार इस मामले में मदद करे क्योंकि हम सारे कार्यों को पूरा चाहते हैं।

श्री पन्ना लाल पुनिया: महोदया, मैं अपने आपको राधे मोहन सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूं। मैं अहमदाबाद से आता हूं। अहमदाबाद का विकास तेजी से हो रहा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे मेगासिटी का स्टेट्स मिला है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा मास ट्रांसपोर्टेशन एक अहम भूमिका निभा रहा है। मुझे इस बात का गौरव है कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम, बीआरटीएस का जोरदार नमूना प्रस्तुत किया है। बीआरटीएस को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं। गुजरात सरकार ने इसमें बढ़ावा करते हुए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का निर्माण करने हेतु एक कार्य किया है। दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन को इस प्रोजेक्ट के आकलन के लिए रिपोर्ट की है। अहमदाबाद और गुजरात के पात नगर और गांधी नगर को जोड़ते हुए धोलेरा तक जाने के लिए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए डीएमसी ने 9000 करोड़ रुपए का आकलन किया है। गुजरात सरकार इसके प्रति उत्तरदायित्व भी निभा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार की ओर से गुजरात सरकार को 25 प्रतिशत रकम प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदया, मैं अपने आपको डॉ. किरीट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): Madam, Speaker, thank you for giving me this opportunity. I would like to draw the attention of this august House to a very serious problem concerning the students' community. The UPA–I Government had launched a student education loan scheme.

13.00 hrs

But nowadays, students are facing many problems. The bankers are not giving loans properly to the students and thus, the students suffer from many obstacles in the Student Education Loan Scheme. The total outstanding amount in the Student Education Loan Scheme as on March, 2011 comes to Rs. 43 crore. The total number of beneficiaries is around 22,35,000 students. The increase in Non Performing Assets (NPAs) in Education Loan make the bankers to enforce strict norms or stringent conditions for fresh loans. The banks are now insisting on assets, mortgage and third party guarantee to secure their position. In reality, there will be no wilful defaulters in educational loans since the parents are involved as co-obligants.

Private financing attaches more responsibility on students rather than public funding of higher education by the Government. To subsidise the cost of higher education, the Government has launched Interest Subvention Scheme from 2009-10 for the students belonging to economically weaker sections. Our Finance Minister has increased the amount to Rs. 800 crores for the year 2012-12 from Rs. 640 crores earmarked for the previous year.

The students seeking admission under the management quota should be considered for educational loan.

Secondly, the Government should ease the provision of Interest Subvention Scheme and the settlement of NPA loan from Credit Guarantee Fund Scheme.

Thirdly, special refinancing for education loan should be considered by the Reserve Bank of India for recycling of funds. The Interest Subvention Scheme and Credit Guarantee Fund Scheme will definitely reduce the burden of students

and bankers. The NPA portion has been covered under Credit Guarantee Fund Scheme announced by the hon. Finance Minister during this year. The refinance scheme for education loan will enhance the funds available with the banking sector for further deployment.

Above all, the Government as well as the private sector should create more employment opportunities. Otherwise, the education loan scheme has to be written off by the Government in future like agricultural loan and weavers' loan.

I request the hon. Finance Minister to consider the above mentioned requests and kindly look into the very serious problems faced by the student society.

MADAM SPEAKER: Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi may be allowed to associate herself with the issue raised by Shri P. Viswanathan.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Madam Speaker, I thank the UPA Government for introducing the flagship programme, the Sarva Shiksha Abhiyan, and for enacting the Right to Education Act.

Under the SSA, as we all know, since 2010-11, the Government is providing text books and two pairs of uniforms for the poor children belonging to the SC/ST and BPL families. I also thank the Government for enhancing the allotment of funds by 48 per cent. This reflects the concern of the UPA Government in providing free and compulsory education to the children. These children are now feeling that they are getting education by way of equal facilities.

The Government is providing Rs. 200 including stitching charges for two pairs of uniforms per year. In this way, they are providing business to the Government-controlled textile companies.

However, I want to submit for the kind consideration of the hon. HRD Minister to enhance the uniform cost including stitching charges from Rs. 200 to Rs. 300 in order to provide quality uniforms to these boys and girls.

Uptill now, free uniforms are being provided to boys and girls of the Government schools, Municipal Schools and Zilla Parishad schools.

I request the Government to extend this facility to the aided schools also. For example, in Andhra Pradesh, 3335 schools are functioning under the aided scheme. There are nearly 44 lakh children studying in these schools. They also belong to the poor families.

I submit to the Government, through you, Madam Speaker, to cover not only these children who are studying in Andhra Pradesh but also those children across the country for providing two pairs of uniforms every year.

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Madam Speaker, thank you. I would like to raise a very important matter during the 'Zero Hour' regarding the constant and continuous shrinking of land under agriculture in India putting self-sufficiency in food in jeopardy.

According to the figures given by the Ministry of Agriculture, the Government of India, it is very clear that India is losing its agricultural lands. During the last six years, from 2006-2011, India has lost approximately 4,91,000 hectares of agricultural land for other purposes such us buildings, roads, railways, etc. This may create irreparable damage in the future. India predominantly is an agrarian country. Agriculture provides livelihood for about sixty per cent of our population. It contributes to nearly one-fifth of the total GDP.

In the name of industrialisation and development, in many States several hectares of agricultural land are being converted and used for non-agricultural purposes. Over the last two decades, the agricultural land had shrunk by nearly two per cent. This does not augur well for our economy.

Basically, agriculture has become a loss-making venture and the farmers are no more interested in doing cultivation because of non-remunerative prices. Exploiting this situation, the real estate lobby plays havoc with the Indian agriculture by purchasing the lands for construction of houses.

If India wants to achieve self-sufficiency in food grains, the Government should undertake efforts to have the Second Green Revolution. Hence the

Government should take necessary steps to enhance areas under irrigation and cultivation for the good of the future of India. Thank you.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पिछले तीन साल से लगातार मैं इस विषय को उठाते आ रहा हूँ लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई गंभीर कार्यवाही नहीं की जाती है। आप भी जानती हैं कि पटना में जो महात्मा गांधी सेतु है, वह निर्माण काल से ही इतना खराब बनाया गया है कि उसकी हालत बहुत जर्रजर है। पिछले 7-8 साल से 2 सौ करोड़ रूपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए जा चुके हैं। फिर भी अभी उसकी एक ही लेन कारगर है, दूसरी लेन कारगर नहीं है। कहीं-कहीं उसका स्पेन एक फुट से डेढ़ फुट तक धंस गया है। उस पुल को बनाने वाला कौन था? उसने पुल बनाने में जो गलती की है, उसकी जांच सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? अब उस पुल का जिम्मा एनएचएआई के पास चला गया है। एनएचआई और एनएच वाले कहते हैं कि वह पुल बिहार सरकार के इंजीनियर ने बनाया था इसलिए उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। उस पुल की स्ट्रेंथ कितनी है? जिस समय वह पुल बना था, उस समय 12 और 14 टन का ट्रक उस पर चलता था। आज उस पुल पर 100 टन का लोड ले कर ट्रक चल रहा है। उस समय कोई एनएच नहीं था। गंगा पुल के पार होते ही एनएच-103 है जो मुसरीघरारी, समस्तीपुर तक है। हाजिपुर से लेकर मुज्जफरपुर तक चार लेन है। हाजिपुर से लेकर छपरा, सीवान और गोपालगंज तक चार लेन है। उस पुल पर बहुत लोड पड़ रहा है। किसी भी समय ऐसा हो सकता है कि एक-आध सौ ट्रक और गाड़ी को लेते हुए वह पुल गंगा के पेट में समा जाएगा। वहां ऐसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सरकार से मेरी सीधी मांग है। नंबर एक - उस पुल को बनाने वाली कंपनी की जांच शुरू से की जाए। अगर उसमें आर्किटेक्चरल फाल्ट है तो उसकी जांच कर के उस कंपनी को सजा दी जाए। दूसरा, उसके लॉक करने का जो सिस्टम लगा था वह फेल हो गया है। जिस कंपनी ने वह लॉक सिस्टम दिया था, वह टेक्नॉलाजी दी थी, उस कंपनी पर कार्यवाही की जानी चाहिए। तीसरा, वह पुल वर्तमान में पूरा लोड ले कर नहीं चल सकता है, इसलिए एनएचएआई को उसके बगल में एक अन्य पुल बनाना चाहिए जो कि पूरा लोड ले कर उस पर जा सके। इन तीन बातों पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। जिस कंपनी ने गड़बड़ी की है और देश के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और पैसे का घोटाला किया है, उस पर कार्यवाही की जाए, मुकदमा चलाया जाए और उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए। मेरी यही मांग है।

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया अपने आप को श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी के विषय से संबद्ध करते हैं।

श्री सज्जन वर्मा (देवास): महोदया, मेरी शून्य काल में चिंता का विषय मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ अंचल क्षेत्र से संबंधित है। जहां एक सर्वे भू-जल वैज्ञानिकों ने विगत दिनों में किया था और उस अनुसंधान में यह पाया गया कि आने वाले बीस-पच्चीस वर्षों में मालवा और निमाड़ क्षेत्र मरूस्थल में तब्दील हो जाएगा। इसका कारण यह है कि कई वर्षों से अल्प वर्षा के कारण वहां बहुत बुरी स्थिति है। वहां भू-जल स्तर 800, 900, एक हजार फीट तक चला गया है।

महोदया, मेरा अनुरोध है कि बार-बार अल्प वर्षा के कारण नदी जोड़ के बारे में पूरे भारत में आवाज उठती रही है। मेरा अनुरोध है कि मालवा में बहने वाली नर्मदा और शिप्रा नदी, निमाड़ का प्रतिनिधित्व मेरे साथी श्री अरूण यादव करते हैं, मैं मालवा का प्रतिनिधित्व करता हूं, नर्मदा और शिप्रा नदी को प्रायोगिक तौर पर जोड़ने के लिए जल संसाधन विभाग पहल करे, माननीय प्रधानमंत्री जी पहल करें। प्रायोगिक तौर पर यदि हम एक क्षेत्र की नदियों को जोड़ पाएं तो निश्चित रूप से मरूस्थल बनने से मध्य प्रदेश का यह बड़ा अंचल मालवा और निमाड़ बच जाएगा। मेरा आपसे पुरजोर अनुरोध है और आप भी आसन से निर्देश दें, ऐसा मेरा आग्रह है।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह अपने आपको श्री सज्जन वर्मा जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदया, आपने मुझे शून्य काल के तहत चिकित्सा क्षेत्र में व्याप्त अराजकता जैसे लोकमहत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, चिकित्सा क्षेत्र को हमारे समाज में पवित्र व पावन माना जाता है। लोग चिकित्सक को भगवान स्वरूप मानकर पूज्य भाव से सम्मान देते हैं तथा उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बड़े-बड़े कारपोरेट हास्पिटल्स में चिकित्सा के नाम पर लूट हो रही है। मरीज को सिर्फ एक ग्राहक समझा जा रहा है तथा भिन्न-भिन्न तरीकों से उसे लूटा जा रहा है। जरूरत हो या न हो, विभिन्न जांचों के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर बड़ा खर्चा करवाया जा रहा है। मध्यम एवं गरीब लोगों का शोषण हो रहा है तथा वे किसी इलाज से पहले ही आर्थिक कर्ज के बोझ से दबकर अधमरे हो जाते हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 70 प्रतिशत हार्ट की बाईपास सर्जरी अनावश्यक (बिना जरूरी) होते हुए भी हो रही है। मरणासन्न मरीज को, जिसके बचने का कोई चांस न होने पर भी उसे वेंटीलेटर पर रखकर बड़ा बिल बनाया जा रहा है। बाद में मरीज का अवसान हो जाने के बाद हजारों, लाखों रूपये का बिल मरीज के संबंधियों को पकड़ाया जाता है और जब तक बिल की पूरी रकम काउंटर पर जमा नहीं करवाते, तब तक मरीज की डैड बॉडी उसके परिजनों के सुपुर्द नहीं की जाती तथा उनके साथ उस

गमगीन घड़ी में भी रूखा व्यवहार किया जाता है। देश के अधिकतर कारपोरेट अस्पतालों में लोगों को यह कटु अनुभव हो रहा है तथा इन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से आरोग्य विभाग को यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश के गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को ऐसे अनावश्यक खर्चों से बचाया जाये। विगत वर्षों में चिकित्सा क्षेत्र का जो व्यावसायीकरण हुआ है, उसे दूर किया जाये। अंत में मेरा निवेदन है कि चिकित्सा जैसे पावन क्षेत्र में नैतिक मूल्यों की स्थापना हेतु उचित कदम उठाये जायें, जिससे देश में चिकित्सा सुविधाओं से वंचित एक बड़े साधनविहीन वर्ग को इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री पन्ना लाल पुनिया जी अपने आपको श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

SHRI LAXMAN TUDU (MAYURBHANJ): Madam Speaker I thank you from the depth of my heart for giving me this opportunity to say a few words in this august House.

Madam, according to the reply given by the hon. Minister of Steel, Shri Beni Prasad Verma, to my Unstarred Question No. 2773 dated 12.12.2011, I am happy to inform you that as per the National Mineral Inventory, as on 1.4.2010, the reserves/resources of medium to high grade iron ore in Bamanghati Taluka in my parliamentary constituency Mayurbhanj district of Odisha is presently in deposit of 25,803 million tonnes. But I am sorry to say that in spite of availability of such a large reserve of iron ore in my constituency, no private individual/corporate investors have shown any interest in setting up any steel industry/plant including sponge iron factory in my tribal and backward constituency. So, this sector was to be deregulated long back. Because of this, it leads to economic backwardness of the poor tribals of my constituency.

Therefore, I request the hon. Minister of Steel, through you Madam and through this august House, to take necessary steps immediately for setting up a steel industry/plant by the Steel Authority of India Limited (SAIL) in my tribal and backward constituency for the socio-economic upliftment of the poor tribals and the unemployed mass of my constituency.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, देश में करीब 72-74 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं लेकिन बिहार में एक भी नहीं है, जबकि आबादी और पिछड़ेपन के हिसाब से बिहार में कम से कम छः केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने चाहिए। अभी हाल में जो खानापूर्ति के रूप में बिहार को केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिला है, भारत सरकार का कहना है कि गया में उसकी स्थापना करना चाहते हैं। राज्य सरकार की मांग है कि मोतिहारी में वह विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर हो, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि गया में खोलना चाहते हैं। इस प्रकार राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच टकराव की स्थिति है। केवल भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में टकराव की स्थिति नहीं है। वहाँ मोतिहारी और गया के लोगों के बीच भी टकराव की स्थिति है। वहाँ आंदोलन हो रहे हैं।

अभी हमारे बिहार के माननीय सदस्य सवाल उठा रहे थे लेकिन आपके आश्वासन पर सब अपनी सीट पर चले गए। वे जंतर मंतर पर धरना देने गए हैं कि मोतिहारी में होना चाहिए। दुनिया का कोई भी पंच होगा तो वह मानेगा कि बिहार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए वहाँ दो विश्वविद्यालय हों। भारत सरकार का कहना है कि गया में हो, तो वहाँ भी होना चाहिए। राज्य सरकार का कहना है कि मोतिहारी में महात्मा गांधी के नाम पर हो और वहाँ ज़मीन दे दी है। पटना यूनिवर्सिटी की मांग भी बहुत दिनों से चली आ रही है। इसलिए तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिहार में हों तो वहाँ पिछड़ेपन को देखते हुए संतुलन होगा। उत्तर प्रदेश में आठ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और बिहार में एक भी नहीं है। वैशाली में ज़मीन है - प्राकृत की, जैन भगवान महावीर की जन्मभूमि है, इसलिए वहाँ भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, यह हमारी मांग है। सरकार इसमें टकराव हटाने के लिए मोतिहारी, गया तथा पटना में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले तथा वैशाली में डीम्ड यूनिवर्सिटी खोले, वरना वहाँ युद्ध की स्थिति हो रही है। वहाँ संघर्ष हो रहा है। जंतर मंतर पर धरना देने के लिए बिहार के माननीय सदस्य गए हैं। ...(व्यवधान) हुक्मदेव नारायण यादव जी भी गए थे, लेकिन अभी यहाँ आकर बैठ गए और कोई सड़क वाला सवाल यहाँ उठा रहे थे। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि टकराव की स्थिति को छोड़ दे।

महोदया, आप तो सदन की संरक्षक हैं, कस्टोडियन हैं। आप ही पंचायती फैसला कर दें, हम उस फैसले को शिरोधार्य करेंगे कि बिहार में एक विश्वविद्यालय से काम नहीं होगा, दो-तीन विश्वविद्यालय और होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.एल.पुनिया का नाम डॉ.रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किया जाता है।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): अध्यक्ष महोदया, जनपद बिजनौर हीमपुर-दीया में गेहूँ क्रय केन्द्र जो पिछले 20 वर्षों से लगातार चल रहा था, अचानक पिछले साल जिला प्रशासन ने बंद कर दिया और लगातार एफ.सी.आई. अफसरों को कहने के बावजूद, जिला प्रशासन के उस केन्द्र को इस बार चालू नहीं

किया गया। उसकी वजह से जो वहाँ के कम से कम 30-40 गाँव के किसान हैं, उन्हें 16 किलोमीटर दूर जाकर अपना गेहूँ बेचना पड़ रहा है। मैं इस बात के साथ-साथ एक संरक्षण आपसे चाहता हूँ इस संसद में कि ज़ीरो आवर में हम जो मैटर उठाते हैं, वह इमरजैन्सी के मैटर होते हैं। आपकी तरफ से सरकार को टाइम बाउण्ड निर्देश जरूर होना चाहिए कि इसका 24, 48 या 72 घण्टे में क्या कार्रवाई हुई? हम जो बात कह रहे हैं, वह सही है या गलत है? उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है? उसका भी हमें जरूर जवाब मिले, क्योंकि हमारी मज़ाक हर क्षेत्र में उड़ रही है और लोक सभा के सदस्यों का कोई सम्मान बकाया नहीं रह गया है। हम सिर्फ यह कहकर रह जाते हैं कि हमने संसद में बात उठायी है।

महोदया, इसलिए मेरा आपसे बहुत मार्मिक निवेदन है कि हम सांसदों की भी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। हम सांसदों के लिए सिर्फ ज़ीरो ऑवर ही है, जिसमें हम इमरजेंसी का जो भी मैटर हो, कोई एक्सीडैंट हो या जैसा मैंने मैटर उठाया कि गेहूं खरीद मुश्किल से दस-पन्द्रह दिन ही होती है और मुझे खुशामद करते हुए आज बीस दिन हो चुके हैं, लेकिन सैंटर आज तक नहीं लगा। यदि आज मेरी बात को उठाने से सैंटर वहां लगता है तो हमारी साख है, नहीं तो नहीं है। का बरखा, जब कृषि सुखानी, कोई फायदा नहीं होगा।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मैं अपने आपको माननीय सांसद श्री संजय सिंह चौहान द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.20 p.m.

13.21 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twenty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.20 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twenty-Four Minutes Past Fourteen of the Clock.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2012-13
Ministry of Urban Development

MR. CHAIRMAN : Now, we take up Item No.21.

The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 101 to 103 relating to the Ministry of Urban Development..

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants in respect of the Ministry of Urban Development for the year 2012-2013 have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 101 to 103 relating to the Ministry of Urban Development."

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, मैं शहरी विकास मंत्रालय के अनुदान की मांगों की चर्चा में अपने आप को शरीक़ कर रहा हूं और उन मांगों के समर्थन में खड़ा हूं। शहरी विकास के प्रश्न पर लोक सभा में जो पिछली चर्चा हुई थी, वह सन् 1985 का वर्ष था। यानी पिछले 27 वर्षों में हम लोगों ने शहरी विकास मंत्रालय के काम-काज या उनके प्रश्नों के ऊपर कभी भी चर्चा नहीं की। शायद इसका कारण यह है कि हमारा पूरा ध्यान ग्रामीण विकास के ऊपर रहता है और रहना चाहिए, क्योंकि भारत मूलत: ग्रामीण और कृषि प्रधान देश है। हम हमेशा किसानों और गांवों की चिन्ता करते हैं, लेकिन इस चिन्ता में शहरों की चिन्ता करना हम भूल गएए। उसकी वजह यह थी कि शायद शहरों के बारे में बात करना धीरे-धीरे गुनाह सा बनता चला गया। शहर की बात करना, मतलब अमीर की बात करना, गांव के विरोध में हो जाना, गरीब एवं गरीबी के खिलाफ सोचना। दुर्भाग्यवश आज दृश्य एकदम बदल गया है, गांवों से ज्यादा बदत्तर स्थिति हमारे यहां शहरों की है। शहरों के हालात ये हैं कि वहां पर लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहां पर लगातार जिन्दगी जीने की जो व्यवस्था होती है, वह बदत्तर होती चली जा रही है। वहां न दो रहने के लिए घर है, न साफ-सुथरे एवं अच्छे रास्ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बेकार है। हमारे यहां शहरों में सोलिड वेस्ट का जो अत्याचार हो रहा है, उसका बखान करना मुश्किल है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। ऐसे में शहरों की समस्या लगातार बड़ी होती चली जा रही है, जब कि शहरों का अपना योगदान अगर हिन्दुस्तान की आर्थिक गतिविधियों में देखा जाए तो एक जबरदस्त योगदान है। आज इस समय पूरी जीडीपी में साठ प्रतिशत के आसपास सिर्फ शहरों का योगदान है। आने वाले बीस वर्षों में जो स्थितियां बनेंगी, उस हिसाब से 75 प्रतिशत भारत के जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन होगा, वह शहरों की तरफ से आएगा। अगर दस नौकरियां तैयार होंगी तो उनमें से सात नौकरियां शहर की तरफ से तैयार की जाएंगी। यानी इन शहरों का अपना एक महत्व है। इन शहरों में बड़े पैमाने पर कर देने वाले रहते हैं और इन शहरों में जो काम-काज एवं गतिविधियां चल रही हैं, आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं, उन गतिविधियों का असर यह है कि कहीं न कहीं गरीबी को कम करने की दिशा में एक प्रयत्न हो रहा है। ऐसे में शहरों के विकास के लिए, शहरों के ऊपर जो नीति बननी चाहिए थी, वह नीति अर्से से नहीं बनी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि यूपीए सरकार का डेवेलपमेंट या पॉलिसी का जो पूरा फोकस रहा है, वह ज्यादातर ग्रामोन्मुख रहा है या रूरल सेंट्रिक रहा है। अरबन सेंट्रिक पॉलिसी मेकिंग हमारे यहां बहुत कम हुई। मैं एक स्कीम, कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहूंगा और वह है जेएनएनयूआरएम, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल स्कीम, निश्चित तौर वह मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस मिशन के माध्यम से थोड़ा-बहुत शहरों में बदलाव आया है, लेकिन पूरे अरबन डेवेलपमेंट मिनिस्ट्री के काम-काज को देखा जाए, इस समय शहरी क्षेत्रों के जो दो बड़े प्रश्न हैं, वे दो बड़े प्रश्न इनके पास हैं ही नहीं। एक है पावर्टी एलिविएशन, यानी गरीबी उन्मूलन का विषय और दूसरा हाउसिंग का विषय है। ये दो विषय छोड़ बाकी सारे विषय इनके पास हैं। जब कि शहरों की सबसे बड़ी समस्या यही रह गई है तो मैं सबसे पहले यह अपेक्षा एवं मांग करूंगा कि आदरणीय मंत्री जी प्रधान मंत्री जी के साथ बात करके इन दोनों विषयों को सबसे पहले अरबन डेवेलपमेंट मिनिस्ट्री में शामिल करने का प्रयत्न करें, यह मेरा पहला आग्रह रहेगा। दूसरा, जेएनएनयूआरएम की तरफ से जो काम चल रहा है, यह निश्चित तौर पर बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है, विशेषकर बसों के एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट के संदर्भ में, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन का एक प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर फंडिंग की बात करें तो बहुत थोड़ी सी फंडिंग है। पूरे सात वर्षों में, जब यह मिशन सन् 2005 में शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक बड़े शहरों के लिए, जिन्हें हम मेघा सिटीज़ कहते हैं, ऐसे 65 मेघा सिटीज़, जिनमें सात मेट्रो हैं।

मुम्बई दिल्ली जैसे शहर हैं और बाकी जो 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले 20 शहर हैं और भी उसके बाद में जो और शहर हैं और उसके बाद में तमाम शहरों के लिए जो बजट आया, जो इनको बजट एलोकेशन हुआ है, वह कुल मिलाकर 42,900 करोड़ रुपये है, यानि सात वर्षों में शहरी विकास मंत्रालय के हिस्से हिन्दुस्तान के सैंकड़ों शहरों के विकास के लिए, मेरे ख्याल से इस समय सात हजार के आसपास छोटे-बड़े शहरों की संख्या देखी जाये तो उन शहरों के विकास के लिए 42,900 करोड़ रुपये में से 31,500 करोड़ रुपये मेगा सिटीज़ को चले गये यानि 65 जो बड़े शहरों का कार्यक्रम है और इसमें से 11,400 करोड़ रुपये छोटे-छोटे शहरों में गया है। अगर मैं इसके लिए एक मुहावरे का इस्तेमाल करूं तो यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इससे हुआ कुछ नहीं और हमारी सरकार की तरफ से शहरी विकास मंत्रालय का पूरा जो एलोकेशन है, वह पूरे जी.डी.पी. का 0.1 परसेंट है, जो एकदम से नगण्य माना जाना चाहिए। इनकी डिमांड है और मेरे ख्याल से जो पांचवां प्लान है, उसमें ऐसी एक अपेक्षा है कि 0.25 परसेंट का एनुअल एलोकेशन होना चाहिए, जो कि 1,75,000 करोड़ रुपये के आसपास है और 1.75 लाख करोड़

भी कोई बहुत बड़ा एमांउट नहीं बनता है। फिर भी इससे उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में शहरों के विकास का एक कार्यक्रम अच्छे ढंग से लागू हो सकता है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. को बहुत ईमानदारी से, निष्ठा के साथ लागू करने का प्रयत्न हो रहा है, लेकिन जैसी अपेक्षा थी, जितनी अपेक्षा है, उतनी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। हमारी स्टेंडिंग कमेटी की एक जो रिपोर्ट आई है, स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में स्टेंडिंग कमेटी ने मंत्रालय से पूछा था कि एग्जैक्टली कितने प्रोजैक्ट्स आपने लागू किये और कितने प्रोजैक्ट्स आपके कम्पलीट हुए हैं तो पिछले सात वर्षों में जो यू.आई.जी. प्रोजैक्ट्स हैं, जो बड़े शहरों के लिए हैं, उनमें से 555 प्रोजैक्ट्स इन्होंने सैंक्शन किये हैं, 127 प्रोजैक्ट्स अभी तक फिजीकली कम्पलीट हुए हैं और लगभग 423 प्रोजैक्ट्स अभी भी अंडर कम्पलीशन हैं, मतलब अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और उसका कारण जो पूछ रहे हैं, उन कारणों में जो बड़े-बड़े कारण निकलकर आये हैं कि एन.ओ.सी. नहीं मिल रही, क्लियरेंस नहीं मिल रही, शिफ्टिंग की प्रोब्लम हो रही है और जब शिफ्टिंग का कारण मैंने यहां पढ़ा तो मुझे लगा कि पूरे शहरों में जो विकास का कार्यक्रम चल रहा है, इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें यकीनन आने वाले दिनों में हमको बहुत गम्भीरता से जो लोग विकास के कार्यक्रमों से प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों को कहां शिफ्ट करना है, कैसे शिफ्ट करना है, कितने साल पुराने लोगों को शिफ्ट करना है, करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में एक साफ-सुथरी नीति बननी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज ऐसा हो रहा है कि शहरों में जब हम रोड बना रहे हैं या पुल बना रहे हैं या फिर एक कोई दूसरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो ऐसे जो घर वाले प्रभावित होते हैं या तो उनकी दुकानें और घर बन्द करने का आदेश हो जाता है या फिर उनको उस जगह से 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जाता है, जिसका वे विरोध करते हैं। उस विरोध की वजह से इस तरह के जो विकास के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में एक प्रकार का अवरोध हो रहा है और इसके बारे में एक क्लियर कट पॉलिसी चाहिए, ऐसा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के साथ-साथ एक स्कीम, जो मंत्रालय की एक बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम है, उस बारे में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं। वह कम्युनिटी पार्टीसिपेशन फंड है। इस स्कीम की जानकारी इस देश में बहुत कम लोगों को है। अगर ध्यान से देखा जाये तो मंत्रालय में भी बहुत कम लोगों को होगी। यह स्कीम यह कहती है कि पूरे देश में शहरी क्षेत्र में कोई भी एन.जी.ओ., कोई भी आर.डब्लू.ए. (रेज़ीडेंट्स वैलफेयर एसोसिएशन), अगर मुम्बई की भाषा में कहूं तो हाउसिंग सोसायटी के लोग या फिर नौजवानों की जो एसोसिएशन होती है, मंडल होते हैं, स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसी ऐसोसिएशन अगर चाहें तो एक पर्टिकुलर एरिया में खास पोलिंग बूथ के एरिया में डैवलपमेंट का कोई प्रोजैक्ट बनाने के लिए या ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम हो या इस तरह का फिर क्रेस्ट हो, कोई स्कीम बनाने

के लिए 10 लाख रुपये का फंड सैण्ट्रल गवर्नमेंट से ले सकती हैं, लेकिन उसके लिए जो शर्त रखी गई है, वह शर्त इतनी भयंकर है, इतनी कठिन है कि इस शर्त को शायद मुम्बई में तो आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया, जबकि मैं तीन वर्षों से प्रयास कर रहा हूं। शर्त यह है कि पूरे पोलिंग बूथ में जितने वोटर्स होते हैं, उसके 51 परसेंट वोटर्स के सिग्नेचर्स चाहिए। अब अगर एक हजार वोटर हैं तो 500 वोटर्स के सिग्नेचर्स लेना, मंत्री जी, बहुत मुश्किल है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें आम आदमी का सचमुच पार्टीसिपेशन हो सकता है और आपका पैसा, मंत्रालय का पैसा सही मायने में लोगों तक पहुंचेगा, लाभार्थी तक पहुंचेगा तो इस पूरी स्कीम के संदर्भ में जो आपका 50 प्रतिशत वोटरों के सिग्नेचर्स का आग्रह है, उसको कम करके 10 प्रतिशत करिये। मैं वायदा करता हूं कि आने वाले दिनों में दो वर्षों के अन्दर इस फंड का जबरदस्त इस्तेमाल होगा। इसमें चुने हुए नुमाइंदे की भी जरूरत नहीं है। जो आरडब्ल्यूएज हैं, जो हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी हैं, उनको सिर्फ निवेदन बनाकर भेजना है। उस निवेदन के आधार पर आपकी तरफ से फंड रिलीज होगा। वह फंड किसी एमपी या एमएलए के पास नहीं जाएगा। वह सीधे सोसाइटी के एड्रेस पर, सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी के एकाउंट पर जाएगा। आपके गोआ जैसे प्रदेश में भी इसका बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में, कुछ छोटे-छोटे शहर हैं, कीर्ति भाई के दरभंगा जैसे शहर में इसका जबरदस्त प्रयोग हो सकता है। इस स्कीम को निश्चित तौर पर थोड़ा सा लिबरल बनाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा। समस्याएं क्या-क्या हैं? जो समस्याएं हैं, वही मंत्रालय के सामने एक चुनौती के तौर पर खड़ी हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए निश्चित तौर पर हमें बहुत गंभीरता से पहले समस्याओं को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या शहरों में जो है, वह पॉपुलेशन की समस्या है। गांवों में विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से माइग्रेशन हुआ, बड़े पैमाने पर लोग गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि हमारे देश में इस समय शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा शहर अगर किसी प्रदेश में हैं तो वह तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है और तीसरे नम्बर पर गुजरात है। संख्या जो इस समय है, 43 परसेंट तमिलनाडु है, 42 परसेंट महाराष्ट्र है और 37 के आसपास गुजरात है। इन तीन राज्यों की स्थिति यह है और उसके बाद धीरे-धीरे बाकी राज्यों की भी यही स्थिति होगी। एक आंकड़ा ऐसा है कि वर्ष 2001 में जब 102 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन थी, हमारी लोक संख्या थी, उस समय अर्बन एरिया में जो लोक संख्या थी, वह 28 करोड़ थी। वर्ष 2011 में बढ़कर जब पूरे देश की आबादी 121 करोड़ हुई, तब 37 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन थी, जो कि 31 प्रतिशत थी। ऐसा एक अनुमान है, एक सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट आयी है कि वर्ष 2030 में जो शहरी लोक संख्या होगी, वह 57 करोड़ के आसपास होगी, यानी अपने देश के 57 करोड़ लोग बेसिक सुविधाओं के अभाव में एक नरक की जिन्दगी जी रहे होंगे, अगर हम लोगों ने

समय रहते इस बारे में एक ठोस निर्णय नहीं लिया तो, अगर इन शहरों के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से पर्याप्त फंडिंग नहीं हुयी तो। जो सर्वे हुआ, उसमें बताया गया कि इन शहरों के विकास के लिए आने वाले बीस वर्षों में जो हमें फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वह लगभग 39 लाख करोड़ रूपए की आवश्यकता है। अगर एवरेज देखा जाए तो दो लाख करोड़ रूपए से ज्यादा प्रतिवर्ष होगा, क्योंकि आने वाले दो दशक के दो साल निकल चुके हैं, तो लगभग दो लाख करोड़ के आसपास हमें जरूरत है और मैं सही मानता हूं कि प्लानिंग कमीशन के पास मंत्रालय ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, अपना आग्रह भेजा है, उसमें लगभग 0.25 परसेंट जीडीपी का मांगा है, लगभग एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ रूपए की जो डिमांड है, वह वाजिब है। मैं उस वाजिब डिमांड का समर्थन करता हूं और मैं आग्रह करूंगा कि प्लानिंग कमीशन शहरों के विकास के लिए इस मांग को पूरा करे और शहरों का विकास हो सके।

इन शहरों के विकास के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहर हमारे सामने आते हैं। मैं मुंबई को जी रहा हूं, भोग रहा हूं, मुंबई की तकलीफ को मैं जानता हूं। मुंबई की हालत यह है कि अभी यहां की पॉपुलेशन दो करोड़ के आसपास हो गयी है। दो करोड़ पॉपुलेशन के बाद जो सबसे बड़ी तकलीफ है, वह यह है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वह इस समय हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, एक नंबर पर मुंबई है और दो नंबर पर कोलकाता है। 27,300 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लंदन में अगर यही पॉपुलेशन डेंसिटी का आंकड़ा ढूंढेंगे, तो 1,200 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, कोलकाता में 24,000 के आसपास लोग रहते हैं, दिल्ली में थोड़ा सा कम है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ फैलने की थोड़ी जगह है। मुंबई जैसे शहर जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हाई है, उन शहरों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि हाउसिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जो इस मंत्रालय का हिस्सा नहीं है, उसके पीछे कहने का अर्थ यह है कि लगभग साठ प्रतिशत लोग मुंबई में झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, दिल्ली की बात करें, तो 18 से 20 प्रतिशत के आसपास लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। उन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की जो जिंदगी है, बहुत ही बद्तर है। ऐसे में अगर हाउसिंग हमने अपने हाथ में लिया तो इन झोपड़-पट्टियों के विकास के कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से आगे बढ़ाया जा सकता है।

दूसरा जो बड़ा प्रश्न शहरों का है, वह ड्रिंकिंग वाटर का मामला है, पीने के पानी का विषय। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शहर नहीं है, जहां पर पूरे दिन घर में पीने का पानी उपलब्ध हो यानी नल से 24 घंटे पीने का पानी सप्लाई का आता हो, ऐसा कोई शहर अभी नहीं है। यह एक बहुत बड़ा सच हिंदुस्तान का है। सिर्फ बीस ऐसे शहर हिंदुस्तान में हैं, जहां मुश्किल से तीन से चार घंटे पीने का पानी नल से उपलब्ध होता है। सबसे ज्यादा पानी की सप्लाई अपने लोगों को देने वाला कोई शहर हिंदुस्तान में

है, तो एक नंबर पर इस समय चंडीगढ़ है, लेकिन चंडीगढ़ भी 12 घंटे से ज्यादा पानी एक दिन में नहीं दे पाता है और सबसे कम दुर्भाग्यवश गुजरात में राजकोट है, जहां मुश्किल से तीस मिनट पानी चौबीस घंटे में मिलता है। शहरों में रहने वाले लोगों को पानी देने का जो पूरा कार्यक्रम है, उसमें हम पूरी तरह से फेल हो गए हैं। मेरा आग्रह होगा कि पीने के पानी के सप्लाई के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। मैं मुंबई का दुःख-दर्द आपको बताऊं तो मुंबई में चार हजार तीन सौ एमएलडी पानी हम को चाहिए। इस समय हम लोगों को सिर्फ तीन हजार एक सौ तिरानवे एमएलडी पानी मिल रहा है। इंटरनेशनल नॉर्म्स जो यूएनओ वगैरह बनाते रहते हैं कि कितना पानी पर-कैपिटा होनी चाहिए, रोज कितना पानी मिलना चाहिए तो एक सौ पचास लिटर पानी हर रोज एक आदमी को मिलना चाहिए। मुंबई में सिर्फ पैतीस लीटर पानी लोगों को मिलता है। दस साल पहले वहां पचास लीटर पर-कैपीटा के आस-पास हिसाब किताब था। शहरों में पीने का पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और जब मैं विशेष रूप से ध्यान देने की बात करता हूं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर हमको फोकस करनी चाहिए। जो रिंग वेल बनाने का स्कीम है उसके ऊपर फोक्स करना चाहिए। मुझे मालूम है कि अर्बन डेवलप मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों को जो अलग-अलग सुझाव दिए हैं आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर सुझाव दिए हैं लेकिन सोसायटी वालों के पास पैसे नहीं हैं। जब बिल्डिंग बनाने का परमिशन देते हैं तो कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग तभी कंप्लिट होगी जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम लागू करेंगे। उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। ऐसे में मैं कम्यूनिटी पार्टी कम्यूनिकैशन फंड की बात मैं कर रहा हूं उसमें ऑलरेडी ड्रिकींग वाटर की योजना है, लागू है, मानी जाती है उसमें अगर आपने कह दिया कि तमाम सोसायटियां और आरडब्ल्यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने लिए कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर उस फंड के माध्यम से सभी के लिए पीने के पानी का वैकल्पिक इंतजाम हो सकता है। ऐसा मेरा आग्रह है। ...(व्यवधान)

हमारे अलग-अलग शहरों में जो पुराने लेक्स हैं उन लेक्स के लिए फंड कौन देता है उनके लिए फॉरेस्ट एण्ड एनवायरन्मेंट मिनिस्ट्री फंड देता है। कायदे से इस मंत्रालय के पास यह व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे, मुंबई में सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो वहां बारह छोटे-छोटे तालाब हैं। ये तालाब नेचुरल वाटर स्प्रींग होते हैं। इन तालाबों को डेवलपमेंट के जोश में लोग इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि लोग तालाब को भर कर गार्डन बना देते हैं। हमारे एक साथी ने गार्डन बना दिया। बाद में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि अपने पैसे से खोद कर तालाब बनाओ। मैं बारह तालाबों का सुझाव दे रहा हूं कि इन तालाबों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, इन तालाबों के विकास के लिए शहरी विकास मंत्रालय को पूरे देश में काम करना चाहिए। मैं अपने यहां के बारह तालाबों का प्रस्ताव आपके समक्ष रख रहा हूं। यह बहुत महंगा प्रस्ताव नहीं है। पांच-दस लाख रूपये में इन तालाबों का डेवलपमेंट हो सकता है। इन तालाबों के माध्यम से जो

महानगरपालिकाएं हमें पानी देती हैं उसके अतिरिक्त पीने के पानी का एक वैकल्पिक व्यवस्था और पानी का जो अलग-अलग इस्तेमाल है उसके लिए हो सकता है। ऐसा मेरा एक सुझाव है।

दूसरा, जो एक बड़ी समस्या हमारे देश में है वह है सॉलिड वेस्ट का। पूरे देश में इस समय कितना सॉलिड वेस्ट जमा हो रहा है। मैंने जब ढूंढना शुरू किया तो तीन करोड़ टन प्रति वर्ष हमारे देश में सॉलिड वेस्ट तैयार होता है। इसके डिस्पोज करने का अगर कोई सिस्टम होगा, टेन टू ट्वेन्टी परसेंट के आस-पास डिस्पोज होता है और बाकी सारा कचरा पड़ा हुआ है। इस समस्या से विशेष कर छोटे-छोटे शहर जूझ रहे हैं। कीर्ति भाई मेरे दोस्त हैं। मैं अचानक बोल गया लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सचमुच एक दिन मैं बिहार में रात को आप के ही शहर से गुजर रहा था। मैं रात एक बजे मधुबनी शहर से लौट रहा था। मैंने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ कचरे पड़े हुए हैं। वे सड़े हुए हैं। उनसे बीमारी फैल रही है। वे शहर को बदसूरत बना रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई मेजर प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम ही नहीं है। जेएनएनआरयूएम में अब तक जो 127 स्कीम्स पूरे हुए हैं उसका जब मैंने स्टडी किया तो उसमें सिर्फ एक सॉलिड वेस्ट का है और संयोग ऐसा है कि वह हमारे निर्वाचन क्षेत्र मुंबई के बोरीवली का है। मुंबई के वेस्टर्न सबअर्बन एरिया का जितना कचरा जमा होता है उसको वहां डम्प कर देते हैं और बाद में उसी सालिड वेस्ट से पावर मैन्यूफैक्चर करने का प्रोग्राम चल रहा है। एक मेगावाट का पावर मैन्यूफैक्चर प्लांट डाल दिया है लेकिन आज अगर मुंबई शहर में हिसाब-किताब लगाएं तो डेली सात हजार आठ सौ मिट्रिक टन सालिड वेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। इसको नष्ट करने का कोई व्यापक इंतजाम नहीं है। मुंबई के अलग-अलग इलाकों में जो कचरा डम्प किया जा रहा है वे सब बस यूं ही पड़ा हुआ है। ऐसे में शहरी विकास मंत्रालय को सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में बहुत आक्रामक तरीके से अपनी योजनाएं बनानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फंडिंग देनी चाहिए ताकि शहरों में सालिड वेस्ट का प्रोग्राम अच्छे ढंग से लागू हो सके। यह मेरा आग्रह होगा। उसके बाद जो मेडिकल वेस्ट होता है जिसको बायो मेडिकल वेस्ट कहते हैं। अस्पतालों में इस्तेमाल के बाद निडल, इंजैक्शन और बाकी इतनी सारी चीजें बाहर फेक देते हैं उसका डिस्पोज करने का कोई इंतजाम नहीं है। मेरा आग्रह होगा कि जो अस्पताल अपने अस्पताल के इस्तेमाल में आई हुई चीजों का कचरा बाहर फेंक रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि उससे पूरे शहरों में जो नुकसान हो रहा है, वह रुक सके। उन अस्पतालों की जवाबदारी है कि उन सॉलिड वेस्ट को नष्ट करने का पूरा इंतजाम करे, क्योंकि वह उनका कमर्शियल धंधा है। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी-बड़ी चिमनियां लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगी हुई हैं जिनका कचरा शहर की नदी में जा रहा है। आपको मालूम होगा कि मुम्बई की मीठी नदी काफी बड़ी थी जो बाद में नाले में बदल गई। उसी नदी के नाले में बदलने के बाद काफी बड़ा तूफान आया, शहर में काफी तकलीफ हुई।

नदियां नाले में कैसे बदल रही हैं, सॉलिड वेस्ट जो नदियों में फेंका जा रहा है, यह उसी का नतीजा निकलकर आ रहा है। इसलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट के संदर्भ में एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे शहर और दूसरे कई शहरों में प्लास्टिक बैन है, लेकिन इसके बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल चल रहा है। जो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्लास्टिक के थैले में अपना सामान बेचते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। सिर्फ बैन कर देना, बैन करने के लिए एनाउंसमैंट कर देना काफी नहीं है, वह निर्णय लागू हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसका ख्याल रखने की पहली और अंतिम जवाबदारी शहरी विकास मंत्रालय की है। वह चाहे तो पुलिस महकमे, राज्य सरकार और म्युनिसिपैलिटी से नियमित तौर पर बात करके प्रभाव डाल सकते हैं।

ड्रेनेज के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल से पूरे हिन्दुस्तान में 60 से 70 प्रतिशत के लगभग ड्रेनेज ऐसे हैं जो खुले पड़े हैं। नालियां खुली पड़ी हैं। उन्हें कवर करने का कोई इंतजाम नहीं है। अव्वल तो नालियां ही नहीं हैं और जहां हैं, वे खुली पड़ी हैं। ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए मैं विशेष तौर पर आग्रह करना चाहूंगा। इस समय मुम्बई में जो ड्रेनेज सिस्टम है, वह एक सौ साल पुराना है। किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। जुलाई, 2005 में 940 एमएम के आसपास वर्षा हुई जिसमें पूरी मुम्बई डूब गई। तब लोगों ने छानबीन की कि क्या कारण है तो पता लगा कि अंग्रेजों ने जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, उससे अगर एक घंटे में 25 एमएम वर्षा होगी वह तभी पास हो सकती है, अगर उससे ज्यादा वर्षा हो गई तो पानी पास होने में एक घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। दुर्भाग्यवश उस दिन 944 एमएम वर्षा हुई थी जिसकी वजह से दस घंटे से ज्यादा समय लग गया और हाहाकार मच गया। तब कांग्रेस अध्यक्षा, यूपीए चेयरपर्सन मुम्बई आई थीं। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। लोगों ने बताया कि पूरे ड्रेनेज सिस्टम को चेंज करना जरूरी है। उन्होंने पूछा कि इसमें कितना खर्च आएगा। बीएसयूपी के पास पूरा प्रपोजल था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। यह पता लगा कि इसके लिए 1600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। कांग्रेस अध्यक्षा ने वहीं पर घोषणा की कि मैं केन्द्र सरकार से बात करके इस स्कीम के लिए मुम्बई शहर को जितनी फंडिंग चाहिए, वह सारी फंडिंग करवाऊंगी। सैंट्रल गवर्नमैंट ने मंत्रालय के सारे कार्यक्रम से बाहर निकलकर 1600 करोड़ रुपये दिए। लेकिन 25 एमएम का ड्रेनेज सिस्टम बढ़कर सिर्फ 50 एमएम हो रहा है। अगर अभी भी वर्षा काफी तेज हो गई तो मुम्बई को डूबना ही है। टीवी चैनल वाले दिखाते हैं कि मुम्बई डूब गई, सरकार कुछ नहीं कर रही है, मंत्रालय फेल हो गया, कार्पोरेशन फेल हो गया, लेकिन सच यह है कि ड्रेनेज सिस्टम की पूरी स्ट्रैन्थ बहुत कम है। अगर उसे बढ़ाएंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा 50 एमएम कर सकते हैं, उससे ज्यादा होना संभव नहीं है।

मंत्री जी, मैंने आपके सामने हाउसिंग के संदर्भ में विषय रखा था। एक बीयूपीसी स्कीम है जो दूसरे मंत्रालय के पास है। उसके तहत यह है कि जब सर्वे होगा, उस समय जो घर में होगा, उसे घर देना है। मुम्बई में आज तक यह स्कीम लागू नहीं हुई। बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि फंडिंग आई, यह आई, लेकिन आज तक यह स्कीम लागू नहीं हो पाई। मेरा आग्रह होगा कि इस स्कीम को शहरी विकास मंत्रालाय के तहत लिया जाए। झोपड़-पट्टियों के विकास के लिए जो योजना है, हमने राजीव आवास योजना बनाई, उसकी घोषणा की। हमने कहा था कि पांच साल में स्लम फ्री हिन्दुस्तान बनाएंगे, लेकिन आज तक यह स्कीम शुरू भी नहीं हो पाई। उसके टेक्नीकल कारण क्या हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मंत्री जी के मंत्रालय का विषय नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि राजीव आवास योजना के पूरे इम्प्लीमैंटेशन का प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डैवलपमैंट के पास आए ताकि ईमानदारी से इसका इम्प्लीमैंटेशन हो और उसके जरिए झोंपड़-पट्टियों में रहने वाले लोगों को अच्छा जीवन मिल सके।

बेरोजगारी दूर करने के लिए हम मनरेगा जैसी स्कीम लाए। यह एक बहुत ही सफल कानून, व्यवस्था है और उसका लाभ गांव-गांव में लोग उठा रहे हैं। उसमें लोग तरह-तरह के कमैंट कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि हिन्दुस्तान के गांवों में मनरेगा ने क्रान्ति की है। आज वैसी ही बेरोजगारी शहरों में भी है। शहरों में भी मनरेगा जैसी स्कीम होनी चाहिए। स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना है, लेकिन उसका एक भी लाभार्थी आज तक मुझे मुम्बई में नहीं दिखा। शहरों में पावर्टी एलिविएशन और इम्प्लॉयमैंट जनरेट करने की हमारे पास जो स्कीम है, उसके पास एक साल के लिए 900 करोड़ रुपये का फंड होता है। 900 करोड़ रुपये में क्या होना है? इस स्कीम में थोड़ा ध्यान दिया जाये और शहरों में रोजगार सृजित करने और शहरों के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के संदर्भ में इस स्कीम को आप अपने मंत्रालय के जरिये लागू करें, ऐसा मेरा आग्रह होगा। यदि हम शहरी व्यवस्था की बात करें और शहरों में रहने वाले लोगों की बीमारी की चर्चा न करें, तो पूरी चर्चा अधूरी रह जायेगी। आज मुम्बई, दिल्ली या किसी भी शहर में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ बीमारी और बीमारी का महंगा इलाज है। शहरों में दो तरह के अस्पताल हैं--सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल। अगर आप सरकारी अस्पताल में जायेंगे, तो फ्री में इलाज हो जायेगा, लेकिन आप ठीक होंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। यदि आप प्राइवेट अस्पताल में जायेंगे, तो आप ठीक हो जायेंगे, यह सही है। लेकिन इतना भारी बिल होगा कि घर आते-आते दोबारा बीमार पड़ जाते हैं। गरीब लोगों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है या अपना गहना या घर गिरवी रखना पड़ता है। ऐसे में जिस प्रकार से एनआरएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना) स्कीम है, बिल्कुल उस प्रकार की स्कीम अगर शहर में रहने वाले लोगों के लिए लागू हो, तो शहर के गरीब लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत मिल

सकती है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि शहरी विकास मंत्रालय कहीं न कहीं शहरों मे रहने वाले गरीब लोगों की हैल्थ के बारे में चिंता करे। उसके संदर्भ मे कोई स्कीम हो सके, तो बनायें ।

अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना शुरू की है, जिसके तहत डेढ़ लाख रुपये का मेडिकल एंश्योरेंस फ्री में लोगों को दे रहे हैं। ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड ऑरेंज या पीले कलर का है, यानी लगभग सवा दो करोड़ राशन कार्ड होल्डर ऐसे हैं, पूरे महाराष्ट्र की आबादी साढ़े नौ करोड़ है, सवा दो करोड़ मतलब आठ-साढ़े आठ करोड़ लोगों को हम कवरेज दे रहे हैं। इस स्कीम के माध्यम से 800 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमैंट अपनी जेब से दे रही है ताकि गरीब लोगों को, इस वर्ग को पूरी तरह से मेडिकल कवर मिल सके। मेरा आग्रह है कि मेडिकल एंश्योरेंस जैसी स्कीम को शहरी विकास मंत्रालय चाहे तो अपने हाथ मे लेकर हिन्दुस्तान के अलग-अलग शहरों मे रहने वाले लोगों के विकास, विस्तार के लिए उसका उपयोग कर सकती है।

अंत में मेरे एक-दो विषय और रह गये हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ट्रांसपोर्टेशन का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऑटो वाले कब स्ट्राइक कर देंगे, मालूम नहीं। टैक्सी वाले कब स्ट्राइक कर देंगे, मालूम नहीं। मुम्बई में जो लोकल ट्रेनें हैं, वे लगभग 74 लाख लोगों को प्रतिदिन ढोती हैं। लोकल ट्रेनों में लोग जिस तरह से सफर करते हैं, वह सफर नारकीय जिंदगी को भी शर्मसार कर दे। ऐसे में बसों की व्यवस्था होनी चाहिए। बसों की व्यवस्था में आपने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आपने तमाम बड़े-बड़े शहरों को, विशेषकर मेगा सिटीज को अच्छी वॉल्वो बसें दी हैं। इन बसों की व्यवस्था को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आग्रह यह होगा कि इन बसों को देते समय आप वहां के महानगर पालिका के साथ एक आग्रह रखिए कि जितनी बसें दे रहे हैं, उसके अनुपात में आप रास्तों का भी विस्तारीकरण कीजिए। उनकी भी वाइडनिंग कीजिए, रास्ते बनाइये, वर्ना यह हो रहा है कि बसें तो आ-जा रही हैं, लेकिन रास्ते बढ़ नहीं रहे हैं। उन्हीं रास्तों में अगर ये बसें चलेंगी तो रास्तों में और भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जायेगी। ट्रैफिक की बसों और ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की वजह से समस्या है, उसे दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है, ऐसा मेरा आग्रह होगा।

मैट्रो के संदर्भ में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली मैट्रो आपकी मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी सक्सैस स्टोरी है। इसके लिए मैं पूरे मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा। आप कई और राज्यों में भी मैट्रो लेकर आना चाहते हैं। हमारे यहां अनोखा मैट्रो आ रहा है। बाकी जगह अर्बन डेवलपमैंट मिनिस्ट्री अपनी मैट्रो लेकर आ रही है, लेकिन हमारे यहां वह पीपी प्रोजैक्ट है। पीपी प्रोजैक्ट के लिए आप वीजीएफ (वायेबिलिटी गेप फंड) देते हैं। जब आप वायेबिलिटी गेप फंड देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका इंटरवैंशन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। दुर्भाग्यवश आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे घर से 50 मीटर दूर पहली

मैट्रो स्कीम आ रही है। वह मैट्रो प्रोजैक्ट वर्सोवा से घाटकोपर के लिए वर्ष 2011 में पूरा होना था, लोकिन अब वर्ष 2012 आ गया है। यह कहा नहीं जा सकता कि वह कब पूरा होगा। उसके पूरा नहीं होने की वजह से जहां-तहां खुदाई हो रखी है। इसके कारण सोसायटी में रहने वाले लोगों की जिंदगी नरक जैसी है। किसी की भी दुकान वे सैट बैक में ले लेते हैं। लोग 50, 60 और 70 साल से दुकान चला रहे हैं और अचानक एक नोटीफिकेशन आ जाता है कि इस रास्ते से मैट्रो गुजरेगी, इसलिए आपको दुकान बेचनी पड़ेगी। आप दुकान खाली करके जाइये। जो लोग तीन-तीन जनरेशन से उस दुकान से धंधा, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि मैट्रो के लिए या किसी भी डेवलपमैंट ऑफ प्रोजैक्ट के लिए उसे अपनी दुकान खाली करनी है, तो उसे एक वायेबल बिजनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसे आप नहीं कर सकते कि यहां से 50 किलोमीटर दूर मुम्बई से बाहर एक दुकान खोल लो। वहां दुकान कैसे चलेगी? यह जो पूरा मैट्रो का प्रोजैक्ट है, जिसके इम्प्लीमैंटेशन का आपका कार्यक्रम चल रहा है, उसमें थोड़ा सा मानवीय नजरिया एप्लाई करने की आवश्यकता है।

आपकी जो बीआरटीज़ की स्कीम थी, वह बहुत अच्छी स्कीम थी। मैं अहमदाबाद को बधाई देना चाहूंगा। बीआरटीज़ के क्षेत्र में अहमदाबाद एक बहुत बड़ी सक्सैस स्टोरी है। बहुत अच्छा बीआरटीएस वहां लागू हुआ, लेकिन अहमदाबाद के अलावा हिन्दुस्तान के किसी भी शहर में लागू नहीं हो पाया। दिल्ली में बहुत ही जोश के साथ इसको शुरू किया गया था, लेकिन कार वाले, मोटर वाले, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, उनके विरोध की वजह से रुक गया। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि बीआरटीएस दिल्ली में भी लागू हो, बढ़िया से लागू हो और मुंबई जैसे शहर में भी जब आप बसें देते हैं, तो उस के साथ-साथ ऐसा प्रॉविजन कीजिए कि वहां भी बीआरटीएस लागू हो। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि शहरों में रहने वाला वर्ग पढ़ा-लिखा वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके अंदर एक जबर्दस्त फ्रस्ट्रेशन आ रह है। ठीक है, उस फ्रस्ट्रेशन के कारण हम भ्रष्टाचार और महंगाई देखते हैं, यह एक कारण हो सकता है और है भी। लेकिन उससे भी बड़ा एक कारण यह है कि उसको जो नागरिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिंदगी जीने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसके बावजूद कि वह नियमित तौर पर टैक्स देता है, वह नियमित तौर पर टैक्स देने के लिए तैयार है, उसकी वजह से उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है, उसको समझने और पहचानने की आवश्यकता है। पिछले साल अलग-अलग मुद्दों पर जो सामाजिक आंदोलन शुरू हुए, उनमें सबसे ज्यादा भागीदारी शहरी लोगों की थी और भागीदारी इसलिए थी क्योंकि वे निश्चित तौर पर एकदम कुंठित हो चुके हैं अपनी जिंदगी की व्यवस्थाओं से, उन व्यवस्थाओं को बेहतर करना और शहर में रहने वाले लोगों को अच्छा जीवन देना आपकी एक जवाबदेही बनती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में, जब जेएनएनयूआरएम दो साल के लिए बढ़े और उसके बाद फिर

पांच साल बढ़े, जब यह व्यवस्था हो, तो शहरों के विकास के लिए, शहरी लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाएं, उन योजनाओं को लागू करें। जेएनएनयूआरएम जैसी योजना को लागू करने के लिए उसके समय मॉनीटरिंग का एक प्रपोजल था कि उसकी मॉनीटरिंग और विजिलेंस कमेटी होगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की तरह शहरी क्षेत्र के एमपीज सदस्य होंगे। आपके यहां से शायद आदेश भी आ गया है, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना नहीं पहुंची है। हमें अभी तक राज्य सरकार से या महानगरपालिकाओं की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, हमको कुछ नहीं पता कि भारत सरकार का कितना पैसा मुंबई शहर के विकास के लिए, मुंबई शहर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नालों की सफाई के लिए, रास्ते बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए या मेट्रो बनाने के लिए वीजीएफ कितना गया। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। शहरी विकास मंत्रालय की स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन में हम एमपीज की भूमिका थोड़ी बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि मॉनीटरिंग कमेटी में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टीसिपेट करने का मौका दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

CUT MOTION

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): सभापति महोदय, शहरों में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए अगर अभी से कोई नियोजित विकास की योजना नहीं बनाई गयी, तो हमारा सारा विकास आगे जाकर कहीं न कहीं प्रभावित होगा क्योंकि शिक्षा शहर में, स्वास्थ्य शहर में, व्यापार शहर में, उद्योग शहर में, सत्ता के केन्द्र शहर में हैं। गांव से शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अपने देश के अलावा पड़ोसी देशों से जो लोग यहां पर अपना पेट भरने के लिए आ रहे हैं, सड़क के किनारे झोपड़े बनाकर रहते हैं, कूड़ा बीनकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन नागरिक सुविधाएं उन्हें भी चाहिएं, पानी उन्हें भी चाहिए, शौचालय उन्हें भी चाहिए। एक आस्ट्रेलिया हमारे देश में केवल बांग्लादेश से आए हुए लोगों से बन गया है। हम अपने गांवों से पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, शहरों में उन्हें सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और बाहर से आए हुए लोग शहर में बस रहे हैं। आवास की कोई सुविधा नहीं है। यह बड़ी गंभीर स्थिति बनती चली जा रही है। यह विभाग बहुत से काम करता है, शहरी विकास के अंदर बहुत से काम हैं, लेकिन मैं अपने को केवल उन कुछ बिन्दुओं तक सीमित रखूंगा जो नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं।

15.00 hrs

मैं समझता हूं कि एक परम्परा बन गई है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, लोगों को लगता है कि उनके मन में हमारी समस्याओं के प्रति न तो कोई विश्वास है और न ही उन्हें लोकतंत्र में आस्था है कि उसके आधार पर अपने अनुभवों से वे कुछ सुधार करें। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा काफी लम्बा अनुभव है। मैं एक कार्पोरेटर से लेकर इस विभाग का प्रदेश में बरसों तक मंत्री रहा हूं। इतने संसाधन होने के बावजूद भी लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मैंने वे दी हैं और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में मेरा नाम है कि जो नए टाउन्स बन रहे हैं, इनके लिए जितने विकास के काम हमने किए हैं, विश्व में कहीं नहीं हुए हैं।

आज शहरों की हालत क्या हो रही है, यह हम सभी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी भारत की है और सबसे अधिक शहरीकरण भी यहीं हो रहा है। दो दशक बाद यहां एक करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। बहुत से देशों की आबादी तो एक करोड़ भी नहीं है। हमारे देश में इतना शहरीकरण हो जाएगा कि एक करोड़ की आबादी से अधिक शहर यहां सबसे ज्यादा होंगे। आप इन आंकड़ों अध्ययन करें तो पता चलेगा कि दुनिया की आबादी का कुल 17.5 प्रतिशत हिस्सा भारत में है, और ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, जबकि दुनिया में कुल जमीन के हिस्से का सिर्फ 2.4 प्रतिशत ही हमारे यहां है। अगर जमीन और आबादी के अनुपात को जोड़ें तो शायद दुनिया में सबसे बड़ा शहरीकरण इसी देश में हो रहा है। इसे देखने के लिए कोई योजना नहीं है। हम योजनाएं तो शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर

के बाद उनका दम घुटने लगता है, वे अंजाम तक नहीं पहुंचती हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। कई बार केन्द्र सरकार यह कहकर बच जाती है कि यह राज्य का विषय है। है, लेकिन जो आपका पैसा जाता है, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी मानिटरिंग करना, सक्षम योजना बनाना और फंड उपलब्ध कराना, क्या कोई राज्य इससे इनकार करेगा? लेकिन जब यह हालत हो जाएगी कि हम कुछ लाभ के लिए बहुत खर्च करेंगे और बहुत लाभ के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर उसका नतीजा सकारात्मक नहीं निकलेगा। यह सिद्धांत सत्ता के लिए और विकास के लिए बहुत घातक है।

हर चीज जीवन के लिए है, जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमें पानी चाहिए। क्या मानकों के अनुसार पानी मिल रहा है? सरफेस वाटर पीने लायक नहीं रहा है, नदियां प्रदूषित हो गई हैं। भू-जल का स्तर काफी नीचे जा रहा है। मैं उस एक व्यक्ति की बात को यहां कोट करना चाहूंगा, जो इस देश के प्रधान मंत्री भी रहे और बराबर यह कहते थे कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो तेल के लिए नहीं, पानी के लिए होगा। वह इस बात का बरसों एलान करते रहे हैं। आज वह समस्या सामने आ रही है कि जमीन का पानी काफी नीचे जा रहा है। थोड़े दिनों के बाद जल की आपूर्ति का साधन कुछ नहीं बचेगा।

मैंने बड़े पैमाने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू की थी। मैंने नियम बनाया था कि जो बी मकान बनेगा, उसमें अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, तो उस मकान का नक्शा रिलीज नहीं होगा। लेकिन सरकारें बदलती हैं तो नीतियां बदल जाती हैं। प्रोग्राम की कांटिन्युटि नहीं रहती है, वह वहीं रुक जाता है। आज जितनी बड़ी-बड़ी सरकारी इमारतें हैं सरकार उनमें पैसा खर्च करके, वहां पर इस तरह के प्लांट्स बना दे तो जितना पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसका 5 से 10 प्रतिशत वापस जमीन में चला जाएगा। लेकिन हम पानी के उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पानी का उपभोग जरूरत से ज्यादा हो रहा है।

दूसरी समस्या सफाई की है। मेरा सौभाग्य रहा कि उत्तर प्रदेश में और देश में मैला घोने की प्रथा समाप्त करने का कानून संसद ने पास किया था। उसके बाद पानी की जरूरत और हुई। पानी नहीं है। बहुत से एनजीओज को मैंने देखा कि यहां से पैसा ले जाते हैं और उन्होंने एक सोक-पिट बना दिया, कभी किसी ने सोचा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर ये सोक-पिट बनाकर और मल-निस्तारण किया जाएगा तो जो बचा हुआ पानी है उसका जो पॉलुशन होगा, उससे कितनी मौतें होंगी, कितनी बीमारियां फैलेंगी। आपके चिंतन में इस बारे में कुछ है ही नहीं। इसे एक अभियान के रूप में चलाना चाहिए, खाली विज्ञापन से नहीं होगा कि पानी बचाइये। कौन बचाएगा? पानी का उपभोग ज्यादा बढ़ेगा। हो यह रहा है कि जिस देश में लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है वहां कई हजार करोड़ रुपये का पानी पीने के लिए बोतल में बिकता है। एक बहुत बड़ा मजाक है कि विशुद्ध पानी अगर नहीं मिलेगा तो जिनकी जेब में पैसा है वे तो खरीद लेंगे

लेकिन गरीब आदमी का क्या होगा। आज देश के कई शहरों में आर्सनिक और फ्लोराइड जैसे जहरीले पदार्थ मिल रहे हैं जिनके पीने से फ्लेरिया और तमाम तरह से रोग पैदा हो रहा हैं। सब को मालूम है और सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इसके लिए क्या कभी किसी ने सोचा कि यह जिम्मेदारी किसी सरकार की है?

आज आपका स्वास्थ का बजट इसीलिए बढ़ता जा रहा है और आम आदमी की पॉकेट से भी पैसा इसीलिए निकलता जा रहा है। कारण यह है कि सफाई नहीं है और पीने का पानी नहीं है। सरकारों के पाप का दंड निर्दोष नागरिक पा रहे हैं। उन्हें पैसा खर्च करना पड़ा है। करीब 80 फीसदी शहरों में कूड़ा विस्तारण की व्यवस्था नहीं है। एक शहर में कई सौ टन तक कूड़ा निकलता है और यहां से उठाकर वहां फैंक दिया जाता है, फिर वहां से उठाकर कर यहां फैंक दिया जाता है। लेकिन पर्यावरण में जो उसकी गैस निकल रही हैं, ये मानव जीवन के लिए घातक हैं।

15.09 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मैंने एक योजना शुरु की थी। उस समय भारत सरकार की भी मलिन बस्ती सुधार और गरीबी उन्मूलन योजना थी। उसमें काफी पैसा राज्मयों को जाता था और एनजीओज के माध्यम से खर्च हो जाता था। उन्हीं पैसों से और दूसरे विभागों से मिले पैसों को मिला कर पांच रुपए और दस रुपए रोज के ऊपर सारी सुविधाओं से युक्त एक मकान उस आदमी को दिया, जो सड़क के किनारे झोपड़ें में रहता था। एक सम्पूर्ण बस्ती, जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते थे, वहां शिक्षण के लिए एक स्कूल भी था। उस बस्ती में गरीब बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क भी था। आप सदन की पुरानी प्रोसीडिंग्स पढ़ें। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और इन निराश्रित गरीब लोगों को मकान देने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में पांच-दस रुपए रोज के ऊपर मकान मिल सकता है, तो सारे देश में क्यों नहीं मिल सकता। मुझे खुशी है कि उन्होंने सारे देश के लिए वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना बनाई थी, जिसमें 40 हजार रुपए उस समय मिलते थे। बीस हजार रुपए अनुदान था और बीस हजार बिलकुल नामिनल ब्याज के ऊपर आसान किश्तों पर मिलते थे। कुल मिलाकर उसकी औसत दस-पन्द्रह रुपए रोज के हिसाब से आ जाती थी। वह योजना बंद हो गई है।

महोदय, आज सबसे ज्यादा जमीन का अवैध व्यापार शहरों में हो रहा है। उससे अपराध बढ़ रहे हैं और रोज हत्याएं हो रही हैं। यह बात तो पुराने समय से कही जाती है कि ज़र, जमीन और जोरू के कारण अपराध बढ़ते हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अपराध जमीन के कारण बढ़ रहे हैं। किसान की जमीन ले ली, उस पर फर्जी कब्जा कर लिया। एक नक्शा कागज में बना दिया और उसे सस्ते दामों पर बेचना शुरू

कर दिया। थोड़े दिन बाद वह दुकान बंद हो गई और सोसायटी के नाम पर काम शुरू हो गया। आप कल्पना कीजिए कि वहां न सीवर है, न नाली है और न ही पीने का पानी है, लेकिन नक्शे में सब मौजूद है। फिजिकल वहां दस फीट की गली छोड़ दी गई। मैं लखनऊ का उदाहरण देना चाहता हूं कि हर रोज तीस हजार वाहन हर महीने रजिस्टर हो रहे हैं। क्या व्यक्ति अपने मकान के सामने वाहन खड़ा करने की स्थिति में है? देश में यातायात बढ़ रहा है और सड़कें सिकुड़ रही हैं। गांव से पलायन हो कर जो आ रहे हैं, उन्हें रोजगार चाहिए। वे बड़े शहरों में आते हैं और सड़क के किनारे जमीन पर अवैध कब्जा करके अपनी रोजी कमाते हैं और रहते हैं। एनडीए सरकार के समय फेरी नीति बनी थी, जिनमें फेरी वालों के लिए योजना बनाई गई थी। आज तक वह योजना लागू नहीं हुई है। इसकी वजह भ्रष्टाचार भी है। जितना रेवेन्यु बड़े शहरों में सरकार को मिलता होगा, उतना पैसा इन लोगों से पुलिस और स्थानीय निकायों के अधिकारियों की जेब में चला जाता है। मेहनतकश के हाथों से वह पैसा छीनकर भ्रष्टाचारियों के पास जा रहा है। सरकार ने फेरी नीति बनाई है और उनका कल्याण कर रही है, उन्हें सरकार सब कुछ देगी, इस बात को दोहराया जाता है।

अभी संजय जी कह रहे थे कि लोगों को उजाड़ा जाता है। मैं कह सकता हूं कि मैंने हजारों लोगों को उजाड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला, जिसे मैंने वैकल्पिक जगह नहीं दी। पहले जो बुरी जिंदगी गुजार रहे थे, आज वे मध्यम दर्जे के दुकानदार बन गए हैं। अगर आप सुनियोजित योजना के तहत शहर का विकास करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएंगे। अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी जेएनयूआरएम योजना शुरु की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना के निर्माण में मेरा भी हाथ था। ...(व्यवधान) जगमोहन जी इस विभाग के मंत्री थे। सारे देश के आवास और शहरी विकास मंत्रियों का वह सम्मेलन बुलाते थे। इस योजना का कांसेप्ट कब आया? यह योजना कब आई? आप इस बात को छोड़ दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। अभी आप सब शांत रहिए।

श्री लालजी टण्डन : मैंने आपसे कहा कि जेएनयूआरएम में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि आने वाले समय में सुविधाओं के बजाए लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। मैंने आपसे कहा था कि ग्राम विकास में जोशी जी जब उस विभाग के मंत्री थे तो उस समय जितनी केन्द्रीय योजनाएं चल रही थीं, उनकी समीक्षा के लिए उन्होंने एमपीज को शामिल किया और उनकी एक समिति बनाई। मैंने आपसे यह कहा था कि कम से कम उसमें एमपीज का, एमएलएज का चुने हुए लोगों का इंवाल्वमेंट हो। जब इस योजना पर चर्चा हो रही थी तब यह बात आई थी कि लोकल बॉडीज के पीएलएए में सीधे पैसा जाएगा और सारा विकास उनके माध्यम से

होगा लेकिन आज ये अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था और इसकी मजबूती चाहे ग्रामीण हो या शहरी निकाय हों, तीन नामों को लोग नहीं भुला सकते। महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज्य, राजीव गांधी जी का योगदान इसमें यह था कि उन्होंने इसको संवैधानिक दर्जा दिया। आप उन्हें भी भूल गये और तीसरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने शहरों के समग्र विकास की योजना में सड़कें भी हों, राष्ट्रीय राजमार्ग भी हों, झुग्गी-झोंपड़ी भी खत्म हों, पेयजल भी सबको मिले, सुनिश्चित सीवर व्यवस्था भी हो, ये सारी उपज उस वक्त की है। हालांकि आप इसका श्रेय ले सकते हैं कि यह योजना आपने बनाई लेकिन यह सुझाव मेरा था। उस समय केवल कुछ ही शहर भारत में थे जिन्हें पचास प्रतिशत की सहायता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार देती थी। मैंने कहा कि वे मेगा सिटी आपकी डिक्शनरी में है। उन मेगासिटीज का दायरा बढ़ा दीजिए। ग्राम विकास के लिए आप जो दे रहे हैं, वहां से भागकर लोग शहर में आ रहे हैं। शहर को वे कुछ दे नहीं रहे हैं।

सभापति महोदय : अब समाप्त करें। आपको बोलते हुए बीस मिनट हो गये हैं। बाकी मैम्बर्स भी इस पर बोलना चाहेंगे। आप संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री लालजी टण्डन : सभापति जी, मैं अपनी बात संक्षिप्त कर रहा हूं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी शहरी बुनियादी ढांचा रिपोर्ट के अनुसार अब 29 लाख करोड़ रुपये की जरुरत है और यह आपकी कुल जीडीपी दर की आधी रिक्वायरमेंट है। आप कितना दे रहे हैं? मेगेन्जी ग्रोवर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। इंडियाज अर्बन अवेकनिंग के अनुसार इसके लिए करीब 1.2 लाख करोड़ डॉलर यानी मौजूदा जीडीपी की 80 प्रतिशत रकम की जरुरत होगी। कहां से लाएंगे? अब मैं यह भी अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप 80 प्रतिशत इसी पर खर्च कर देंगे। लेकिन आपके पास विकल्प होना चाहिए कि इतना पैसा देंगे, इतना इस समस्या के निदान के लिए दूरगामी योजना बनाएंगे। अभी न तो आपके पास कोई योजना है और न ही कोई कार्यक्रम है। अगर है और जो थोड़ा बहुत आप भेजते हैं वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।

महोदय, अब मैं पोलीथीन की बात कहता हूं। कहा जाता है कि आत्मा नष्ट नहीं होती है ऐसे ही एक पदार्थ पैदा हो गया जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसे न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है और न ही जमीन सोख सकती है, वह है पोलीथीन। बड़ी सुंदर इमारतें बनी हैं, आप उनके पीछे जाकर देखिए कि पोलीथीन बैग्स का अंबार लगा हुआ है। जितना बड़ा है वह उतना ही प्लास्टिक इस्तेमाल करता है। कितने ही प्राइवेट मैडिकल अस्पताल और नर्सिंग होम हैं, क्या इनके लिए कचरे के निर्धारण के लिए कोई प्रोवीजन है? कहीं बन गया और बाकी यूं ही चल रहे हैं। संक्रामित रोगों से ग्रसित कूड़े में पड़ा कचरा नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि मैंने कुछ प्रयोग किए थे। जैसे शहरी विभाग के अलग-अलग फंड की एक समन्वित योजना हो जाए, एक-दूसरे में समन्वय हो जाए तो आप बहुत से काम उसी बजट में कर सकते हैं। मैंने यह देखा है और इसमें बड़ी सफलता मिली। निर्वाचित निकाय के अधिकारों को जबर्दस्ती छीनने का अभियान चल रहा है। 74वां संशोधन इन्हें पूर्ण स्वायत्तता देता है। लेकिन आज सरकार ने मजाक बना दिया है। उनके पास अधिकार नहीं हैं। जेएनएनयूआरएम में आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पैसा दे रहे हैं। यही योजना लागू नगर निगमों पर लागू करनी थी लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम दूसरे के पास है। आप व्यावहारिक रूप में मान रहे हैं कि यह शहरी विकास का काम है लेकिन वह अलग विभागों में बंटा हुआ है। 74वें संशोधन के अनुसार बहुत से कामों की व्याख्या की गई है जो स्थानीय निकाय को दिए जाने चाहिए तभी पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होगी। जनता के हाथ में सत्ता जब आएगी तब लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होगा और स्वायत्तता की रक्षा होगी।

महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप कुछ करके दिखाएंगे। यह कहकर काम नहीं चलेगा। आम तौर से लोग कहते हैं कि यह राज्य का काम है। अगर यह राज्य का काम है तो फिर केंद्र का क्या काम है? केंद्र के पास अधिकार तो है कि जो पैसा आप दे रहे हैं, उसका दुरुपयोग न हो, ऐसा है तो रोकें। इसमें राज्य के अधिकारों का कोई हनन नहीं है। जो पैसा विकास के लिए जाता है वह उस काम में लगे। अगर इसमें केंद्र सरकार का पैसा है तो केंद्र सरकार के अधिकार में है, मैं वकालत करता हूं कि वह उनके पास रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा, कह नहीं सकते।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अब कहने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि सरकार की वही रफ्तार बेढंगी, वही अंदाज बेगाना, जो पहले था, वह अब भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मैंने यहां पर बोलकर केवल रस्म अदायगी की है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें से एक बिन्दु पर भी सरकार कोई कार्रवाई करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members those who want to lay their written speeches, may give it at the Table of the House.

*SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): At the outset, I would like to say today in all parts of the country the population in urban areas are increasing day by day due to migration of peole from remote rural places to cities and towns in the country considering the better living conditions prevailed there.This demands more expansion of infrastructure in the town and cities.The Government has taken several measures to improve it, but still many more needs to be done, if India to become a slum free country in the world. India is urbanizing very fast and along with this, the slum population is also increasing. India's urban population is increasing at a faster rate than its total population. With over 575 million people, India will have 41% of its population living in cities and towns by 2030 from the present level of 286 million and 28%. However, most of them do not have access to basic facilities like drinking water and sanitation. Among the urban poor, the slum dwellers are the poorest. The very definition of slums points at the acute drinking water and sanitation crisis for the slum dwellers. A slum in India is defined as a cluster inside urban areas without having water and sanitation access. When I talk about the sanitation condition in India, I remember the other day both the Prime Minister and Hon'ble Minister for Sanitation have described it as a national shame. In India we have more mobile connections than toilets. This situation we need to change. It is only possible thorugh the central government coming out with much bigger schemes and plans. All the economies in the world predicts that India is going to be the number one super power in the world in all aspects, but the reality we see today needs more correction.

Today we are witnessing growth in central pockets and the growth is not spread equally. The reason being is that our development is not balanced. Therefore, the time has come to ensure that development takes place on equal terms, so that we can prevent unwanted migration of people from one place toanother.

* Speech was laid on the Table

I have information that many organizations wish to put up their works or offices in area where the conjunction is less, but what prevent them from doing so is lack of infrastructure such as absence of good roads, public roads transport system etc. Therefore, I request the Government to pay much attention to it so that we can see a balanced development taking place all over the ocutnry.Another thing which I would like to mention here that many state government have shown keen interest to have Delhi Metro like mass road transport system in all States. I would like to mention here that the government should encourage the States which wish to go in for MRTS/Metro. The central government should provide all assistance to the state government in this regard.

I support the Demands for Grants of Ministry of Urban Development.

*श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन) : केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए मिशन जेएनएनयूआरएम योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 7935 टाउनों हेतु लाखों करोड़ रूपये प्रदान करने पर मैं धन्यवाद करता हूं। इस योजना के अंतर्गत 739 सिटी कवरड करना 1367 प्रोजेक्ट स्वीकृत करना व 269 प्रोजेक्ट का पूर्ण होना सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिए मा.मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2021 तक मुम्बई शहर को संसार के लोकपिय शहर टोक्यों से भी अधिक सुन्दर बनाने का जो सपना सरकार ने देखा है। अगर इसी तरह राज्यों में इस योजना की राशि में भ्रष्टाचार होता रहा तो मिशन की सफलता में दिक्कतें आएंगी। जिस उद्देश्य से यह मिशन प्रारम्भ किया था राज्य सरकारें विशेषकर मध्य प्रदेश में भारी पैमाने पर इस मिशन के रूपये का दुरूपयोग हुआ है।

मेरे संसदीय क्षेत्र उज्जैन में सरकार द्वारा पेयजल लाईन बिछवाने के लिए पैसा दिया गया इन्दौर में आवास बनाने के लिए पैसा दिया गया लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों ने मिलकर राशि का भारी पैमाने पर दुरूपयोग किया है। उज्जैन में जो पाईप लाईन बिछाने का कार्य इस योजना के अंतर्गत हुआ है इसमें भारी घोटाला हुआ। मैंने इसकी शिकायत शहरी विकास मंत्रालय को की। मेरी शिकायत पर उज्जैन में केन्द्र से जांच दल गए उन्होंने भारी अनियमितताएं पाई लेकिन राज्य सरकार ने एक भी अधिकारी या संबंधित कम्पनी पर कोई कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के लिए दिल्ली, बैंगलौर, कोलकता, चैन्नई आदि प्रमुख शहरों को मंजूरी दी है। मैं मा. मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल व इन्दौर शहर में भी इस परियोजना को मंजूरी दी जाए।

जेएनएनयूआरएम योजना अंतर्गत सरकार ने बसो हेतु मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को करोड़ों रूपये उपलब्ध करवाए। मा0 कमल नाथ जी भी मध्य प्रदेश से आते हैं वो बताए कि राज्य सरकार की कितनी

* Speech was laid on the Table

बसें चल रही हैं। इन्दौर शहर में स्वीकृत बीआरटीएस का कार्य भी अधूरा व काफी धीमा है। इसमें तीव्रता लाई जानी चाहिए। उज्जैन एक धामिक स्थली है यहां पूरे देश से श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। शहरी विकास मंत्रालय के पास सीवरेज सिस्टम उज्जैन, परियोजना लंबित है, इसे अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

इस धनराशि का जो दुरूपयोग हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। राज्य और केन्द्र की इस संयुक्त योजना में जांच करने और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने व योजनाओं के चयन का अधिकार केन्द्र के पास होना चाहिए क्योंकि पैसा केन्द्र राज्यों को आवंटित करती है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री अपनी पसंदीदा जगहों पर कार्य करवाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ होना है। देश विदेश से यहां करोड़ों व्यक्तियों के आने की संभावना है। वर्तमान बजट में महाकुंभ के लिए कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। जैसे इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार आदि जगहों पर महाकुंभ होते हैं उनमें पहले ही कार्य शुरू हो जाते हैं। उज्जैन के आगामी महाकुंभ को देखते हुए अभी से कार्ययोजना बनाकर महाकुंभ की तैयारी करेंगे तभी हम महाकुंभ को सफल बनाने में कामयाब होंगे। यदि सरकार ने एन वक्त पर पैसा दिया उसमें आधे अधूरे कार्य होंगे तथा भ्रष्टाचार होने की ज्यादा संभावनाएं होगी इसलिए मेरा शहरी विकास मंत्री जी से निवेदन है कि उज्जैन हेतु विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि अभी से कार्य प्रारम्भ हो सके।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2012-2013 की शहरी विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी मैं सम्मानित सदस्य, श्री संजय निरूपम और आदरणीय लालजी टंडन को सुन रहा था। यह बात सत्य है कि आज यदि देखा जाए तो पूरे देश में 68 ऐसे शहर हैं, जिनकी आबादी दस लाख से ज्यादा है और 13 शहरों में 40 लाख से ज्यादा आबादी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि प्रति सैकिंड दो व्यक्ति शहर में आ रहे हैं और प्रतिदिन एक लाख 80 हजार लोग शहरों में प्रवेश कर रहे हैं। ये स्थिति संयुक्त राष्ट्र की है। 2008 में देश में शहरी आबादी 34 करोड़ थी और आने वाले समय में योजना आयोग से 12वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर आपने भी लक्ष्य बनाया होगा, 2030 में शहरों की आबादी 59 करोड़ होगी। ये आंकड़े बताते हैं, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है।

अब हम शहरी विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं सरकार का ध्यान आक्रर्षित करना चाहूंगा, यहां मंत्री जी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश देश का ह्रदय प्रदेश है, यह सबसे बड़ा प्रदेश है। जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ कागजों में हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब तक 22 करोड़ के करीब हो गई है। जो दुनिया का पांचवा सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है। यदि बिहार को देखा जाए तो बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। लेकिन दोनों प्रदेशों के शहरों की स्थिति बहुत दयनीय है।

यहां अभी मेगा सिटी की बात हो रही थी। मेगा सिटी में पुणे, चेन्नई, बंगलौर और हैदराबाद को आपने प्रथम चरण में रखा है। दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई भी उसी श्रेणी में आते हैं। पिछले 18 वर्षों में आप केवल सात मेगा सिटी दे पाये हैं। लेकिन इन मेगा सिटी की स्थिति भी बहुत बदतर है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसी सदन में शहरी विकास मंत्री, श्री जयपाल रेड्डी जी थे, जो इस वक्त पैट्रोलियम मंत्री हैं। मैंने उनसे एक क्वैश्चन में मांग की थी कि आपने शहरों के विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन लागू किया, यह आपने महानगरों में प्रथम चरण में लागू किया। इसी में मैने एक क्वैश्चन में मांग की थी और उन्होंने माना की जिस शख्सियत के नाम से ये योजना है, कम से कम जनपद इलाहाबाद में उसे शुरू किया जाए। 2007 से आपने शुरू किया, लेकिन 2009 से उन महानगरों में काम शुरू हुआ। मैं उस पर बाद में विस्तार से जाना चाहूंगा। वहां आपने वाटर सप्लाई, सीवरेज, स्टोर वाटर, ड्रेनेज, सड़कें, मैट्रो, स्ट्रीट लाइट, आवास और पेयजल आदि की आपने वहां व्यवस्था की।

सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अन्य प्रदेशों के अलावा उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे प्रस्ताव आपके पास आए होंगे। मेरे ख्याल से विगत 5-10 वर्षों का रिकार्ड देखा जाए तो आपने कितना धन स्वीकृत किया है, कितनी परियोजनाएं लागू की हैं, इसका भी

चिंतन-मंथन और मूल्यांकन करना पड़ेगा, तभी हम शहरों का विकास कर सकते हैं। जैसा कि लालजी टण्डन जी ने कहा है, सबसे कम परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। इनका उत्तर प्रदेश में बड़ा अनुभव रहा है और बराबर मंत्री रहे हैं।

अब मैं मैट्रो ट्रेनों की बात करना चाहूंगा क्योंकि अभी यहां पर मैट्रो ट्रेन की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी कबाल टाउन में मैट्रो ट्रेनों की व्यवस्था के लिए घोषणा की है। मैं इस सदन के माध्यम से युवा मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने जो परिकल्पना और सपने संजोए हैं वे जरूर पूरे हों। उसके लिए केंद्र सरकार जरूर मदद करे। मैं जानता हूँ कि अगर आपने उत्तर प्रदेश का विकास कर दिया तो मेरे ख्याल से पूरे देश का विकास हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उसकी आबादी 22 करोड़ के लगभग है। उस कड़ी में दिल्ली-नोएडा मेट्रो विस्तार की बात है। वैशाली और गाज़ियाबाद तक विस्तार की बात है। मेरठ से राजेन्द्र जी यहां उपस्थित हैं। मेरठ तक एनसीआर लगता है। हम देख रहे हैं कि आज बढ़ती हुई आबादी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक और जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। मेरे ख्याल से सभी सम्मानित सदस्य इससे वंछित नहीं रहे हैं, बल्कि हमेशा उससे जूझते रहे हैं।

मैं दूसरी बात शुद्ध समुचित पेयजल व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा। अभी संजय निरूपम जी बड़े विस्तार से बता रहे थे। यह बात सत्य है कि हर शहर की अपनी कैपेसिटी है। वहां पर आप कितना शुद्ध पेय जल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यह बड़े विस्तार से उन्होंने बताया है। लेकिन एक तरफ आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे इलाहबाद में सीवरेज़ ट्रीटमेंट प्लांट है, तमाम और भी हैं, जो पेय जल आप यमुना से लिफ्ट कर के पानी को शुद्ध कर के सप्लाई करते हैं। जैसे खुसरो बाग है, बलुआ घाट में प्लांट लगे हैं और वे भी विश्व बैंक की आर्थिक मदद से लगे हैं। लेकिन कभी भी उसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। जिस स्थिति में वह चालू हुआ था आज वह उसी स्थिति में है। ऐसे बहुत से वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। आपकी सरकार कहती है कि हम शुद्ध पेय जल मुहैया कराएंगे, लेकिन कहीं भी नहीं करा पा रहे हैं। आपको इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। शहरों में बढ़ती हुई स्लम बस्तियां हैं, वहां की स्थिति बहुत खराब है। हमारे ज्यादातर सांसद ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं लेकिन उनका आवास शहरों में है। शहरों में स्लम बस्तियां बहुत ज्यादा है। इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि स्लम बस्तियों में पेय जल, सड़क और आवास आदि तमाम चीजें जो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं, उनको मुहैया कराने की जरूरत है। अब छोटे शहरों की स्थापना की बात है। मैंने देखा है कि उस कड़ी में आपने 36 जिले लिए हैं। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने बहुत से नए जिले बनाएं हैं। नए जिलों की स्थिति बहुत बदत्तर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछड़े और नवसृजित जनपद हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जहां पर विकास है वहीं

पर पैसा दिया जा रहा है। इससे यह हो रहा है कि शहर के विकास की जो योजनाएं हैं, उनका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उस कड़ी में आपको जनपद कौशांबी, प्रतापगढ़, फतेहपुर और बलिया से हमारे साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कहा कि आज तक जिस नगर-जिले की जो स्थिति है, वह ऐसे ही पड़ी हुई है।

सन् 2001 की जनगणना में इलाहबाद की आबादी 10 लाख 24 हजार बताई गई है लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा है।

अभी इसी सदन में जिक्र हुआ था, राष्ट्रमण्डल खेलों में एम्मार ठेके पर जो फ्लैट दिए थे, उनका अभी तक ठीक से कब्जा नहीं हो पाया है। मैंने निवेदन भी किया था कि जो फ्लैट आज यमुना किनारे बने हुए हैं, जितनी उनकी लागत है, उसमें सभी संसद सदस्यों को फ्लैट क्यों नहीं दे देते हैं? आप उसे उन्हें दीजिये। वे बेकार पड़े हुए हैं, कुछ दिन में वे टूट-फूट जायेंगे, उनकी मेन्टिनेंस नहीं हो पा रही है। इस विषय में माननीय अध्यक्ष महोदया, लोकसभा से भी हम लोगों ने मुलाकात की है, उनसे बताया है। आप यहां पर स्वीकार कीजियेगा, मैं चाहूंगा कि जो लागत मूल्य है, लोक सभा, राज्य सभा के तमाम ऐसे सांसद हैं, जिनका कोई आवास नहीं है, आप उसे दीजिएगा, उन्हें आबंटित कर दीजियेगा। वे आवास बे-वजह पड़े हुए हैं। राजीव गांधी आवास योजना को आपने शुरू किया है, मेरे ख्याल से अभी कहीं भी उसकी शुरूआत नहीं हो पायी है।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): वह इस मिनिस्ट्री से संबंधित नहीं है। राजीव आवास योजना इस मिनिस्ट्री से संबंधित नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: यह इसमें नहीं है। दस वर्षों में 25 शहरों के आपने नाम भी बदल दिये हैं। शहरों के नाम बदलने से विकास नहीं होगा, आपको वहां की मूलभूल सुविधाओं पर ध्यान देना होगा।

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): यह राज्यों का विषय है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: यह राज्य सरकार का है, लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं राज्य सरकारों का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। अभी टंडन जी कह रहे थे कि जगमोहन जी के समय में एक सम्मेलन बुलाया गया था, आप भी बुलाइये। तमाम प्रदेशों के जो शहरी विकास मंत्री हैं, उन्हें बुलाकर उनसे वार्ता कीजिये।

प्रो. सौगत राय : पहले बुलाया था।

श्री शैलेन्द्र कुमार : बहुत अच्छी बात है। अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर यहां बड़े विस्तार से चर्चा हुई, एम्स के बारे में चर्चा हुई, घोषणायें तो हो गयीं कि इतने एम्स अस्पताल खुलेंगे, लेकिन नहीं खुल पाये।

सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : एयरपोर्ट का विस्तार होना चाहिए, परिवहन व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी, ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रिंकिंग वाटर है, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। लखनऊ में जो मैट्रो, नया ट्रेन टर्मिनल हरदोई-सुल्तानपुर-लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद फोर लेन यह सब अगर हो जाये, मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे विभाग हैं, जो आपके मंत्रालय से संबंधित नहीं हैं, लेकिन इनके साथ कोआर्डिनेशन करके आपको कम से कम इसके विस्तार की तरफ सोचना पड़ेगा। दूसरे विभाग के भी जब विकास के कार्य होते हैं तो यह लगता है कि हां भाई यह शहर है और शहर में जायेगा तो शहरी विकास मंत्रालय का नाम पहले लिया जायेगा।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, बस मैं समाप्त करता हूं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का आगाज है, अगले 20 वर्षों के लिए योजना क्या बनायी गयी है, योजना यह है कि 2 लाख आबादी वाले शहरों में सिटी बस चलायी जायेंगी। मेरे ख्याल से बहुत से शहरों की आबादी 2 लाख से कहीं ज्यादा है, लेकिन बस के नाम पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कौशाम्बी जनपद है, इलाहाबाद से कौशाम्बी जनपद जो अधिकारी, कर्मचारी जाते हैं तो उन्हें वापसी में बस नहीं मिलती है, इसलिए वे जाते ही नहीं हैं, हफ्ते में दो-चार दिन चले गये तो चले गये। 20 लाख आबादी वाले शहरों में मैट्रो ट्रेन की व्यवस्था, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का आगाज है। शहरों पर 40 लाख करोड़ बरसेंगे, अब कहां से बरसेंगे, आपके विभाग से बरसेंगे या ऊपर से बरसेगा।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विकसित योजना है। शहरी ट्रांसपोर्ट सुधारने के लिए 3.88 लाख करोड़ आप खर्च करेंगे, यह बहुत अच्छी बात है।

सभापति महोदय : अब आप संक्षिप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अंत में एक बात बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। वर्ष 2013 में हमारे यहां इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है।

महोदय, आप जानते हैं कि कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग वहां इलाहाबाद में आते हैं। महाकुंभ होने जा रहा है, यह कोई माघ मेला नहीं कि प्रतिवर्ष माघ मेला है, यह महाकुंभ होने वाला है और देश-विदेश से करीब 10 से 15 करोड़ लोग वहां पर आते हैं। उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कैसे वहां उन्हें बसाया जाये, कैसे वहां पर सफाई की व्यवस्था हो, कैसे ड्रेनेज की व्यवस्था हो? इसके अलावा तमाम और विभागों का मामला है। मैं चाहूंगा कि जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना में जो काम वहां हो रहा है, आज भी 40 प्रतिशत काम पड़ा हुआ है। उसमें आपका लखनऊ है, इलाहाबाद है, बनारस है, आगरा है, मथुरा है।

सभापति महोदय : ठीक है, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार : यहां पर 40 प्रतिशत काम अभी भी पड़ा हुआ है, आपने कहा है कि वर्ष 2014 तक इनका, जेएनयूआरएम का कार्यकाल बढ़ाया जायेगा, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर आप इसका कार्यकाल 5 वर्ष भी बढ़ायेंगे, तब भी यह काम पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन शहरों में जो आपने योजनाएं लागू की हैं, उन्हें पूरा करके तभी आप इसे बंद कीजियेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप इसे लाये हैं, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह जो शहरी विकास की समस्या है, इसे आप पहले माइक्रो लेवल से स्टार्ट कीजिये। मैंने देखा है कि छोटे-छोटे गांव, जिनकी आबादी एक हजार या 500 है, वहां जो भी सम्पन्न आदमी है, वह साथ के कस्बे में शिफ्ट हो रहा है। मैं बुन्देलखंड से पार्लियामेंट का मेंबर हूं, अभी पिछले हफ्ते मैंने प्रधानों की मीटिंग की तो मुझे 20 प्रधानों में से 15 प्रधान ऐसे मिले, जो उस गांव में नहीं रहते। वह बगल का एक कस्बा है राठ, वहाँ शिफ्ट कर गये हैं। यह शिफ्टिंग गाँव से शुरू हो रही है। गाँवों से लोग कस्बे में आते हैं, कस्बे से बड़े शहर में आते हैं और बड़े शहर से फिर दिल्ली मुम्बई और कोलकाता जाते हैं। यह पलायन समस्या दिल्ली और मुम्बई को सुधारने से ठीक नहीं हो सकती। 20 सालों से जब भी यह समस्या आती है तो, मुम्बई, कोलकाता में फ्लाईओवर और मैट्रो की बात कही जाती है। इनसे कभी सुधार होने वाला नहीं है। अगर आप यह कहते हैं Then, you are putting the cart before the horse, which is wrong.

महोदय, मैं एक बात की ज़ोरदार सिफारिश करना चाहता हूँ कि एक नेशनल अर्बन पॉलिसी बनाई जाए। वहाँ व्हाइट पेपर बनाइए। मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने इलाहाबाद में 35 सालों से वकालत की है। वहाँ कस्बों में क्या हो रहा है? अगर कस्बा या शहर बढ़ता है तो बगल के दस-दस किलोमीटर पर माफिया लोग ज़मीन ले लेते हैं और ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और ज़मीन के मालिक हो जाते हैं। जब लैन्ड एक्वीज़ीशन में वह ज़मीन आती है तो वे मुकदमा करते हैं और पाँच-दस साल उसमें डिले होता है। उसके बाद उन ज़मीनों पर इतनी बुरी तरह से आबादी भर जाती है कि पूरा विकास रह जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको डैवलपमैंट करना है तो 25000 और 50000 की आबादी वाले जो कस्बे हैं, उनके बगल की जितनी ज़मीन है, उस पर रोक लगानी चाहिए, चाहे सौ एकड़ या 50 एकड़, चारों तरफ बंदिश होनी चाहिए, मैनडेटरी लॉ बनना चाहिए कि उसका डैवलपमैंट कोई प्राइवेटली नहीं कर पाएगा। उसका उदाहरण मैं बताता हूँ। छतरपुर के पास मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मेरी पार्लियामैंट्री कांस्टीट्यूएंसी है। वहाँ अंग्रेज़ों का बसाया हुआ एक गाँव है - नौगाँव। माननीय कमलनाथ जी जानते होंगे चूँकि उनका भी क्षेत्र वहाँ पड़ता है। नौगाँव में अभी भी जितनी सड़कें हैं, वे 70-80 फीट चौड़ी सड़कें हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की बनाई हुई हैं। अभी भी उस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में वह सबसे बढ़िया गाँव है। वहाँ की आबादी मुश्किल से एक लाख है, लेकिन अब माफिया के लोगों ने ले लिया है और उसमें 10, 100 या 50 स्क्वैयर फीट पर स्लम बढ़ता जा रहा है। इसकी कोई नीति नहीं है। मैं आपको एक प्रिंसिपल की बात बताता हूँ कि चार-पाँच कैटेगरी के शहरों में आबादी के हिसाब से नीति

बननी चाहिए। एक करोड़ और ऊपर की आबादी वालों को अलग कर दीजिए। 30 लाख से 50 लाख की आबादी वाले शहरों को अलग कर दीजिए। एक लाख से 10000 और 50000 के नीचे वालों को अलग कर दीजिए और उनमें कंपलसरी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पॉवर सप्लाई, इनफ्रास्ट्रक्चर और गेम्स इत्यादि की पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। हमने इलाहाबाद आदि शहरों में देखा कि यूथ सड़कों पर खेलते हैं, खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, पार्क ही नहीं हैं, ये यूथ कहाँ जाएँ? इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। अभी जबलपुर में क्या हुआ कि वहाँ के मेयर ने कहा कि कोई भी गाय-भैंस शहर के अंदर नहीं रख सकते और उनको पाँच-पाँच एकड़ की ज़मीन दे दी, जहाँ शहर समाप्त होता था। ऑटोमैटिकली जबलपुर क्लीन हो गया और वही व्यवस्था आ गई जो अंग्रेज़ों के ज़माने में थी। लेकिन यह व्यवस्था तब हो सकती है जब सही कानून बने नहीं तो म्यूनिसिपैलिटीज़ पर है कि जहाँ कार्पोरेशन का इलैक्शन हुआ, कार्पोरेशन ने काम नहीं किया तो लोगों ने उसका नाम हिन्दी में रख दिया - करो परेशान। वे परेशान ही करेंगे। आपने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, इतना लंबा चौड़ा नाम बनाया है। यह 2005 में शुरू हुआ और अभी जो आँकड़े मैं पढ़ रहा था, इसमें अभी तक 40 और 50 प्रतिशत कारगुज़ारी नहीं हुई और इस पर काम खत्म हो गया। तब बड़ी मुश्किल से 2014 तक बढ़ाई गई। 2005-2006 में यह योजना आई और 50 परसेंट भी उसका काम नहीं हुआ, तो यह कैसी योजना हुई? हम आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं कि इलाहाबाद शहर में देख लीजिए। इलाहाबाद शहर ने इस देश को छः प्रधान मंत्री दिये। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मैं नाम गिना सकता हूँ कि कितने लोग यहाँ प्रधान मंत्री आए। इलाहाबाद शहर में एयरपोर्ट नहीं है। जो इलाहाबाद सन् 1950 से 1970 में था, वह अभी भी उसी तरह है। इलाहाबाद में वर्ष 1911 का ड्रैनेज सिस्टम है। अब वहां ड्रैनेज सिस्टम हो रहा है। पूरा इलाहाबाद खुद गया है। आप कहीं सड़क पर नहीं चल सकते हैं। इलाहाबाद के 70 प्रतिशत बच्चों को अस्थमा हो गया है, क्योंकि सब तरफ खुदाई हो रही है। ट्रांसपैरेंसी का कोई नाम ही नहीं है। यह नहीं पता लग रहा है कि कहां से फण्ड आ रहा है और यह काम कब तक खत्म होगा? वहां रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब तक इसकी कोई क्लीयर पॉलिसी नहीं होगी, तब तक ऐसा ही होगा। कोई अच्छा मेयर आ गया तो ठीक काम करेगा और कोई गड़बड़ आ जाएगा तो खा जाएगा। मेरा मानना है कि इस पर कोई राष्ट्रीय नीति या एक्ट बने जो मैन्डेटरी हो और हर सिटीजन को उसकी जानकारी हो। इलाहाबाद जैसे शहर में कोई सिवरेज सिस्टम नहीं है। जब सिस्टम ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा?

महोदय, आंकड़े आ रहे हैं कि 39 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। यदि किसी को कन्फ्यूज़ करना हो तो आंकड़े बाज़ी में चले जाइए। the speaker tries to impress his personality more than the personality of the issue. हम आंकड़े की बात नहीं करना चाहते हैं। जीडीपी के पचास प्रतिशत की

जरूरत है। 120 करोड़ की जनता में से लगभग 45 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। यदि हम इसे गम्भीरता से नहीं लेंगे तो जैसा कि हैक्स-ले ने कहा "If you do not solve the problem then the problem itself will find the solution." उसके बाद तबाही हो जाती है। हमें मालूम है कि जब तक शहरी विकास मंत्री इन चीजों को समझेंगे, तब तक दूसरे मंत्री आ जाएंगे। जब से हम पार्लियामेंट में आए हैं, ये सैकिण्ड मिनिस्टर हैं। इसलिए इसकी कोई नेशनल पॉलिसी डिबैट करके बनायी जाए।

महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि शहरों में रोड़ के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। बैंगलुरू इतना बढ़िया शहर था, लेकिन अब उसकी सड़कें तंग लग रही हैं। बैंगलुरू को आईटी हब बनाया गया, लेकिन पॉलीटिक्स की वजह से वह भी नहीं बन पाया। बैंगलुरू भी गड़बड़ हो गया। It is very scientific and the work of an expert. कि प्लानिंग कैसे हो। लेकिन प्लानिंग में प्रिंसीपल्स की बात आनी चाहिए और कम से कम पचास साल की प्लानिंग होनी चाहिए। लंदन शहर की आने वाले 75 सालों की पोटेबल वॉटर की प्लानिंग तैयार है और वहां इसकी कोई प्राब्लम नहीं है। हमारे यहां इलाहाबाद में गंगा नदी पर एक पुल बनाया गया है। अभी उसे बने दस साल नहीं हुए हैं, लेकिन पूरी जनता कह रही है कि यह पतला पुल है। आपने सिंगिल पुल बना दिया। आबादी तेजी से बढ़ रही है। बुंदेलखण्ड का झांसी सैन्ट्रल इण्डिया का हब है। साउथ और नॉर्थ को झांसी कनैक्ट करता है। लेकिन वहां के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। न रोड़ की प्लानिंग बन रही है और मैं कहता रह गया कि रेलवे की प्लानिंग बना दीजिए। अंग्रेजों के ज़माने में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए झांसी बड़ा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन था। वह अब खत्म हो चुका है। यदि झांसी का डेवलपमेंट हो जाए तो कम से बीस जिले बुंदेलखण्ड और मध्य प्रदेश के ठीक हो जाएं। लेकिन सब इग्नोर हो रहा है।

महोदय, रायबरेली में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल के लिए बड़ी ज़ोरदार सिफारिश हो रही है। रायबरेली से 60 किलोमीटर पर लखनऊ में तो संजय गांधी हॉस्पीटल है ही। अगर आपको वाकई में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल बनाना है Why do you not build a hospital? जहां वास्तव में जरूरत है। बुंदेलखण्ड या ईस्टर्न डिस्ट्रीक्ट में, जौनपुर, देवरिया या गोरखपुर में बना दीजिए। लेकिन अगर आप एम्स के बगल में बना रहे हैं तो यह ठीक नहीं है।

महोदय, मैं इलैस्ट्रेशन से अपनी बात कहना चाहता हूं कि क्या होता है, जैसे कि रेल मंत्री वेस्ट बंगाल से हैं, तो पता लगा कि रेलवे वेस्ट बंगाल की तरफ झुका हुआ है। मेरा कहना है कि कंट्री की रिक्वायरमेंट की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी के जमाने में जब वे रेल मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद जो सन् 1960 में था, वही अभी भी है। आप धार्मिक पुरूष हैं। आप जानते हैं कि इलाहाबाद में कुम्भ में तीन से चार करोड़ जनता आती है। वहां कोई इंतजाम नहीं है। वहां कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए जब तक कोई पॉलिसी नहीं होगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो इस तरह से हैपहैजार्ड प्लानिंग करते रहेंगे।

अन्त में, मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको समयबद्ध करें। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष से पलायन को रोकने के लिए जब तक स्पष्ट पॉलिसी नहीं होगी, तब तक वह होती रहेगी। मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए।

*SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM): A country can said to be in the growing path only if its infrastructure facilities are developing and the standard of living of the poele is progressing. A recent survey shows that more than 60 per cent of the population of our cotnry live below the poverty line.We have to see whether the benefits of our economic growth are really reaching the poor and the downtrodden poeple.The study shows that there is a concentration of buying power in the top 30 to 35 per cent of the population. Therefore, the benefits of growth are capitalized by the rich poeple of the coutnry. The 60 plus per cent of population below the poverty line is not progressing as fast the richer community. Hence the efforts of the Governemnt should be to ensure that the money sanctioned for poor should directly reach them.

In order to provide better urban infrastructure, housing, and sanitation in the coutnry, our Central Government has been allocating resources to State Govts through various centrally sponsored schemes. The Central Govt. is also providing finances through national financial institutions in the coutrny. The Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNURM) aims at providing basic services to urban poor for 65 select cities and Integrated Housing & Slum Development Programme for other cities and towns. Under the JNURM , the Central Govt. has sanctioned more than 1.57 milllion houses till February, 2012. The Rajiv Awas Yojana or RAY provide support for shelter and redevelopment and aims at creation of affordable housing to State that are willing to assign porperty rights to slum dwellers. Our Govt. has launched the Affordable Housing in Partnership or AHIP scheme with an outlay of Rs. 5000 crore for construction of one million houses for economically weaker sections of the society through out the coutnry. In order to address the housing shortage in the coutnry the Interst Subsidy Scheme for Housing the Urban pOor or ISHUP has been launched by our

---

* Speech was laid on the Table

Government. Till December, 2011, 8734 poeple have been benefitted in Kerala, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu. An interest subsidy of Rs. 7.57 crore has been released.

We know that the purchasing power of the poor can be enhanced only by enabling them to develop their skills. As on 31 October, 2011, the National Council on Skill Development has approved 34 trainingprojects spread across 177 districts in 20 sectors through out the coutnry. Under this scheme, more than 12.19 lakh persons were trained under the 6753 vocational training providers in the country.

A recent survey shows that 69 percent of urban population and 67.3 per cent of rural poeple in Kerala are living under the poverty line. I, urge upon the Central Govt. to sanction more funds under the Centrally sponsored schemes to enhance the living conditon of the poor people of Kerala.

With these words, I support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Urban Development for the year 2012-13.

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नगर विकास विभाग की अनुदान मांगों पर यह चर्चा हो रही है। इस चर्चा में सभी दलों और सभी वक्ताओं की ओर से जो बात उभरकर आ रही है, वह यह है कि आज पूरे देश में शहरों की स्थिति बिल्कुल ही नारकीय है। आज जो नागरिक सुविधाएं हैं, वे शहरों को नहीं मिल रही हैं। मुझे खुशी है कि भारत सरकार के माननीय मंत्री कमल नाथ जी एक अनुभवी आदमी हैं। मुझे इनके नेतृत्व में भरोसा और विश्वास है। ये हमारी शहरों की समस्याओं को जानते और परखते हैं। मुझे भरोसा है कि उसका निदान करने में इनका मार्गदर्शन बहुत ही बहुमूल्य होगा और मुझे अनुमान है कि इस देश के नागरिकों के लिए कुछ लाभ ही मिलेगा।

महोदय, शहरों की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। एक समय कहा जाता था कि उत्तम खेती, वह खेती आज अलाभकारी हो गयी है। चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो, दूसरे साधन हों, चाहे वह खेत में काम करने वाला किसान हो या कृषक मजदूर, उनके लिए गांवों में रोजगार के साधन दिन-प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं और लोग शहरों में रोजगार की तलाश में भाग रहे हैं। जब आबादी बढ़ेगी, शहरों का बेतरतीब विकास होगा तो वहां लोग नारकीय जीवन जीने को बाध्य होंगे। खासकर, हम लोग जिस बिहार राज्य से आते हैं, वहां जबसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी, उन्होंने साधनहीन राज्य होते हुए भी बिहार के शहरों के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। हम माननीय मंत्री जी से और भारत सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा पिछड़ा राज्य बिहार है, उसकी राजधानी पटना और अन्य दूसरे शहर हैं, जब तक केन्द्र सरकार वहां अपना खजाना नहीं खोलेगी, तब तक बिहार के जो शहर हैं, खासकर जो राजधानी पटना है, हम उसका सर्वांगीण और सम्यक विकास नहीं कर सकते।

महोदय, हम जहानाबाद से आते हैं। आपने जहानाबाद का नाम सुना होगा। वह वर्षों से उग्रवाद प्रभावित इलाका है। वहां तीन शहर हैं- जहानाबाद जिला मुख्यालय, अरवल जिला मुख्यालय और मखदुमपुर नगर पंचायत। जिस इलाके में उग्रवाद आता है, वहां के लोग शहरों में अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। जिन शहरों का नाम मैंने लिया- जहानाबाद, अरवल और मखदुमपुर- बीस वर्षों के अन्दर उनकी आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वहां नागरिक सुविधाएं नहीं के बराबर हैं।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह एवं अनुरोध करना चाहते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए जो इंटेग्रेटेड एक्शन प्लान चलाया है, आज जो इस देश के नक्सल प्रभावित इलाके हैं, खासकर बिहार का जो जहानाबाद जिला है, वहां जो तीन शहर हैं, वहां के लिए भी आप एक इंटेग्रेटेड एक्शन प्लान बनाएं। वहां भी आप नागरिक सुविधाओं का प्रबंध करें, सड़कें, ड्रेनेज एवं शौचालयों

आदि का प्रबंध करें ताकि शहर में रहने वाले लोग केवल कर न दें, उससे उन्हें सुविधाएं भी प्राप्त हों। आप जानते ही हैं कि शहर में आने के बाद टैक्स में भारी वृद्धि होती है, टैक्स बहुत बढ़ता है।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि आप एक एक्शन प्लान चलाएं। खासकर आपकी जो आंतरिक समस्या है, उसके निदान के लिए जो नक्सलवाद प्रभावित इलाका है, हमने मंत्री जी से आग्रह भी किया था कि जहानाबाद के तीन शहर हैं। आप एक मॉडल के रूप में पूरे देश में इसे दीजिए और जहां विकास के काम होते हैं, उग्रवाद पर स्वयं अंकुश लगता है। हमें मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, हम आज इस बजट के माध्यम से इस चर्चा में मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार राज्य का जो जहानाबाद जिला है और वह जिला मुख्यालय एवं मखदुमपुर शहर है। ये तीनों शहर भयानक रूप से उग्रवाद प्रभावित इलाके के शहर हैं, वहां पर एक स्पेशल एक्शन प्लान, विशेष रूप से पैकेज के रूप में आप दीजिए ताकि देश को यह बताया जा सके कि जो शहर उग्रवाद प्रभावित इलाके में है, अगर उनके विकास होते हैं तो वहां के लोग शांतिप्रिय माहौल में जिन्दा रहते हैं और वहां उग्रवाद से मुकाबला हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पूरे देश में सब जगह स्लम बस्तियां हैं। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है, लेकिन मैंने जो जानकारी हासिल की है, वह यह है कि शहरी क्षेत्रों में योजना नहीं चलती। हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां भी इंदिरा गांधी के नाम पर आप इंदिरा आवास योजना चलाइए। वहां भी बीपीएल के गरीब लोग हैं। संधीय ढांचे के बारे में हम बोलना चाहते हैं। जो गरीब राज्य हैं, खासकर हमारा जो बिहार राज्य है, आप जब तक बिहार राज्य को विशेष रूप से आर्थिक मदद नहीं देंगे, तब तक शहरी मंत्रालय के क्षेत्र में बिहार विकसित नहीं हो सकता। राज्य और देश सब एक-दूसरे के हिस्से हैं। हम उम्मीद करते हैं और विश्वास रखते हैं, इस विभाग के जो मंत्री जी हैं, उनकी क्षमता को मैं जानता हूं, वे अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए बिहार राज्य को स्पेशल पैकेज देंगे, ताकि वहां की राजधानी जो पटना है, उसका सर्वांगीण विकास हो सके और एक मॉडल शहर के रूप में पटना शहर विकसित हो सके।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Urban Development.

Already five hon. Members have spoken on the Demands and I am grateful to them. We are also happy as it is a very fortuitous that after 27 years, the Demands of the Ministry of Urban Development are being discussed. May I point out - as the hon. Member, Shri Sanjay Nirupam has said - that the urban space is the most important space because the urban population is increasing. From 28 crores in 2001, it has risen to 37 crores in 2011 and it will rise to 57 crores by 2030 but the urban facilities are not improving. We need to do more in the urban areas and that is why, our Ministry appointed a high-powered Committee which has estimated the need in the area for urban development to Rs.39 lakh crore in the next 20 years, of which Rs.19 lakh crore will have to be spent on operation and maintenance.

1600 hrs

Sir, I would like to quote what the hon. Member, Shri Lalji Tandon from Lucknow said, he said, ठीक है, लेकिन अब कुछ करके दिखाइये। We want to say, कि हमने कुछ किया है। That is what I want to present before the august House. For the first time, the Centre has intervened in a big way in urban development which is essentially a State subject. The Jawaharlal Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) which envisaged an investment of Rs. 1,00,000 crore in a period of seven years has done considerable work in improving the urban situation in the country.

Sir, you would be happy to know that under the JNNURM, 158 water supply projects in big towns have been approved, 112 sewerage projects have been approved; 73 drainage projects, 45 solid waste management projects; 106 roads and flyover project and 21 MRTS projects have been approved. This has happened in the 65 mission cities selected under the Mission. For the smaller towns, under UYDLSP, we have approved 445 water supply projects; 98 sewerage projects; 67

drainage projects and 56 solid waste management projects. That is making a difference.

Shri Sanjay Nirupam spoke of the problems of Mumbai city, our biggest metropolis. He spoke about the problems of drinking water in the city. In Mumbai alone, we have sanctioned Middle Baitarna Project worth Rs. 1329.50 crore. In Mumbai a solid waste management project worth Rs. 178 crore has been approved. Shri Lalji Tandan, who was the hon. Minister for Urban Development in the State of Uttar Pradesh, spoke about Lucknow. I would like to inform you that in Lucknow, the JNNURM has sanctioned two water supply projects; two sewerage projects; one solid waste management project and one drainage project. In Allahabad -- hon. Member, Shri Shailendra Kumar and Shri Vijay Bahadur Singh mentioned about it – two water supply projects; one solid waste management project and one sewerage project has been approved. This means that there has been some change in the urban space.

There has been a demand from the Members for inclusion of more cities within the Mission cities. Now, we have already proposed that 28 cities with five lakh plus population should be included in the list of mission cities. The Planning Commission has asked us to include that in the Twelfth Plan. The hon. Minister for Urban Development will inform the House about this in details about it. In the next phase of the JNNURM, the Ministry is planning to do capacity building for the smaller cities and we are trying to include more number of smaller cities in JNNURM – II. It is because the bigger cities can get money from elsewhere. They can get money on PPP model, but there is nobody to look after the smaller cities. That is another thing that I wanted to mention.

The other thing that the Ministry of Urban Development has done in the last seven years is in the field of urban transport. The Delhi Metro, a joint project of Delhi Government and the Ministry of Urban Development, is one of the best metro railways in the world. The first phase of Delhi Metro Rail has been

completed and the second phase also has been completed at a cost of Rs. 23,000 crore.

After Shri Kamal Nath has taken over as the Minister for Urban Development, the third phase of Delhi Metro has been approved at a cost of Rs. 35,000 crore. Delhi already has 190 kilometres of metro and 17 lakh ridership per day. In the third phase, it will rise to nearly 50 lakhs per day which will be a fantastic achievement.

You will be glad to know that 54 per cent of the work in Bangalore Metro which will cost totally about Rs. 11,600 crore has been completed and seven kilometre run has already started in Bangalore. Chennai is having a new metro. The total cost of it is Rs.14,600 crore and 20 per cent of the work has been completed. Kolkata is starting a new metro for 14 kilometres and almost 20 per cent work is complete. We will have new metros in Kochi and Jaipur.

As regards Mumbai, Shri Nirupam mentioned that the first few lines are being done on PPP basis but the proposal is that for the third line of Mumbai Metro, it will be a joint sector between the Central and the State Government. So, we are not giving it to the private parties. The third line of Mumbai will be done in a joint venture.

I may also inform you that the Ministry has proposed the National Urban Transport Policy. Our policy is to move people and not vehicles. We want to reduce private vehicles on the road and increase public transport. That is why, the Ministry has sanctioned 15,260 modern low floor buses in all the 65 mission cities. You will see them in Delhi also. They have made a change in the urban landscape.

We have also introduced the Bus Rapid Transit System. The BRTS has done very well in Ahmedabad. It is also there in Bhopal, Indore, Jaipur, Pune, Pimpri, Rajkot, Surat, Vijayawada, Vizag and even Kolkata.

SHRI RAJENDRA AGRAWAL (MEERUT): What about Meerut?

PROF. SAUGATA ROY: In Meerut, there is no BRTS. Meerut is part of JNNURM. It is part of the National Capital Region. We are financing projects in Meerut through the National Capital Region Planning Board. We expect Meerut to be a counter-magnet so that all the people do not come to Delhi. We want them to stay in Meerut and live well there with good quality of life.

As I was saying, in the urban transport space, we have made a difference. That is why, it is my plea before the House. The Minister will give a holistic view while summarising that we need more money in the urban space. The amount for JNNURM-I was Rs. 1 lakh crore. For JNNURM-II, we are looking for Rs. 1.75 lakh crore which will be 0.25 per cent of our GDP.

Cities are engines of growth. If we have to sustain the growth of our GDP, we need to spend more on our cities. We must give citizens a better quality of life. The Urban Development Ministry is doing its best in cooperation with the State Governments to improve the quality of life in cities. We are trying to improve urban governance mad build capacity in the urban local bodies. It is with the cooperative effort that the urban landscape and scenario can change.

I seek the support of the House in this urban transformation. .

***श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** आज शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या एक चिंता का विषय बन गया है । हमारे देश में भयंकर बेरोजगारी के कारण लोग बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं ओर शहर में रोड के किनारे एक झोपड़ी बनाकर या फिर एक छोटे कमरे लेकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं , लेकिन ऐसे लोग जहां रहते हैं वह एक ऐसा एरिया होता है जहां पर नालिया खुली हुई है, जहां पर कूड़े ऐसे ही फेंक देते है, महोदय लोग पलायन तो शहर में कर लेते हैं लेकिन जिंदगी यहाँ पर जानवरों के समान जीते हैं, न उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा होती है, न अच्छा भोजन मिल पाता है और न ही उनके बच्चे को शिक्षा की सुविधा मिलती है इसलिये मैं यहाँ सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार गाँवों में नरेगा जैसी योजना चलाई है, वेसे ही शहरों में भी एक ऐसी योजना चलाइ जाए जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके ।

महोदय दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है साफ सफाई की आज भी 80.1 से ज्यादा शहरों में कूड़े दान की व्यवस्था नहीं है। लोग छोटे शहरों में जहां तहां कूड़े को फेंक देते हैं, और यह पर्यावरण को बहुत भयंकर प्रदूषित करता है, इसलिये पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिये इसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है । महोदय सरकार ने वादा किया था कि जेएनएनयूआरएम के द्वारा 5 वर्षों में स्लम फ्री एरिया बना दिया जायेगा लेकिन यह भी संभव नहीं हुआ । शहरों में जो अभी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना चल रही है, उससे शहरी लोगों को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को सख्ती से लागू किया जाए और शहरों में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक नही होने के कारण ट्रैफिक की समस्या ज्यादा होती है, इसलिए इस व्यवस्था को ठीक किया जाए ।

---

* Speech was laid on the Table

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, मुझे लगता है कि मंत्री जी मेरे बाद में बोलते तो अच्छा होता। मेरे भी प्रश्न के भी उत्तर मिल जाते लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपके प्रश्नों का उत्तर बड़े मंत्री जी देंगे।

डॉ. संजीव गणेश नाईक : मैं समझता हूं कि यह हमारा तीसरा बजट है। मंत्रालय ने इन तीनों बजट में अच्छी कामयाबी हासिल की है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा और उनके पूरी टीम को धन्यवाद करूंगा। वर्ष 1951 से वर्ष 2012 यानी पिछले साठ साल की बात करेंगे तो पहले दो हजार आठ सौ चालीस शहर थे। आज साठ साल में करीब-करीब आठ हजार शहर हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि शहरों में कितनी ग्रोथ हुई है? शहरों की आबादी नहीं बढ़ रही है। शहर में माईग्रेशन हो रहा है इसलिए शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। वहां आबादी वैसे नहीं बढ़ रही है। हम सोच रहे हैं कि पांच लाख की आबादी वाला शहर पांच साल में दस लाख का कैसे हुआ? शहरों की आबादी नहीं बढ़ रही है। जैसा कि हमारे सभी सदस्यगणों ने कहा कि माइग्रेशन बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार इस तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से जेएनएनयूआरएम, यह एक ही बड़ा उपाय इसके ऊपर आपने ढूंढा है और पिछले पांच साल को दो साल बढ़ाने के बाद पैंसठ हजार करोड़ रूपये पहली बार कई शहरों के ऊपर खर्चा किया है। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने शहर की समस्याओं की ओर ध्यान देने की जरूर कोशिश की है। इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसकी सीडी बनाने के लिए भी कोशिश की जानी चाहिए। हमने हर एक राज्य को बताया था कि सीडी भी बनाइए। आपके शहरों की आने वाले पचास साल में क्या आबादी होगी? वहां की सड़के कैसी होनी चाहिए? मंत्री जी, मैं समझ रहा हूं कि जिस तरीके से राज्यों ने अपने प्लान सीडी में दिए हैं, मुझे लगता है कि वे सही ढंग से नहीं बनाए गए हैं। इसके बारे में कोई ठीक तरीके से जानकारी नहीं है। मैं खुद नवी-मुंबई का मेयर था तभी यह डेवलपमेंट प्लान शुरू किया गया था। नवी-मुंबई महाराष्ट्र में है। मंत्रालय की ओर से सबसे पहला प्राइज भी हमें ही दिया गया था। दूसरे राज्यों के बारे में देखा कि आपने हर राज्यों को पैसा दिया है। मानलिजिए कि किसी राज्य ने अपने एक शहर के लिए तीन सौ करोड़ रूपया मांगा है उसको आपने फेजवाइज पैसा दिया है। आपने पहले हफ्ते में पचास करोड़ रूपये और दूसरे हफ्ते में पचास करोड़ रूपये दिए हैं लेकिन पहले पचास करोड़ रूपये का काम ही नही हुआ। काम बंद पड़ चुका है। वहां एलोकेशन दिया है। काम वहां नहीं है। वहां पैसा खर्च नहीं हो रहा है। यह एलोकेशन जो दिया गया था, जैसे आप एक स्टेट को तीन हजार करोड़ रूपये दे रहे हैं लेकिन वहां आज तक पांच सौ करोड़ रूपये ही खर्च हुए हैं। बाकी का पैसा एलोकेशन की वजह से वैसे ही रूका पड़ा है। महाराष्ट्र जैसा स्टेट आगे बढ़ कर पांच हजार आठ सौ करोड़ रूपया मांगा था लेकिन छः हजार करोड़

रूपया खर्चा किया है। अभी हम पैसा मांग रहे हैं तो सरकार बोल रही है कि आपका एलोकेशन पूरा हुआ है हम पैसा नहीं दे सकते है। अगर कोई बच्चा अगर अपने क्लास में पहला आता है और दूसरे साल भी पहला आता है तो उसको बोलेंगे कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे ख्याल से मंत्री जी यह ठीक नहीं है। जो शहर, जो राज्य अच्छा काम कर रहा है उसको बढ़ावा देना चाहिए। हमारे सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं।

सभापति महोदय : कृपया संक्षिप्त करें।

डॉ. संजीव गणेश नाईक : पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हमारा शहर हिन्दुस्तान का दूसरा शहर है जहां खुद का अपना डैम बनाया है। इस तरह से प्लानिंग किया गया था कि स्टेट गवर्न्मेन्ट और सेन्ट्रल गवर्न्मेन्ट को भी बुलाया कि आप इस तरीके से शहरों का नियोजन बनाइए ताकी हर शहर अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसे शहरों की अभ्यास करके बताने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस बारे में सरकार जरूर ध्यान दें। जेएनएनयूआरएम का जो, आपने शहरी परिवहन सेवा उसके लिए मदद कर रहे हैं लेकिन बहुत बड़े-बड़े शहरों के लिए बड़ी-बड़ी बसें हैं। जो छोटे शहर है उनके रास्ते भी छोटे हैं। मैं विनती करूंगा कि बसेज की जो आपने नॉर्म्स दिए हैं कि बड़ी लंबी बस होनी चाहिए। इसे अगर आप मिनी बस में चेंज करेंगे तो इसका फायदा जरूर हमारे शहरों को हो सकता है। युआईडीएसएसएमटी में आप छोटे-छोटे शहरों को ले रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ऐसा राज्य है जिसने ऐसा प्लान किया है कि बड़े शहरों के दस किलोमीटर रेडियस वाले जितने भी गांव हैं उनको अभी से ही प्लानिंग में डाल दिया है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से राज्य सरकारों से अगर केन्द्र सरकार करती है तो लगता है कि आने वाले पच्चीस सालों-पचास सालों में जब छोटी सड़कें बड़ी सड़कों की तरफ जाती है तो ट्रैफीक जाम होता है। इसकी प्लानिंग अभी से ही करेंगे तो आने वाले समय में हम देश में अच्छे शहर का निर्माण कर सकेंगे। मुझे बोलना तो बहुत था लेकिन समय की कमी की वजह से मैं अपनी बात ज्यादा नहीं रख पा रहा हूं। केन्द्र सरकार की नई योजनाएं खासकर जेएनएनआरयूएम पार्ट-टू को जल्द से जल्द ला कर उसको आप कार्यान्वित कीजिए। मैं ऐसा विनती करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Mr. Chairman, Sir thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion.

Sir, according to the Central Public Health Engineering, India's requirement of funds for the safe water supply and sanitation services by the year 2021 would be Rs. 1,72, 905 crore. According to the Rail India Technical and Economic Services (RITES) the funds required for the urban development infrastructure investment in cities with the population of lakh during the next 20 years would be Rs. 2,07,000 crore. The funds can be allocated from the Central, State Governments, Public-Private Participation schemes etc.

Sir, in modern India most of the rural population is migrating to urban areas for their children's education and for their future development. It becomes necessary to plan out the Urban Development schemes to accommodate them so as to be satisfied and convenient for all.

Sir, when compared to the countries like China, Indonesia, South Korea, Mexico and Brazil, the total population in urban area in India is very low. At the same time, the *per capita* income in India is also low. This may also be the reason for the low number of migration to the urban area. The Government should make an efficient strategy to meet out the needs of the rural population who are migrating to urban area in another 15 to 30 years.

Sir now, I would like to say something about Urban Transport Policy. The Urban Development plays an important role in the development of a nation. In order to develop the urban area, the Urban Transport Policy plays a key role.

Sir, nowadays, the number of motor vehicles is increasing. But, at the same time, the road facilities are not in proportion to accommodate them. Traffic jam is the biggest problem in major cities and Metropolitan cities in India. So, the present need of the hour is to plan for the World Class Roads.

The number of accidents in India is on the increase. The Government should plan to bring down the number of accidents all over India in the years to come.

We must plan to put the road by keeping in view of 25 years ahead. When comparing to developed countries in the field of Highways, now India is lacking behind 10 to 15 years. This gap must be reduced as quickly as possible. Moreover, the life of the Indian roads is very poor. It could not sustain even for two or three rainy seasons. The roads are getting damaged quickly. The status of the Highways is also in a very pitiable condition. The Government should take action to follow the principles of quality roads. There should not be any compromise for the poor quality. For example, the Yamuna Expressway road laid down between NOIDA and Agra by a reputed firm seems to be a high quality concrete road. The travel duration is much saved and also wear and tear of the vehicle is also minimized. Not only that the traffic jam is also avoided.

16.19 hrs (Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

Madam, on this occasion, I would like to appreciate the efforts of the Government. We should prefer to plan for such roads all over India.

Now, I come to preparation of estimates. In most of the Highways Offices, just by sitting in office, the officials are preparing the estimates based on the old estimates only. Instead of that, they must be instructed to inspect the actual location and prepare the estimate. While preparing the estimate, they should take into consideration of the soil test, measurement, local canals, pools, ponds, crossing and the environments too.

Now, I would like to say something about tourist places namely Agra, Rameswaram and Kasi which are famous tourist destinations. Thousands of foreigners and the Indian tourists are visiting these places but the infrastructures like road facilities, staying facilities and the world-class environment are also not satisfactory. The maintenance of the City is very poor. The Government should take initiative and necessary steps to develop such tourist places so as to attract more foreigners and, by that way, the foreign exchange will also increase. The Government should take immediate steps to modernize Agra, Rameswaram and

Kasi, the most familiar religious, pilgrim places so as to attract foreigners as well as Indians.

Now I come to Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission (JNNURM). I would like to say that JNNURM is a pioneer scheme and an excellent scheme implemented for the development of slums, accessibility to drinking water, sewage, solid waste management, roads and street lights to all. It was launched in 2005 and it ended on March, 2012. The Government should take efforts to renew JNNURM Scheme for further ten years and more funds should be allotted.

With these words, I conclude.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Madam, I deem it a great privilege to participate in the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Urban Development before this august House.

Madam, I would like to start with some statistics that depicts the stark reality and I urge that importance should be given to the issue of urban development. I have taken this from the Ministry's Note itself. In India, out of the total population of 1027 million, in 2001, about 285 million persons lived in urban areas. The proportion of urban population has increased from 19.9 per cent in the year 1971 to 27.8 per cent in the year 2001. The decadal growth of urban population was 31.2 per cent in 1991-2001. One of the salient aspects of urbanization in India in recent decades is the slowing down of urbanization during 1981-1991 and 1991-2001 as compared to 1971-1981 and 1961-1971. That the number of cities over 1.0 million population, in 2001, was 35 and population share was over 37 per cent is another trend that shows large variation patterns of urbanization in various States and cities. The contribution of rural-urban migration ranges between 19 per cent and 21 per cent of the net increase in urban population. The Registrar General of India has projected the total urban population for India and the States. It is interesting to know that 67 per cent of total population growth in India in the next 25 years is expected to take place in urban areas. The urban population is expected to increase from 285 million in 2001 to 534 million in 2026, that is, 38 per cent.

Madam, Urban India is plagued by shortage of housing facilities and scarcity of land for social overheads like roads, footpaths, parks, schools and so on. The roots of these problems can be found in the inadequate, inefficient, iniquitous land policy of the country. Our cities such as Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, etc. are aspiring to become world-class cities like Shanghai and Dubai by Linking of India with global economy for massive inflow of capital from outside the country as also rise in indigenous investment. The proponents of economic

liberalization and associated structural reform have argued that this new strategy would accelerate rural-urban migration and give boost to the pace of urbanization. Sustainable urban development does take account of social and environmental effects and it means balance between the development of the areas and protection of the environment with an eye to equity in employment, shelter, basic services, social infrastructure and transportation in the urban areas. I think the Ministry should take an appropriate decision to cope up with all these factors.

There is a tremendous pressure on civic infrastructure systems like water supply, sewerage and drainage, solid waste management, etc. Recent data suggest that water supply is available for 2.9 hours per day across cities and towns. The non-revenue water that includes physical and revenue losses account for 40-60 per cent of total water supply. About 30 to 50 per cent households do not have sewerage connections and less than 20 per cent of total waste water is treated. Solid waste systems are severely stressed. The state of services reflects the deterioration in the quality of city environment. As per the 54th Round of National Sample Survey, 70 per cent of the urban households are being served by tap and 21 percent by tube well or hand pump. Madam, 66 per cent of urban households reported having their principal source of water within their premises while 32 percent had it within 0.2 km. Madam, 41 per cent had sole access to their principal source of drinking water, and 59 per cent were sharing a public source.

As per the 54th Round of NSS, 26 per cent of households had no latrines, 35 percent were using septic tank and 22 per cent were using sewerage system, sewerage connections varied from 48 percent to 70 per cent. The statistics show an alarming public health disaster in future. I think the Ministry would take concrete measures to deal with this issue.

Madam, adequate fund has to be allotted for water and sanitation in the Budget. Apart from this, the number of private water projects is increasing at a fast rate which systematically marginalizes and exclude the poor from access to quality drinking water. The New National Water Policy suggests that the Government withdraw from its role as a service provider in the water sector. Instead, it says, communities and private sector should be encouraged to play this role. The proposals could mean sharp rise in the cost of water for both rural and urban users. The Government should withdraw all moves against privatization of urban water supply.

Madam, another important issue is solid waste management. My colleagues have already spoken about this issue. It is estimated that about 1,15,000 MT of municipal solid waste is generated daily in the country. *Per capita* waste generation in cities varies between 0.2 and 0.6 kg. per day and it is increasing by 1.3 percent per annum. Given the adequate solid waste management in Indian cities, the Supreme Court gave direction to the Ministry of Environment and Forests to prepare Solid Waste Management (Handling) Rules, 2000. What is the impact of these rules on the ground? In many States, for example, Kerala, Kudumbasree groups participated successfully in the solid waste management. Such initiatives with community participation should be replicated in other cities of the country.

Madam, careful look at the much celebrated JNNURM proves that it is essentially a reform-linked investment programme of the private capital targeting Indian cities. Privatisation and commercialisation of basic services through public private partnership with an introduction of user fees; liberation of land and real estate market through repeal of Urban Land Ceiling Act and change in Rent Control Act; valorisation of private sector and private credit rating agencies over elected civic bodies; bringing urban poor in the orbit of pay and use framework, for example. User fee for basic services, etc. are some of the key items of the Mission. All previous Central Government funding and programme, *Swarna*

Jayanti Sahakari Rozgar Yojana, Valmiki-Ambedkar *Aawaas Yojana* (for housing and socially marginalised urban poor), the National Transport Policy, etc. were brought under this Mission. Projects that were given priority were mega infrastructure projects, gigantic commercial complexes, shopping malls, cultural facilities and urban spectacles. One by one, cities started joining the bandwagon and pledged commitment to private capital for transforming their physical and institutional landscapes. The Government should take immediate measures to cover the poor sections of the country for extending benefits of these projects.

The 74th Constitutional Amendment Act in 1992 that brought decentralisation made the urban local bodies more independent but the reduced budgetary allocations and shrunken economic base forced them to raise funds from the capital market surfaced as a debatable issue as it led to compromises on pro-poor projects. No anti-monopoly measures were taken to curb the consequent inter-urban disparity or the stress on services and infrastructure in large cities that this process led to. The consequence is, the concept of private cities gradually gained acceptance in India. If all goes well, India should have at least 30 private cities across the country by the end of this decade. The number could be even greater, considering the manner in which India's policy-makers are allowing this concept to germinate. SEZs is a related issue. Madam, as many as 19 SEZs have area more than 1,000 hectares and covering more than half of the total area under SEZs. Lakhs of people of common people have been evicted from the area where they were born and living for a number of years. So, the Government should pay adequate compensation for those poor people who are evicted from the SEZ areas.

So, while starting new projects, the Government should take care of the poor people who are living in the urban areas for a number of years and they should take appropriate measures to protect their interests and fulfil their dreams.

With these words, I conclude.

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): Madam Chairperson, I heard the intervention of the hon. Minister of State for Urban Development where he made a plea to the House that the demand for meeting the urban requirements was close to Rs. 39 lakh crore. But the total amount allocated is only Rs. 7,729 crore. So I would like to ask a question to the hon. Minister of State.

PROF. SAUGATA ROY: That is for 20 years, not for one year.

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO : All right. I would urge the hon. Minister to inform us as to what is the amount required to really take care of the urban pressures and whether he feels he is getting enough allocation or not. My point is, out of Rs. 7,729 crore, if Rs. 5,500 crore is allocated to the metro system, which is two-thirds of the total budget, it is a good thing.

But there is an urban pressure. This is at a time where the urban population, as per the hon. Minister, is supposed to double in the next 20 years to 600 million and the GDP contribution of urban areas is supposed to rise from 60 to 63 per cent right now to 75 per cent by the year 2030.

In view of this, I would like to point out, despite the disdain for numbers shown by my learned friend Shri Vijay Singh, some numbers. India spends 17 dollars on *per capita* terms on its urban population which is only 14 per cent of what China spends at 116 dollars and a mere 6 per cent of what New York spends which is 292 dollars *per capita*. So, I would urge the hon. Minister that the Government should need to spend much more. However, we also have to evaluate the broad policy formulation and the monitoring by the Ministry of Urban Development in the four major components, namely urban development, urban water supply, urban transportation and urban sanitation.

Madam, let me now quote some numbers provided by McKinsey on some of the key areas. The best in class water supply quantity as per McKinsey's index is 220 litres per day and the United Nations Basic Services Standard say it is 150 litres per day, but in India, our people get only 105 litres per day. The share of public transportation, as a percentage, is 82 per cent as per McKinsey's index and 50 per cent as per United Nation's standard and India stands at 30 per cent. On parks and open spaces, 16 sq.m. *per capita* is the yardstick given by McKinsey and 9 sq.m. given by the United Nations, but in India, we have a mere 2.7 per cent of parks and open spaces *per capita*. On sewage treatment, 100 per cent is the figure given by McKinsey and the United Nations, but we stand at 30 per cent. In solid waste management also we fall short of the standard.

So, not only do we fall short in terms of quantity, even on quality, we all know the kind of quality of water supply that we have in urban areas of our country. I cannot think of a single city where we can actually drink water from the tap and feel safe. Madam, in the World Water Development Report, 'Water for People, Water for Life 2003' by 23 United Nations Partners constituting the World Water Assessment Programme (WWAP), India was ranked 120 out of a total of 122 countries. That is not something we need to be proud about.

Under JNNURM, the flagship programme of the Urban Development Ministry, I have figures which say only 20 per cent has been utilised. Vijay Singh Ji was saying about 40 per cent or 45 per cent has been utilised. However, we can agree that there has been much less utilisation than what was envisioned. One of the main reasons for that, Madam, is the lack of capacity building at the ground level. Whereas these massive schemes have come on to urban areas, the local officials, the locally elected people do not have the wherewithal and the know how to administer these schemes. I wish that the hon. Minister and the Ministry in turn will put the required emphasis to ensure that such schemes do actually get implemented and utilised.

Madam, I know that the Ministry of Urban Development is not the only Department which works for the benefit of the urban areas. You have the Ministry of Housing, you have the Ministry of Sports, which has urban sports infrastructure and I am sure other Ministries also participate to an extent. However, the basic policy formulation, the basic coordination and long term planning lies with the Ministry of Urban Development. We know, Madam, that we have not been able to create adequate urban infrastructure, and this is not in the last three to five years but this is a struggle for the last 30 to 50 years, and neither have we been able to create additional urban areas which lessen the burden of our urban infrastructure.

In that context, Madam, I would like to ask the hon. Minister why the Master Plan of Delhi has been passed. We know the kind of pressures which exist on Delhi as a city. Is it because of pressures in the Urban Development Ministry, is it because of pressures under the DDA, under the Lieutenant Governor or is it because of pressures on the MCD, under the Government of Delhi? This is not an easy task coordinating these three Departments. However, the onus of ensuring that we do have the Master Plan passed lies on the Ministry of Urban Development… (*Interruptions*) Implement it. They have passed it but it has not been implemented… (*Interruptions*)

Madam, I will not take too much time and I do hope that you will give me two minutes. One of the major contributions by the Urban Development Ministry was the formulation of a Model Municipal Law for the State Governments to follow. Only four State Governments, Rajasthan, Bihar, Odisha and Sikkim have based their municipal laws on the Model Municipal Law. These are four Governments which do not have urbanization to that extent as other States do, yet they have followed this law. I would urge the hon. Minister to recognize the fact that these State Governments have followed that law and grant substantial incentives to them so that other State Governments can be pulled into this.

Madam, one of the other things which we have solely lacked in creating additional urban infrastructure is finance. Not all the financing comes from the

Government, we completely understand that. However, in the United States of America Municipal Bonds are used very effectively to finance gaps in creation of urban infrastructure. Madam, ten per cent of the debt market in the US is Municipal Bonds, whereas in India it is a mere one per cent. I would urge the Ministry of Urban Development to come up with some sort of support structure which can help enable municipalities to create a financing system for their own infrastructure, such as, maybe Government buildings in these urban areas paying adequate amount of taxes, which does not exist.

Madam, lastly, since you have already rung the bell once, the hon. Minister of Urban Development was himself the Environment Minister, however, since Independence we have not been able to create even a single Green City, which can be used as an example for other cities to follow in our environment of climate change. I would urge the hon. Minister to consider giving substantial incentives to those cities which actually go plastic free or act for sewage treatment or for waste management treatment.

श्री उमाशंकर सिंह (महाराजगंज): महोदया, शहरी विकास विभाग के बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री जी काफी अनुभवी हैं और लगता है कि उनके अनुभव का लाभ शहरवासियों को मिलेगा। शहर की आबादी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। गांवों में सुविधा नहीं होने के कारण लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। इस कारण शहर में भी गरीबी बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिन पूर्व योजना आयोग ने पता नहीं किस मंशा से कहा कि 26 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले लोग जो शहर में रहते हैं, वे गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे। योजना आयोग का यह कैसा मापदंड है, क्योंकि इससे तो शहर में कोई गरीब रह ही नहीं जाएगा। टैक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुविधा नदारद होती जा रही है। मैं देश के सबसे पिछड़े राज्य से आता हूं। मैं अन्य शहरों की बात क्या करूं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना में भी बहुत-से इलाके हैं, जिनकी आबादी दो-दो लाख है। वहां पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। पेयजल की वहां सप्लाई नहीं है। मैं छपरा, सिवान जिला, जहां से इस देश के निर्माण में कई महान हस्तियों ने अग्रणी भूमिका निभाई है, इस जिले में कई शहर ऐसे हैं, जहां लाखों की आबादी है, लेकिन नगर पंचायत नहीं है, लेकिन वहां पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। मैं महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से आता हूं। महाराजगंज का मुख्यालय अनुमण्डल मुख्यालय है, लगभग सात वर्षों से वहां पानी की टंकी बनकर तैयार है, लेकिन शहरवासियों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत-से छोटे-छोटे शहर मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इन छोटे-छोटे शहरों की तरफ भी ध्यान दिया जाए।

राष्ट्रीय जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन, जिसका शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसम्बर, 2005 में किया, जिसकी अवधि वर्ष 2012 तक निर्धारित है। मुश्किल से 25 से 30 प्रतिशत शहर इस योजना से लाभांवित हुए हैं। 70 से 75 प्रतिशत शहर इस योजना के लाभ से वंचित हैं। मैं समझता हूं कि इस योजना की समय अवधि का अगर विस्तार नहीं होता है, तो इस योजना का लाभ नहीं हो सकता है। भारत नगर और शहरी के विकास करने की व्यवस्था में जो अव्यवस्था है कि बिहार में कई बड़े-बड़े शहर ऐसे हैं, पटना के अलावा, मुजफ्फरपुर, छपरा, सहरसा, पुनिया, भागलपुर है, ये सभी शहर पेयजल के अभाव में त्रस्त रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस योजना के समय में विस्तार किया जाए। बहुत लोगों ने आंकड़े दिए हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत के शहरों में गरीबी बढ़ती जा रही है। इस बारे में कई कमेटियां बनी हैं, चाहे तेंदुलकर समिति हो या दूसरी समितियां हों, सभी समितियों ने अपनी-अपनी राय दी है और गरीबी रेखा से नीचे बसने वाले लोगों की सूचियां बनती रहीं। बीपीएल, एपीएल बनता रहा लेकिन अभी तक कोई ठोस आंकड़े नहीं बन पाये। शहर के किनारे रहने वाली माताएं, बहनें और बहुएं सड़कों पर शौचालय जाने के लिए बाध्य होती हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि छोटे-मोटे शहरों में तो यह समस्या

है ही लेकिन बड़े बड़े शहरों में भी शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में शहर नर्क के रूप में तबदील हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में भी नाले अतिक्रमण से प्रभावित हैं। कई नाले ऐसे हैं, जिनके लिए रूपया भी दिया गया लेकिन एनडीएमसी, डीडीए और पुलिस की लापरवाही के चलते वे अभी तक नहीं बन पाये हैं। ऐसी व्यवस्था है, इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नवीकरण मिशन एक बहुत अच्छी योजना है और इसलिए इसका विस्तार किया जाना चाहिए तथा सिर्फ राजस्व की वसूली नहीं हो, माननीय मंत्री जी टैक्स न बढ़ाएं, शहरों में भी सुविधा उपलब्ध हो तो शहर में लोग जीने के लिए काफी लाभान्वित होंगे।

मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत से ऐसे शहर हैं जो नगर पंचायत नहीं बने हैं लेकिन उनकी आबादी ज्यादा है। महाराजगंज बनने के दस वर्षों के बाद एकमात्र नगर पंचायत बना है। अभी बहुत से ऐसे शहर हैं जिनमें पेयजल की सुविधा नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि जो देशरत्न डा. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जिला रहा है, वैसे जिले में हमारे माननीय मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान दें और उन इलाकों में भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएं।

***श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल):** आज शहरों की आबादी दुनिया के सर्वे सूची में निरन्तर बढ़ रही है और आज गांवों से रोजगार व अन्य सुविधाओं के लिए शहरों की ओर पलायन कर रही है। आज गांव की अपेक्षा शहरों का महत्व बढ़ा है। आज शहरों की मांग बढ़ी है। लोगों की पहली पसंद शहर की ओर बढ़ी है। इसके अनेक कारण हैं। चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या औद्योगिक दृष्टि से हो, मुख्य कारण इसके साथ आवश्यक सुविधाओं की भी पूर्त्ति शहरों में ही मिलती है।

आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे सत्ताइस वर्षों बाद आज इस विषय पर चर्चा हो रही है। अतः आवश्यक पूर्त्ति शहरों के विकास के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर शहरों के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए जिसमें क्या आने वाले समय में अधिक से अधिक शहरों को जोड़ने का प्रयास योजना आयोग के माध्यम से जल्द जोड़ने का कार्यक्रम तय करेंगे। छोटे शहरों का ध्यान रखने के लिए जे.एन.एन.एल.आर.एम. के माध्यम से छोटे शहरों को आपूर्त्ति करेगी, ऐसा विश्वास करती हूं।

आज छोटे शहरों में भी बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है। चाहे पीने के पानी की समस्या हो, सड़क-नाली की समस्या हो, स्लम बस्तियों में आज भी पानी, सड़क, नाली, शौचालय, कचरानुमा बस्तियों को आज भी नरक भरी जिंदगी में जीने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को देखकर दुखी होना पड़ता है। उनके अच्छे जीवन यापन के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे शहरों को विकसित करना और लक्ष्यों को तय करने का प्रयास किया है, परन्तु इसे पूरा करने तक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो नीति बननी चाहिए, सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहय नेशनल मिशन के द्वारा शहरों के विकास करना, दस लाख से ज्यादा वाले शहरों में घरों की सुविधा हो, स्वच्छता की समस्या हो, पानी के रिचार्ज की व्यवस्था हो एवं बड़े-छोटे तालाब के निर्माण की व्यवस्था हो, हमारा निर्माण भी वैसा होना चाहिए। आने वाले बीस वर्षों को सुरक्षित करने वाला हो। सरकार द्वारा चलाये जा रहे सारे प्रोजेक्ट में कुछ प्रोजेक्ट में छोटे शहरों को भी शामिल करना चाहिए। साथ ही, पर्यावरण एवं पर्यटन को भी स्थान देना चाहिए। आज कई ऐसे छोटे शहर हैं जहां ऐसे स्थान आज भी हैं। उसे केवल सुन्दर बनाने की आवश्यकता है।

"आज सबसे महत्वपूर्ण समस्या जिसे शहरों में गंदगी कचरे से छोटे-बड़े शहर पटे पड़े हैं, इस ओर आवश्यक नीति बनाने की आवश्यकता है और इसे कठोरता से लागू करने की भी आवश्यकता है। बढ़ती आबादी और बढ़ती गंदगी भी समस्या का मुख्य कारण है।"

---

*Speech was laid on the Table

झोंपड़पट्टी के आवास की योजना "राजीव गांधी आवास योजना" यह छोटे शहरों में भी जल्द लागू किए जाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छोटे शहरों में भी लागू की जाए। बेरोजगारी को देखें तो शहरी गरीबों की संख्या बढ़ी है। आज भी छोटे शहरों में रोजगार की पूर्ण व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं हुई है। इस ओर गंभीरता से कार्य करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में अपराध एवं अपराध करने की भावना में बढ़ोतरी होगी।

आज भी छोटे शहरों को बड़े शहरों की तरह सम्पूर्ण विकास करने की आवश्यकता है। बढ़ती बेरोजगारी में महिलाओं को भी स्वरोजगार एवं रोजगार में समान रूप से उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा तभी एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ शहरों का निर्माण करने में हम सक्षम हैं। इसे पूरा करने के लिए सरकार के पास समुचित कार्य योजना है, केवल उसे कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है जिसे सरकार करने में सफल सिद्ध होगी। इसके लिए एक मजबूत ढांचे के साथ आवंटन की राशि को अधिक करने की आवश्यकता है तभी हम इसे सफल कर सकेंगे।

*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Our cities are congested as most of them are not planned cities. As such in many of our cities there is lack of fresh air for healthy living and oxygen content in cities is alarming low. The main reason for this is that cities are neglecting to provide lung space because of reckless constructions.

As roads are narrow, naturally there will be more congestion and the streets will become more dirty, as there will be very less pace for waste dumping.

One important reason for our cities are becoming congested and unhealthy, is allowing the unauthorized dwellers who occupy areas in cities which slowly turned into slums. This is a serious threat. Even though there are rules in force, no stringent action are taken and the result is the problem of growing slums is serious now.

The Government should initiate to bring effective rules in consultation with state governments to control unauthorized occupation of government land and public space.

In view of the shortage of drinking water and electricity, regulations should be made for sanction of multi-storied buildings, in areas which have already become congested.

The government should bring rules in consultation with state governments to earmark stipulated percentage of total area of the city or town to form 'city forest' for planning trees and vegetation. This will give space for people to relax and will help for increasing oxygen in the city.

With this, I support the demand for grant.

---

* Speech was laid on the Table

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Demands for Grants under the head of Urban Development Ministry.

Madam, the task before the Ministry is greater but the resources are limited. Considering the volume of activities ahead more allocation might have been earmarked in the Budget to the Ministry of Urban Development than what was allotted for the year by the Finance Ministry.

At the outset, I would like to remind the hon. Minister of Urban Development that the National Steering Group on Urban Infrastructure Mission has not met since 2009. So, the hon. Minister may be pleased to make note of it that the meeting should be held regularly.

Madam, every coin has two sides. Like that our country has also two faces, one is rural and another is urban. So, the development should be concentrated on both sides simultaneously. The main threat now being faced by the metros is the migration of the people from rural areas to cities for their livelihood.

Urbanisation is inevitable and migration from rural to urban is also irreversible. The urban Infrastructure Development for Small and Medium Town Scheme and Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission Scheme are good Programmes which aimed at the development of small and medium towns and metro cities. But I am sorry to say, Madam, that the progress achieve by the Programmes is rather not satisfactory. For instance, under Urban Infrastructure Development of Small and Medium Towns Scheme, 787 projects approved for implementation in 660 towns at an approved cost of Rs. 13,567.83 crore whereas only 142 projects have been physically completed. Such a tardy progress in the implementation of the scheme will have an adverse impact on improving the civic amenities. The Ministry, through proper monitoring, should ensure that these projects are completed in time.

It may also be appropriate to recollect what the Mid-term Review of the Planning Commission stated about the implementation of JNNURM. I quote:

> "Though four years have passed, only some reforms have taken place. Many are still pending."

The Report states that JNNURM still lies in a shambles. Though review was done in 2010, the situation remains unchanged. I hope, the Ministry will take more efforts to implement the schemes with a sense of purpose and a degree of speed.

Let me take my constituency. Salem city in Tamil Nadu has a population of 8.36 lakh. Salem is a developing city. The infrastructural facilities are not adequate for the size of the population that the city has.

Though the present State Government under the efficient leadership of Dr. Puratchi Thalaivi is striving hard to improve the civic condition of the Salem city, the key challenges in the areas of road, water supply, sewerage and sanitation, housing, transport, electricity, solid waste management plant, health, etc. need to be met.

So, I would like to make an appeal to the hon. Minister that during the second phase of the implementation of the JNNURM Scheme, Salem city in Tamil Nadu should be included under this Scheme. I understand that three cities in Tamil Nadu – Salem, Trichy and Tiruppur – are under consideration. So, I would request the hon. Minister to include Edappadi, Athur and Mettur Municipalities under the Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns. The State Government will forward the necessary proposals if the Centre agrees to my plea. I would also request the Centre to be more generous in allocating grants to those proposals.

In conclusion, I would like to give one suggestion to the hon. Minister. I would suggest to the hon. Minister to evolve performance based incentives for the States, so that the State like Tamil Nadu which is performing well will get more funds under the JNNURM Scheme.

With these words, I conclude.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदया, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझ से पहले बहुत सांसदों ने अपनी राय रखी है, विचार रखे हैं। निःसंदेह आज जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि हम किस प्रकार से शहरीकरण और शहरों के विस्तार में आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे? अगली पीढ़ी का भविष्य किस प्रकार का होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है। 30 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या शहरों में रहती है और इन लोगों की 60 प्रतिशत से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था, जीडीपी में हिस्सेदारी है। अगर हम नए रोजगार के अवसरों की बात कहें तो 70 प्रतिशत नए रोजगार के अवसर शहरों में उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। वर्ष 2050 तक आकलन किया जाता है कि हमारे देश की आधी आबादी शहरों में रहेगी और वर्ष 2030 तक तकरीबन 60 करोड़ लोग शहरों में जा चुके होंगे। यहां बहुत सांसदों ने अपनी बात रखी है, चाहे गवर्नेंस की चुनौति हो, लो कास्ट हाउसिंग की चुनौति हो, ट्रांसपोर्टेशन की चुनौति हो, सीवरेज, सड़कों या वाटर सप्लाई की चुनौति की बात हो, इन सब चुनौतियों का हमें एक साथ सामना करना पड़ेगा। हमारे मंत्रालय को बहुत सी सफलताएं मिली हैं, उनके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, चाहे वह जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की बात हो या दिल्ली मैट्रो की बात हो। खास तौर पर अभी पीछे एक कमेटी का गठन किया गया था। ईश्वर आहलूवालिया जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी कि जो आगे यह देखे कि किस प्रकार से शहरीकरण के मामले में हम अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। मैं उस कमेटी के गठन पर भी हमारे मंत्री जी और मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं। उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या बताया

16.56 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

उस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि अगले बीस साल में हमें तकरीबन 39 लाख करोड़ की जरूरत होगी। अभी श्री लालजी टंडन 29 लाख करोड़ कह रहे थे। मैं उस आंकड़े को सुधारना चाहता हूं कि 29 नहीं 39 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। इस साल हमने कितना आबंटन किया है। इस साल हमने सात हजार सात सौ करोड़ रुपये का आबंटन किया है। अभी हम एक लाख करोड़ पर नहीं पहुंचे है और हम 39 लाख करोड़ की बात अगले बीस साल में कर रहे हैं, जो हमारे देश का 2008 का जीडीपी था, उतनी अमाउंट हमें बीस साल के अंदर शहरों में झोंकनी पड़ेगी तब कहीं हम इन चुनौतियों का सामना करने में सफल हो पायेंगे। वैसे बहुत से पहलू हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक पहलू सीधा मंत्रालय के अंडर नहीं है। मगर मंत्रालय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उस पहलू पर सबसे पहले किसी तरीके से प्रदेश

सरकारों के साथ बात करके उसे सुलझाने का प्रयास करें। जो गवर्नेन्स की बात है, आज के दिन हम देखें कि शहरों में छोटी म्युनिसिपैलिटीज में क्या हो रहा है। किस प्रकार के पार्षद चुनकर आ रहे हैं और जब पार्षद चुनकर अपनी कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं तो पांचों साल उस कमेटी के चेयरमैन को हटाने के लिए दौड़-धूप चलती है। डाक्टर साहब हंस रहे हैं, इन्हें इस बात की जानकारी है कि दौड़-धूप चलती है, खरीद-फरोख्त चलती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस स्तर पर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, ऐसी व्यवस्था में हम चाहे जितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लें, मगर जब उस स्तर पर सुधारीकरण का काम नहीं करेंगे और यह मैं मानता हूं कि यह केवल केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें इलैक्शन कमीशन की भूमिका महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से चुनाव का ढांचा बने। उस स्तर पर जब चुनाव होता है। उसमें प्रदेश सरकारों की और केन्द्र सरकार की भूमिंका रहे, ताकि हमारी गवर्नेन्स ऐसी हो कि एक मेयर के हाथ में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हम इस प्रकार का बनाकर दें कि निष्पक्षता से और सफाई से हम जो योजनाएं यहां से बनाते हैं, वह उनका पालन कर सके।

अब मैं मंत्रालय का ध्यान ट्रांसपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज हमारे शहरी विकास विभाग का 85 परसैन्ट बजट ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहा है, जिसमें से तकरीबन सारा का सारा बजट मैट्रो की परियोजनाओं के विस्तार की तरफ जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली मैट्रो के रूप में एक बहुत सफल योजना हमने चलाई है। जैसे कि बताया गया कि विश्व में सबसे अच्छी यदि कोई मैट्रो परियोजनाओं में किसी की गिनती होती है तो वह दिल्ली मैट्रो की गिनती होती है। हमारे मंत्रालय ने इस बात की सफलता पाई, इसके लिए मैं मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं। उसके साथ-साथ मैं दिल्ली मैट्रो के बारे में अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। दिल्ली मैट्रो और बाकी जगह जो मैट्रो का विस्तार हो रहा है, उसमें जो कास्ट शेयरिंग का ढांचा है, वह आधा-आधा रखा गया है। पचास परसैन्ट भारत सरकार देती है और पचास परसैन्ट प्रदेश सरकारें देती हैं। अभी हाल ही में जो ढांचा रखा गया है, उस ढांचे के विपरीत एक मैट्रो की लाइन बदरपुर से वाई एम सी ए चौक फरीदाबाद तक अप्रूव हुई है, वह देश में ऐसी पहली मैट्रो है, जिसमें अस्सी प्रतिशत हिस्सेदारी हरियाणा सरकार दे रही है। मैट्रो फरीदाबाद जायेगी, उसमें 13.8 किलोमीटर में वह मैट्रो लाइन बनेगी। 2494 में से 1557 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार दे रही है और फिर भी उसका नाम दिल्ली मैट्रो रहेगा। मैं मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि जब सारे देश में आधी-आधी हिस्सेदारी का एक ढांचा है तो आधी हिस्सेदारी भारत सरकार को देनी चाहिए और अगर आपको नहीं देनी है तो बदरपुर बार्डर से आगे जो मैट्रो जाए, उसका नाम हरियाणा मैट्रो कर देना चाहिए। चूंकि हरियाणा सरकार उसका पूरा खर्चा उठा रही है।

मैं अगला सुझाव रखना चाहता हूं कि जो मैट्रो मुंडका तक पहुंच गई है, मुंडका से आगे बहादुरगढ़ तक जो मैट्रो का एक प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव भी इन प्रिंसिपल उसका फैसला हो चुका है, इन प्रिंसिपल उस प्रस्ताव का अप्रूवल हो चुका है। यह कुल 11 किलोमीटर लम्बी लाइन है, 11 किलोमीटर में 6 किलोमीटर दिल्ली में है और 5 किलोमीटर हरियाणा के अंदर है। यह लाइन 1916 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रही है।

17.00 hrs

अभी जो प्रस्ताव है, उसके अनुसार 1916 करोड़ रूपये की जो लागत आएगी, उसमें प्रदेश सरकारों की तरफ से जो हिस्सेदारी होनी है, वह केवल हरियाणा सरकार करेगी। जबकि मात्र 6 किलोमीटर लाइन दिल्ली के अंदर बननी है। मैं मंत्री जी के सामने पुरजोर मांग रखना चाहता हूँ कि या तो दिल्ली सरकार यह कह दे कि मुण्डका से आगे 6 किलोमीटर तक दिल्ली में कोई रहता नहीं है या जो रहते हैं उनकी दिल्ली में कोई हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं है। अगर वे यह कह दें तो हम वहां से मैट्रो लाइन ले जाने का काम करेंगे। अगर वहे दिल्ली का हिस्सा हैं तो मुण्डका के अंदर हमारे जो किसान भाई रहते हैं, जो मजदूर भाई रहते हैं, उन भाइयों की हिस्सेदारी की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को लेनी चाहिए। उसके साथ मेरा अगला सुझाव है कि जहांगीरपुरी से आगे कुंडली तक मैट्रो लाइन जानी चाहिए। अगले फेज़ में इसका सर्वे चल रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सोनीपत और आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण मैट्रो लाइन बनने जा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना द्वारका से आगे नजफ़गढ़ और बादली तक मैट्रो लाइन पहुंचने की है। महाबल जी यहां बैठे हैं, जो इस बात के लिए जोरदार समर्थन करेंगे क्योंकि यह ऐसी मैट्रो लाइन है जो पूरी पश्चिमी दिल्ली को बाकी दिल्ली से जोड़ती है। देश का दिल दिल्ली में बसता है, दिल्ली का दिल्ली पश्चिमी दिल्ली में है और पश्चिम दिल्ली का दिल कहीं है तो वह नजफगढ़ में है। यहां से खिलाड़ी निकलते हैं। सहवाग से ले कर सुशील कुमार तक आदि खिलाड़ी पश्चिमी दिल्ली के नजफ़गढ़ से निकलते हैं। नजफ़गढ़ तक मैट्रो जाए और आगे बादली तक पहुंचे तब जा कर इस क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा।

सभापति जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय एनसीआर के बारे में कहना चाहता हूँ। दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र को एनसीआर कहा जाता है। बहुत से जिले एनसीआर के अंदर आते हैं। एनसीआर जब बना, उसका सपना यह था कि दिल्ली के आस-पास के जिलों का बराबर विकास हो। दिल्ली के आस-पास गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी और पानीपत आदि इस पूरे क्षेत्र का विकास एकसमान हो और एक समान जीवन-स्तर हो। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि एनसीआर सन् 1985 के अंदर बना और यह स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था। उन्हीं

की कलम से एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का गठन हुआ था। इस देश की जो जीडीपी है, उसमें से 20 प्रतिशत आज यह एनसीआर कांट्रीब्युट करता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एनसीआर की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मैं आपका ध्यान एक विपरीत परिस्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अकेला एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड ही केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसके लिए अलोकेट होने वाले प्लॉन बजट के अंदर कटौती की गई है। सन् 2007-08 के अंदर एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड के सेंट्रल प्लान का बजट सौ करोड़ रूपये दिया गया था। अब वह घट कर 50 करोड़ रूपये पर आ गया है। मैं ऐसे अनदेखी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह जस्टीफाइ नहीं है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मांग थी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रूपये दिए जाएं। 500 करोड़ रूपये मांगे तो केवल 60 करोड़ दिए गए। अभी राष्ट्रमण्डल खेल हुए तो क्या हुआ कि सारा का सारा बजट दिल्ली के अंदर आया। हमें खुशी है कि दिल्ली के अंदर बजट आया मगर हमने कहा कि आप दिल्ली का सौंदर्यकरण कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गुड़गांव में रूकेंगे, नोएडा में रूकेंगे और फरीदाबाद में रूकेंगे। आप वहां के सौंदर्यकरण के लिए भी पैसा दीजिए। लेकिन एक भी पैसा वहां के लिए आबंटित नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो अनदेखी की जा रही है यह ठीक नहीं है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जो प्लॉन बजट है, उसे बढ़ाया जाए, उसमें कम से कम तीन गुना बढ़ोत्तरी होगी तभी आगे एनसीआर का विकास संभव हो सकेगा।

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: सर, पार्टी की तरफ से टाइम मिला है।

MR. CHAIRMAN: Your Party's time is already over.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: सर, जो आखिरी विषय मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ वह एक बहुत गंभीर विषय है।

MR. CHAIRMAN: The Minister wants to reply. That is why, we are waiting for his reply.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड के ग्रांटिंग बजट के साथ-साथ मुझे सूचना मिली है कि मंत्रालय एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड के स्टॉफ में कटौती का फैसला करने जा रहा है। मेरी मांग है कि स्टाफ को बढ़ाया जाए और एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड को पूरा बजट दिया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम का है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी बड़ी मेगासिटीज़ हैं - चाहे न्यूयार्क, लंदन या टोकियो की बात करें।

MR. CHAIRMAN: All right, Mr. Hooda, please sit down.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Sir, it is a very important issue. If I can have the indulgence of the hon. Minister, it is a very important topic.

महोदय, पूरी दुनिया के अंदर जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मैट्रो और रेलवे का इंटरओपरेबिलिटी है ताकि सब-अर्ब्स को कनेक्ट किया जा सके। पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी तरीके से यह लागू की गयी है। मैंने बहुत से शहरो का कि किस प्रकार से वहां मैट्रो का विस्तार हुआ, मैंने उसका अध्ययन किया है। अगर आप दुनिया के बड़े-बड़े शहरों को देखें, मैड्रिड को देखें तो वहां जब मैट्रो बनी, उसके साथ-साथ सब-अर्बन हाई स्पीड रेल कॉरीडोर तैयार किये गये, जिसे करकानिआस कहा जाता है। पेरिस के अंदर रीजनल एक्सप्रेस रेलवे जब बनी तो रीजनल एक्सप्रेस रेलवे इस प्रकार से बनी कि पेरिस के 200 किलोमीटर तक उन्होंने एक-साथ उसे कनेक्ट करने का काम किया। उन्होंने अपनी मैट्रो और रेलवे दोनों को कनेक्ट किया।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech. There is no time. You should complete your speech. How can I allow you to continue?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: ऐसे ही जर्मनी के अंदर यू-बान और एस-बान दोनों को एक-साथ मिलाया गया। जहां पर हाई स्पीड रेल कॉरीडोर बनाये गये, वहीं पर मैट्रो के स्टेशन, दोनों स्टेशनों को एक-साथ उतारने का काम किया गया। आज के दिन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एक सजेस्ट किया था कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम से एक हाई स्पीड कॉरीडोर दिल्ली की चारों दिशाओं में बनाये जायें। मगर उस प्रोजेक्ट में ढिलाई हुई है। जिस प्रकार से उस प्रोजेक्ट को चैम्पियन करना चाहिए था, मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाये। अभी फिलहाल तीन कॉरीडोर बने हैं, एक पानीपत तक, एक मेरठ तक और एक अलवर तक, इन तीन कॉरीडोर के साथ-साथ एक कॉरीडोर हरियाणा के अंदर बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, सिरसा तक जो पश्चिमी दिशा में जाता है, उस कॉरीडोर की भी फिजेबिलिटी स्टडी होनी चाहिए और एक कॉरीडोर जो हमारा मथुरा तक, जो फरीदाबाद, पलवल, मथुरा तक जाता है, वह कॉरीडोर भी बनना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

Dr. Rattan Singh Ajnala, I allow you five minutes to speak very briefly.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: जब तक यह कॉरीडोर नहीं बनेगा, लोग दिल्ली के अंदर आते जायेंगे। मैं बहुत पुरजोर तरीके से यह कहना चाहता हूं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है, जो रेलवेज और मैट्रो को एक-साथ, अब रेलवे और मैट्रो को जोड़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मुम्बई के अंदर सब-अर्बन

ट्रेन चलती है, अब रेलवेज और मैट्रो को जोड़ने की आवश्यकता है। उसे प्रदेश सरकार अकेले नहीं जोड़ सकती है, उसे जोड़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को ही पहल करनी चाहिए। NCR Planning Board is in the unique position to talk to Railways and to State Governments to facilitate this. पानीपत से एक ओमिनी वेस्ट का प्रोजेक्ट हमारा जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन में आया है, मैं उसे भी सैंक्शन करने का आग्रह करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. Take your seat.

Rattan Singh ji, you please start.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आदरणीय पवन बंसल जी यहां बैठे हैं। जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन जो चंडीगढ़ को मिला है, उसमें उन्होंने ट्राई सिटी के नाम से उसे दिया है। मोहाली-चंडीगढ़ और पंचकुला, मगर उसका पूरा बजट अकेले चंडीगढ़ में लगने का काम हुआ, क्योंकि एक-साथ हमारी प्लानिंग नहीं हो पायी। पंचकुला का अलग से सिटी डेवलपमेंट प्लान छह हजार करोड़ रूपये का पेंडिंग है। मैं मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह पंचकुला का और मोहाली का भी जो अलग से सिटी डेवलपमेंट प्लान है, उसे शामिल किया जाये।

MR. CHAIRMAN: On other points, Rattan Singh ji will speak now.

Hooda ji, please take your seat.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंदर अभी जितने भी शहर आते हैं, जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन में उन सभी शहरों को शुमार करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Mr. Hooda, please take your seat.

Rattan Singh ji, you please speak in brief. I allow you five minutes.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: अभी केवल उसमे फरीदाबाद शुमार है, चाहे गुडगांव आता है, चाहे गाजियाबाद आता है, चाहे नोएडा आता है, उन सभी को जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के अंदर शामिल करने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।...(व्यवधान)

***श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर):** मैं शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं।

वर्ष 2004-2009 तक सफाई कर्मचारी भारत सरकार की अध्यक्ष होने के नाते, मुझे छोटी से छोटी नगर पंचायत नगर पालिका तथा प्रमुख नगर निगमों को नजदीकी से देखने का मौका मिला। इस में कोई शक नहीं कि भारत सरकार शहरी विकास के लिए भरसक प्रयास कर रही है। प्रतिवर्ष राज्य सरकार को बजट का प्रावधान भी किया जाता है, परन्तु राज्य सरकारें उस बजट का सदुपयोग न करते हुए दुरुपयोग कर रही हैं। मोनिटरिंग की अति आवश्यकता है, जिसका मूल्यांकन करना अधिक जरूरी है। शहरों में मशरूम की तरह बिना पास करवाए कालोनी बन रही,वहां न सड़कें हैं, न पेयजल है और न ही बिजली की व्यवस्था है। इस बिंदु की तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी योजना में राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग ही शहरी विकास का मुख्य मुद्दा होना चाहिए। जनसंख्या का दवाब बढ़ता जा रहा है। कचरा भी दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। सड़कें खराब हैं। स्वच्छ पेयजल मुहैया नहीं कराया जा रहा है और लोग गंदा पानी पीने के मजबूर हैं। जो लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, उनकी दयनीय स्थिति है। वहां न पानी की सुविधा है और न ही सफाई है, जिससे लोग स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। ये गरीब लोग शहर के लोगों को समृद्ध बनाने के कार्य में लगे रहते हैं और शहर को साफ रखने की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वयं नरक में रहते हैं। यहां तक कि उनके लिए राशन कार्ड तक बनाने की व्यवस्था नहीं है। होशियार पुर संसदीय क्षेत्र के समूह शहरी क्षेत्र की बहुत दयनीय स्थिति है। बेसिक व्यवस्था की कमी के कारण ही यह दशा बन गई है। सारांश में मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जो बजट आप राज्य सरकारों को शहरी विकास के लिए भेजते हैं, उसकी मोनिटरिंग सही ढंग से होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के तथा राजनीति को सम्मुख रख कर वाड्र्स में विकास का कार्य किया जाता है जो कि दुखांत विषय है।

शहर में स्वास्थ्य की कमी, स्कूल और कालेजिज की भी कमी है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य को प्रधानता देते हुए होशियारपुर जिले के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट का उपबंध करवाने की घोषणा की है, जो बहुत ही सराहनीय है। शहर का मुखड़ा वास्तव में वहां की सफाई देखने से मिलता है। प्रत्येक नगरों एवं महानगरों में चारों और गंदगी नजर आती है। यही एक बिंदु है, जिसका आज तक राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। यहां सफाई अथवा सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों की

---

*Speech was laid on the Table

दयनीय स्थिति है। शहरों की जनसंख्या बढ़ गई है। मानक के अनुसार उन की संख्या बहुत कम है। सफाई कर्मचारी बहुत ही गरीब व्यक्ति है। उन्हें किए गए कार्यो का पूरा पैसा भी नहीं मिलता है, क्योंकि यह पैसा ठेकेदारों के माध्यम से उन्हें मिलता है। उन्हें अधिक काम करना पड़ता है और कम वेतन मिलता है। मंत्री जी, खाली पद तथा मानक के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। चूंकि सफाई परमानेंट कार्य विधि है इसके लिए म्यूनिसिपल कमेटी अथवा नगर निगम में पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए। सीवर साफ करने की व्यवस्था का स्वरूप बदलना चाहिए। शहर की गली में पानी का निष्कासन होना, जिसके कारण पीलिया जैसी बीमारी संक्रामक रोग का रूप ले लेती है। शहरी मंत्रालय राज्य सरकारों को बजट भेजते हैं, उसका आकलन सही ढंग से करना चाहिए।

मैं कहना चाहती हूं कि जेएनएनयूआरएम में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरह शहरी विकास मंत्रालय को भी चुने हुए सांसद को विजिलेंस एवं मॉनीटरिंग कमेटी का चेयरमैन या चेयरपर्सन नियुक्त करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट केवल एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर देती हैं। शहरों का चेहरा उसकी सफाई व्यवस्था से आंका जाता है जो अधिकतर बड़े शहरों से लेकर निम्न श्रेणी के शहरों में चरमराई हुई सी नजर आती है। उसका मुख्य कारण सफाई कर्मचारियों की दयनीय स्थिति है जिसके कारण निम्नलिखित हैं - जनसंख्या के अनुसार सफाई कर्मचारियों का भर्ती न होना। परमानेंट पोस्ट समाप्त करना, ठेकेदारी प्रथा द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती करना तथा पूरा वेतन न देकर उनका शोषण करना, जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल फेसिलिटीज तथा भारत सरकार की अन्य सुविधाएं न मिलना, कूड़ा उठाने के यंत्र तथा डम्पिंग स्थान का न होना, सीवर मैन का जीवन नारकीय स्थिति में होना। सम्पूर्ण भारत में 85 प्रतिशत सफाई कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा से या वार्ड कमेटी के माध्यम से नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मंत्री जी से आग्रह है कि शोषित समाज के इन लोगों का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए।

अंत में, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि उन छोटे-छोटे शहरों को जिनकी आमदनी नगण्य है, उनकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा भेजा गया पैसा बार-बार बड़े शहरों को ही आवंटित किया जाता है और छोटी-छोटी नगर पंचायतों की ऐसी दयनीय स्थिति है कि कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाते हैं। यह भी जरूरी है कि प्रत्येक प्रदेश को यह मैंडेटरी बनाया जाए कि प्लास्टिक के लिफाफे तुरंत बंद करवाए जाएं। मेरा क्षेत्र होशियारपुर रिजर्व क्षेत्र है, जिसकी हालत बहुत ही दयनीय है। राज्य सरकार से रिपोर्ट अवश्य मंगवाई जाए।

*DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) : Chairman Sir, I am thankful to you for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grant under the control of the Ministry of Urban Development for the year 2012-13.

Sir, when India attained independence about 65 years ago, it had a population of 35 crores. 80% people lived in the villages at that time and hardly 20% people resided in the towns and cities. The last 65 years have created an environment that has led to a massive influx of rural people to towns and cities. Right since 1947, no Government has tried to provide basic infrastructure and facilities to the rural folks. Development in rural India has become a casualty. Had successive Governments done something concrete for the development of rural India, it would have put a full-stop to large-scale migration from villages to towns and cities.

Sir, the people of villages are bereft of basic facilities like drinking water. The rural folks have no electricity. Modern toilet facilities are non-existent in a majority of villages forcing the villagers to defecate in the open. Since 1947, successive governments have put their time and energy in the development of only urban India, thereby neglecting rural India.

Sir, this is the reason for the massive influx of villagers to towns and cities. On the other hand, population of India has increased by leaps and bounds. It has touched 122 crores. Presently 31.16% people reside in towns and cities, and 68.84% people live in the villages. The migration of rural people to urban India in search of greener pastures continues unabated.

Sir, all kinds of housing projects are coming up on the outskirts and periphery of towns and cities. Fertile land of farmers is being purchased or taken over. The rapid march of urbanization continues. Plots or houses meant for the

*English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

poor have no basic facilities like water, sanitation or electricity. We dub then as unauthorized colonies. However, these colonies are authorized if money changes hands or if elections are announced.

Hon. High Courts or Hon. Supreme Court gives directives and passes strictures. But, who is behind these illegal buildings. Many times, municipal council members indulge in such malpractices and illegal activities. When the courts pronounce judgements, these illegals structures have to be demolished. And poor people suffer.

Sir, the Government is making tall claims regarding 'Mission XYZ'. But the ground reality is bleak and dismal. On both sides of railway lines, one can find shanties and hutments of the urban poor. These poor people are often run over by speeding trains. It speaks volumes of the mismanagement of urban city planning and planners. What kind of development is this? What had happened in NOIDA under the regime of the former Chief Minister in the name of housing projects is an open secret. Whether it is HUDA or housing projects in U.P., everyone is busy minting money by hook or by crook.

Sir, the Government pats its back regarding successful implementation of its Metro rail projects. However, the poor people cannot avail its services. They can't afford to travel even by a rickshaw, what to talk of Metro rail. These are the downtrodden, the deprived and the marginalized sections of societies. They are forced to spend their nights on footpaths in C.P. and elsewhere under the open sky, as there are no night-shelters for these hapless poor. Is this the urban development we are talking about?

Sir, 65 years have passed since we attained our independence but it is rather unfortunate that we have miserably failed in providing the basic facilities of life to the rural people as well as the urban poor. Rampant corruption has become the order of the day. The poor people always find themselves at the receiving end. Their progress becomes a casualty in such a scenario.

Sir, large-scale migration from rural to urban India continues unabated. But, successive Governments have failed to provide them basic facilities or any kind of relief and succour. Whether it is health-care, education, potable water or electricity, successive Governments at the centre have taken this segment of society for-granted and conveniently ignored their just and genuine demands.

Chairman Sir, even now, majority of our population lives in villages. But villages reflect the dismal picture Government's apathy and neglect. The entire focus is on development of towns and cities. This is an imbalanced and lop-sided approach. Even here, successive Governments have failed to deliver the goods. All kinds of trusts, boards and corporations are there in the towns and cities. However, these are mired in corruption and scandals. The poor person cannot even dream of purchasing a house in the towns and cities, courtesy sky-high prices of land.

Sir, since basic infrastructure and facilities are non-existent in the villages, people are migrating to towns and cities. Punjab is no exception. In search of better quality of life, the influx of rural people to urban India goes on and on. 65 years is a long time. However, successive Governments have been too busy with other things. They have done absolutely nothing for the welfare of rural people as well as urban poor.

Chairman Sir, Hon. Minister is present in this august House. I urge upon him to check the menace of greedy housing companies. They are fleecing buyers in urban India. Towns and cities must be properly planned. A futuristic vision in city-planning is the crying need of the hour. Haphazard and illegal construction work in towns and cities should not be allowed at any cost.

Sir, tall claims regarding growth and development are being made by the Government of the day. However, these claims are far from reality and divorced from truth. The hydra-headed monster of corruption and malpractices must be rooted out. Only then can we succeed in doing something tangible for the welfare of the common man.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, those who want to lay their written speeches can lay the same on the Table of the House. I am saying this because the hon. Minister is going to reply to the discussion at 5.30 pm. Therefore, I request that those hon. Members who are interested in giving their written speeches on the Table may please do so.

The next Member to speak is Shri P. Lingam for five minutes only.

* SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, let me thank you for the opportunity you have given to me to speak on behalf of the Communist Party of India on the Demands for Grants for the year 2012-13 pertaining to the Ministry of Urban Development.

Sir, according to 2001 figures, it was estimated that 28 per cent of our population lived in urban areas. It has been projected that this would move up to 43 per cent by the year 2021. This only shows the pressure on the urban infrastructure which needs more of fund allocation. I would like to point out that adequate fund allocation is not there as seen under various heads.

The ever growing increase in urban population must be attended to with utmost care to ensure a balanced growth of all the areas. Even in urban areas, the growth is not uniform. We find sky scrappers, tall buildings, palatial houses and at the same time, slum clusters and platform dwellers. This puts pressure on the local bodies to maintain sanitation and hygiene. The lack of it leads to diseases and break out of pandemics. Poor people are the worst hit in urban areas. So, a streamlined urban development measures are required in our country to ensure uniform and balanced growth.

Due to heavy increase in population in our major towns and cities and metropolitan cities, road traffic itself becomes a casualty. We find traffic jams and slow movement of vehicles and endless waiting in signals. The roaring engines gobble up huge quantity of petroleum products like petrol and diesel. According to a survey, in Delhi alone every year, 30 lakh litres of petrol and diesel are wasted due to traffic jams and at road intersections when vehicles wait for signals. Due to liberal availability of vehicle loans middle class people go in for vehicles more and more these days. Due to traffic congestions, they have to shell out more money on fuel. Thus the cost of the vehicle plus the expenditure on fuel add up to

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

their commitments putting a heavy burden on their lives. Another research study points out that this huge wastage of fossil fuel which we get at a dearer price from the international market results in price rise because of increased tax and resultant inflation. Traffic congestion in roads occur due to inadequate planning and road laying. I urge upon the Urban Development Ministry to give thrust to better roads and alternative road routes in all major towns and cities to be developed in a planned manner. Instead of giving importance to metro rail projects, the Government must think in terms of ensuring better public transport system in all the major towns and cities all over the country.

Unmanageable and unplanned growth of urban areas combined with migration of people from rural areas to urban areas adds to the woes of poor people who seek to earn their livelihood. These trends can be arrested by way of providing job opportunities to people in small towns adjacent to rural areas as they are neither rural nor urban. Small towns with a population of about one lakh must also be brought under the ambit of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme. In Tamil Nadu, only 3 Municipal Corporations come under JNNURM Programme. I urge upon the Union Government to include many more Municipal areas under this scheme, Trichy, Salem, Tirunelveli.

People living in towns and urban areas face severe drinking water shortage problem. I would like to point out that the allocation made by the Government towards this is inadequate. It is stated that the allocation for major towns and cities that have got a population of more than 40 lakhs or big towns that have got more than 10 lakhs of population is Rs. 17,000 crore. This is meagre and very little. I wonder how we can ensure urban development with this inadequate fund allocation.

Through the 74th Amendment of the Constitution, it was ratified and testified that municipal bodies can have functional autonomy to evolve plans for the development of the areas under them. The intent of that incorporated law is

good, but it is yet to be enjoyed by the town administrations as it has not percolated down. The powers are vested with the Governments both at the Centre and the States. The power has not been devolved and has not been delegated to the urban local bodies.

Job opportunities are falling down drastically in urban areas these days. Hence, I emphatically reiterate our demand that small towns with a population bordering around one lakh which are neither rural nor urban must be brought under the purview of MGNREGA. Only then we would be able to generate job opportunities. Even today, we find manual labour at its worst in the form of pulling carts carrying men and such things should be stemmed out from urban areas once and for all. Rickshaw pullers are there and such hard manual labour is seen only because of lack of job opportunities to earn livelihood. Hence, there is an urgent need to extend Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme to these small towns where the population is around one lakh and not so big.

More than 65 per cent of houses in our country do not have toilet facilities. This has led to many hardships. This puts pressure on sanitation. Manual scavenging is also there in urban areas. This is an insult to humanity and human sensitivity. We must put an end to this practice immediately. Hence, I urge upon the Government to evolve a suitable programme with adequate fund allocation for abolishing manual scavenging in our country ensuring toilet facilities in every dwelling unit.

Thanking the Chair for the opportunity, let me conclude.

MR. CHAIRMAN: Shri Pralhad Joshi, please conclude your speech in five minutes.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Sir, I am the second speaker from my Party, so please give me at least ten minutes.

Urbanization, it appears, is inevitable. As per one estimate by Analyst, by 2030, India's GDP will be multiplied by five times while its cities will be home to nearly 600 million people, and it requires capital of US $ 1.2 trillion for urban infrastructure. This has been repeated in some other way by the High-Powered Committee headed by Shri Ahluwalia, which was constituted by the Urban Development Ministry. According to them, Rs. 39 lakh crore, in addition to Rs. 20 lakh crore, is needed for the operation and maintenance of urban infrastructure. This was quoted by the hon. Minister of State in the Ministry of Urban Development. When Dev Ji said that your allocation is just merely Rs. 7,000 and odd crore, you said that it is for 20 years. We know that it is for 20 years. But may I very humbly ask you a question? It is for 20 years, but if you invest at least in a phased manner, what should be our allocation as on date? This is my question to the hon. Minister, through you, Sir. Today, we are allocating Rs. 7,000 and odd crore, but we are talking of almost Rs. 600,0000 crore. This is one thing.

Secondly, when Shri Lalji Tandon said that there were no drainage facilities, solid waste was the biggest problem, there was no water and there was no planning or future planning for this, you said that by way of JNNURM, you have initiated very good actions. I support that and I agree with you. But what is the status today? You have allocated Rs. 66,000 crore as the Central share. At the end of 31st March, 2012, JNNURM could achieve only one-fifth of its targets. Out of 1,325 projects sanctioned, may I bring it to the notice of the hon. Minister, through you, Sir, that only 248 projects have been completed?

The Prime Minister, Shri Manmohan Singh said by launching this mission, the mission is the single largest initiative of the Government of India from the planned development of our cities in response to the long standing demand of

tapping of the vast potential and vitality of our cities. What is the situation today? Out of the total projects sanctioned to the Tamil Nadu, it stands top by having sanctioned 171 projects, 95 are being completed; in Gujarat, 123 sanctioned and 41 projects were completed; in Karnataka, 84 projects were sanctioned and 24 projects were completed; in Andhra Pradesh, 134 projects were sanctioned and 38 projects were completed; in Uttar Pradesh, 97 projects were sanctioned and 10 projects were completed; in Maharashtra, 173 projects were sanctioned and 10 projects were completed; in West Bengal, 95 projects were sanctioned and 12 projects were completed; in Assam, 32 projects were completed and not even one is completed. What is the reason for this? One of the reasons is as the Standing Committee has very well quoted.

> "The Committee noted that since the most the projects were approved in the 4th year of its 11th Five Year Plan, it is unimaginable to think that the Scheme will completed by the end of the 11th Five Year Plan. The Committee recommended that scheme should be extended to 12th Five Year Plan."

Why it was so much delayed? I hope the Minister will reply that why in the fourth year of the 11th Five Year Plan, this was launched and these projects were sanctioned.

Sir, my second reason, according to me whatever the information provided by their Departments is that the Expert Committee which was constituted by them, it says that reasons for dismal performance by the most States was too many conditions for approving projects and another reasons is micro-monitoring. I do not say that there should not be any monitoring. But the question is about the over-interference. You can monitor it but interference and immediate approval is the major reason for not giving immediate approval and this is the major reason for the delay.

Another major reason is that whatever you said, ten per cent of the local bodies should put their fund as a share. But what is the situation? Take for example my corporation Hubli-Dharwad Municipal Corporation, if you provide

them Rs. 500 crore, they are not in a position to invest Rs. 50 crore also. What is the reason for this? The reason is that their capacity is not so much. In Shri Shivkumar Udasi constituency which is my neighbouring constituency in Haveri, more than 60 per cent vacancies are not being filled. There is no manpower. How can they fulfill them if you give them Rs. 500 crore? A person who cannot handle Rs. one lakh rupee, if you give him Rs. 10 crore, he will die with heart attack. This will be the situation. And I request Shri Kamal Nath Ji that please try to build the capacity in these municipalities.

My third point is that they do not have the salary to pay. So, that is why, 74th amendment says that there should be State Finance Commission. They constitute it because it is mandatory to constitute it. But after the constitution of the State Finance Commission also, their implementation is delayed and for that, it should be made mandatory to provide any fund. Every State Government irrespective of any political party it may be ruling, first of all, they should implement this step and constitute the State Finance Commissions regularly and second, there should be implementation on this.

Finally, I would like to tell that you are providing more and more funds in mega-cities. My request is that at the same time, Tier-II cities have to be given more importance. For example, in Karnataka, you have given JNNURM to Bangalore. Under that Housing Scheme is also covered. There is no single inch of land in the Bangalore and you are not giving any importance to the Tier-II cities. There are at least five or six Tier-II cities other than Bangalore. My area Hubli-Dharwad which is the second largest city after the Bangalore, that is not being given importance. Even under UIDSMT also, a very small amount is given. That is why, I urge that under the JNNURM, restructure the arrangement of finance between the State Government and the Central Government and Tier-II cities have to be included and out of 28 cities, whatever you have mentioned, the hon. State Minister has mentioned that they are including JNNURM.

Hubli-Dharwad is the second largest city after Bangalore in Karnataka. When I had met the hon. Minister personally, he had assured me that it would be taken in the 28 cities. I would urge that Hubli-Dharwad should be included in the second phase of the JNNRUM which is having a Budget of Rs.2,00,000 crore.

As far as water is concerned, the biggest problem especially in the major cities is that tanks are being encroached, *talabs* are being encroached. It should be made a punishable offence. Whoever does this, he should be behind the bars. Unless and until you do this, the best tanks would be spoiled and polluted. Usually water is left in those tanks. The hospitals in the cities nearby these tanks are dumping all their waste material into that. I would urge that this should be made a punishable offence. It is a criminal offence.

I would now talk of housing.

PROF. SAUGATA ROY: Housing is not under this Ministry.

SHRI PRALHAD JOSHI: Earlier housing was under the Ministry of Urban Development. Originally, it was called the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation. I do not want to go into the entire details of the housing policy. There should be a policy on urban land development. If it is left to any of the authorities like the Bangalore Development Authority or any other authority, they would not be able to give a single site to anybody belonging to the middle class and lower middle class. As you have done policy for industrial development, there should be some policy for land development and estate development at least for the middle class and lower middle class people. This would help the people belonging to middle class and lower middle class to get sites in the major cities and tier-II cities.

Lastly, I come to the CPWD. I would only urge you to make the CPWD efficient. I have got many details. I would only say that the CPWD is one of the most corrupt bodies in the country. They have been constructing one Kendriya Vidyalaya in my constituency for the last three years. They have not yet completed

it. The construction is of a very low quality. It is a school building. They are not bothered about the safety of the school building.

Finally, I would once again urge the hon. Minister, through you, to include Hubli-Dharwad in the second phase of the JNNRUM. I thank you very much for giving me this opportunity.

*__श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):__ आज विश्व की करीब 50 फीसदी से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है। इस लिहाज से विकसित देशों की लगभग 70 फीसदी आबादी और विकासशील देशों की 30-35 फीसदी आबादी शहरों में निवास करती है। शहरों को आर्थिक प्रगति का इंजिन कहा जाता है। विकास एवं शहरीकरण का सीधा संबंध है। शहरीकरण का उद्देश्य यदि पर्यावरणीय पहलुओं को दरकिनार कर सिर्फ आर्थिक विकास होगा तथा इनका नियोजन महज शारीरिक आराम को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो ऐसा शहरीकरण समाज में वह खुशहाली नहीं ला सकेगा जो इसका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। आज भी भारत के बड़े शहरों में 50 फीसदी तक आबादी कच्ची बस्तियों में रह रही है। जहां नल, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यातायात नारकीय हो चुका है, सामाजिक विषमताएं बढ़ रही हैं, कला और संस्कृति विलुप्त हो रही है तथा एकाकी तनावपूर्ण जीवनशैली आत्महत्याओं को प्रोत्साहित कर रही है। यह अविवेकपूर्ण शहरीकरण का ही परिणाम है। आज देश को ऐसे सुनियोजित शहरीकरण की जरूरत है जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, कलात्मक एवं आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करे। हमारे देश में अभी तक हुए शहरीकरण को संतुलित नहीं माना जा सकता है। भारत के गांवों से लोगों ने शहरों मे इसलिए पलायन नहीं किया कि वहां उनके लिए अच्छे और पर्याप्त आवास व सुविधाएं उपलब्ध हैं बल्कि इसलिए पलायन किया कि गांवों में बेरोजगारी है, सुविधाओं का अभाव है। भारत में शहरीकरण उस पलायन से पोषित हुआ है जो गरीबी-आधारित था। भारत की 30 फीसदी नगरीय आबादी कई देशों की कुल आबादी से अधिक है। यदि अगले 20 वर्षो में इसकी ओर बढ़ने वाली तादाद को व्यवस्थित ढंग से नहीं बसाया गया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे।

शहरों में बुनियादी सुविधाओं के चरमरा जाने के पीछे एक बड़ा कारण जनसंख्या के बढ़ते दबाव के अनुरूप उनमें बदलाव या वैकल्पिक उपायों पर विचार करने की जरूरत नहीं समझी गयी। देश के अनेक शहरों में बिजली, पानी, सीवर, कचरा निपटान, जल निकासी आदि के लिए जो व्यवस्था 50 साल पहले की

* Speech was laid on the Table.

गयी थी वही आज तक चल रही है। इसके चलते पुराने इलाकों में इनसे जुड़ी समस्याएं अक्सर चुनौती साबित होती हैं। सडकों पर जनसंख्या और वाहनों के दबाव का अंदाजा सही न होने के कारण जगह-जगह गड्ढे बन जाते हैं तथा यातायात सामान्य नहीं रह पाता। इसमें नगरपालिकाओं के अलावा शहरी प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी कम नहीं होती है।

शहरों का विस्तार और गांवों का सिकुड़ना इस सदी की सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने हैं। गांवों में रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण जनता शहरों की ओर आकर्षित हो रही है, दूसरी ओर शहरों का विस्तार हो रहा है और वे गांवों को लील रहे हैं। देश का कोई भी शहर हो, गांवों को अपने में समाहित करता जा रहा है। शहरों के विस्तार का सबसे बड़ा खतरा खेती योग्य भूमि की समाप्ति में है। खेत खत्म हो रहे हैं और वहां मकान, फैक्टरियां और मॉल बन रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित थी जो अब समाप्तप्राय हो रही है, देश का औद्योगिक विकास जरूरी है परंतु देश के परम्परागत आर्थिक ढांचे में अनुकूल परिवर्तन कर उसे बनाए रखना भी जरूरी है।

सरकार से मेरी मांग है कि शहरों में ही औद्योगिक विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय गांवों में भी मूलभूत सुविधाएं और औद्योगिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराकर दोनों का विकास करना चाहिए। अगर गांवों में रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो शहरों की ओर पलायन अपने आप रुक जाएगा। अतः सरकार को समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए सुनियोजित, टिकाऊ एवं स्वस्थ शहरीकरण के साथ-साथ गांवों के समग्र विकास की दिशा में प्रयास करने चाहिए।

*** डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल):** माननीय अध्यक्ष महोदया जी, वर्ष 2005-06 में यू0पी0ए0 सरकार के प्रथम कार्यकाल के दौरान भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना (मिशन) देश में योजनाबद्ध तरीके से शहरों का संपूर्ण विकास के लिए लागू की गई थी। जिसके अंतर्गत 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया था और इन सभी शहरों में 6 से 7 वर्षों के अंदर इनका संपूर्ण विकास एवं सभी मूलभूत सुविधायें प्रदान करके नागरिकों के प्रति शहरी निकायों की जिम्मेदारी को बढ़ाना था । जिसका सारा खर्च केंद्र सरकार का रहेगा । जिसमें शहरों के अंदर पुराने क्षेत्रों का पूर्ण निर्माण करना, गलियों को चौड़ा करना, छोटी-छोटी वाणिज्य ईकाईयों को शहरो से बाहर स्थापित करना जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यों को लागू करना, सीवर व्यवस्था, नाले एवं बाढ़ के पानी की निकासी एवं सुधार करना, सड़कें, बिजली, हाइवे, एक्सप्रेस वे एमआरटीएस एवं मेट्रो प्रोजेक्टस को सम्मिलित करना तथा शहरी परिवहन को बढ़ावा देना, इत्यादि इस योजना के तहत लक्ष्य रखे गए है ।

फरवरी 2010 में भी मैने तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्री जयपाल रेड्डी जी से सदन में एवं लिखित रूपसे आग्रह किया कि मेरे संसदीय क्षेत्र का जिला-पानीपत एनसीआर के अंतर्गत आता है और पानीपत को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत रखा जाये । पानीपत शहर एक ऐतिहासिक, धार्मिक वाणिज्यिक एवे पेट्रोकेमिकल हब के साथ एक बहुत बड़ा टैक्सटाईल हब बनता जा रहा है । जोकि विदेशों से आयात एवं निर्यात करता है । पानीपत भी औद्योगिक नगरी होने के नाते देश का व्यवसायिक केन्द्र है । इसको जल्द से जल्द जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शामिल किया जाये परंतु इसकी आबादी 10 लाख्ष से कम होने के कारण इसको जेएनएनयूआरएम की ओमनी बस स्कीम के अंतर्गत रखा गया है । यह योजना यूडीसमेट (अरबन इंफ्रैस्ट्रकटीव डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मौल एंड मिडीयम टाउन) के नाम से जानी जाती है । क्योंकि इन शहरों में राज्य सरकारों द्वारा नगर निगम बनाये गये हैं तथा ये शहर ज्यादातर ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन महत्व वाले शहर है । कई बार भारत सरकर को आग्रह करने के बाद पानीपत को इस योजना के तहत रखा गया परंतु शहर के प्रशासनिक अधिकारियों की कुशलता के अभाव में यह शहर इस स्कीम का भी फायदा ना उठा सका और किसी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गया है । हर संसद सत्र के दौरान मैने अपनी मांग को रखा है ।

---

* Speech was laid on the Table

वर्ष 2010-11 में भी मैने वर्तमान शहरी विकास मंत्री श्री कमलनाथ जी को भी पत्र लिखा है । मेरी संसदीय क्षेत्र के जिला पानीपत को इस योजना का पूरा लाभ मिले । क्योंकि जिला-पानीपत एवं करनाल एनसीआर क्षेत्र के अहम क्षेत्र हैं एनसीआर की सभी मूलभूत सुविधायें इन दोनों जिलों में दी जाये । पानीपत के अंदर पुराने क्षेत्रों का पूर्व-निर्माण, सड़कों एवं पक्की गलियों का अभाव, शहर में नाले एवं गंदे पानी की निकासी की समस्या, शहर के बीच पुरानी झील का पुनः निर्माण, सीवर व्यवस्था का ठीक से उपलब्ध् ना होना, पुरानी कालोनियों का दिल्ली की तर्ज पर ऑथोराईज्ड करना, स्लम एरिया को विकसित करना, मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, पार्किग (Parking) प्लाटस एवं जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यों को युद्ध स्तर पर लागू करना, सामुदायिक भवनों, शौचालयों एवे स्नानागार बनवाना, शहरी गरीबों के लिए सस्ती दरों पर शहरों में आवास-उपलब्ध करवाना, इनके लिए हेल्थ, एजुकेशन तथा सोशल एमिनिटिज का प्रबंध करना इत्यादि कार्यों का होना अभी बाकी है । इसलिए मेरी मंत्री महोदय जी एवं भारत सरकार से प्रार्थना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र करनाल के पानीपत एवे करनाल को इस स्कीम में शामिल किया जाये तथा राज्य सरकार के माध्यम से जिला अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से निर्देश दिये जाये कि ज्यादा से ज्यादा धन इन दोनों शहरों के विकास के लिए लगाया जाये तथा केन्द्र सरकार को प्रोजेक्टस बना कर भेजे । तथा पानीपत को दिल्ली मेट्रो कोरिडोर से जोड़ा जाये जिसमें नरेला-सोनीपत-गन्नौर-समालखा एवं पानीपत के लोगों को दिल्ली में आने जाने की और ज्यादा सुविधा मिलेगी।

केन्द्र सरकार के गंभीर न होने के कारण, प्रशासनिक कमियों के कारण तथा समयबद्ध तरीके से किसी भी प्रोजेक्टस को केन्द्र सरकार को न भेज कर पानीपत को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका ।

एनसीआर क्षेत्र की भांति, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों (दिल्ली) सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक, गुड़गाव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद एवं पानीपत तथा करनाल के क्षेत्रों में दिल्ली की भंति सभी वर्षों पुरानी अनऑथोराईज्ड कालोनिज को रिगुलराईज्ड/ऑथोराईज्ड करके सभी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाकर इनका विकास करके यहां पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित करके दिल्ली पर प्रतिदिन बढ़ते हुए दबाव को कम किया जा सकता है । केंद्र सरकार इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए धन उपलब्ध कराये तथा राज्य सरकारों को भी दिशा-निर्देश दे ताकि राज्य सरकारें भी एनसीआर क्षेत्र को विकसित करे और शहरों का संपूर्ण विकास हो सके ।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, शहरी विकास मंत्रालय के बजट के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं भाग लेना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुन्दर ढंग से यहां सुझाव दिये हैं कि शहरीकरण जैसे हो रहा है, उसमें गांवों से लोगों का पलायन हो रहा है, उन लोगों को विस्थापित किस ढंग से किया जाये, उस सम्बन्ध में अच्छा हुआ कि हम लोग गांवों में रहते हैं, वहां लोगों की शिकायत रहती है कि आप लोग शहर में खर्चा करते हो, ज्यादा शहरों का विकास करते हो और शहर वाले बोलते हैं कि विकास बड़े शहरों में हो रहा है। इस ढंग से जो असमानता है, उसके लिए ठोस ढंग की परिकल्पना होनी चाहिए।

मैं छोटे शहरों की बात बोलना चाहता हूं। जैसे म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं, उनके पास ढंग की परिसेवा नहीं मिल पाती है, इसलिए कुछ चीजों पर शुरू से नियम लगाया जाये, जैसे बरसात में उनके पानी की निकासी हो, वहां पानी जमा हो जाता है, उससे शहर डूब जाते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था में भी उनका सटीक बन्दोबस्त नहीं हो पाता है। उसके बाद जो अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जो बड़े जलाशय होते हैं, उसमें सब जगह ट्रेंड एक ही है कि वहीं लोग कचरा फेंक देते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं और उसका एन्क्रोचमेंट कराकर उनका नुकसान ही करते हैं। इससे परिवेश भी दूषित होता है तो इन सब चीजों पर नजर रखनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है गांवों में शहरों की तरह शमशान घाट की है। शमशान घाट में पहले हम लोग लकड़ियां जलाया करते थे, लेकिन आजकल लकड़ी नहीं मिलती है। इलैक्ट्रिक करंट का चूल्हा प्रत्येक शहर में मिनिस्ट्री को इस ढंग से केन्द्रीय सहायता से देनी चाहिए कि शहरी क्षेत्र में शमशान घाट का बन्दोबस्त हो सके। इससे गांव के लोगों का भी भला हो सकेगा। लकड़ी अभी हमारे क्षेत्र में मिलती नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में कुछ काम होगा।

चूंकि सभी ने अपने प्रान्त की बात कही है, कोलकाता मेरा शहर है, कोलकाता मेरा प्रान्त है, कोलकाता शहर के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। वह एक राजधानी है, राजधानी में प्रान्तीय सरकार अपनी कोशिश कर रही है। उस कोशिश में उसने ज्यादा पैसे की जो डिमांड की है, उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा। कोलकाता, हावड़ा के बारे में मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, राज्य मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि कोलकाता, हावड़ा का एक कंपोजिट प्लान बना करके उसके डेवलपमेंट के बारे में चेष्टा की जाए, जिससे कोलकाता और हावड़ा शहर का एक साथ विकास हो। उसी ढंग से हमारे यहां छोटे-मोटे शहर भी हैं, सिलीगुड़ी शहर है, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, तूफानगंज, बालुरघाट आदि शहर बिल्कुल सीमांत में हैं, कोई बांग्लादेश की सीमा में है, कोई भूटान की सीमा में है, कोई नेपाल की सीमा में है। इन शहरों को सुंदर करने के लिए पैसे का अभाव न हो, इसके

लिए राज्य सरकार सहायता दे, केंद्र सरकार भी इसमें सहायता करे और दोनों सरकारें मिलकर विकास के लिए काम करें। मैं यही अर्ज करके, आपको धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Sir, issues like infrastructure development in the cities, fund deficiency, fast-growing urbanization, migration of rural folk to cities, poverty alleviation of the urban poor, sewerage issues, solid waste management, transportation, parking lots and spaces, preservation of heritage, have been discussed in detail.

Coming to the JNNURM, I would like to say that we would like you to make further modifications in this. We have made tremendous progress in this. Fortunately we have got a Minister who is very dynamic and who is known as a man of action. We should not forget the fact that there is some structural defect in the scheme. Mainly is that we have not yet verified the durability of the assets created. We have to make efforts to ensure that asset creation should be coupled with sustainability. If that is not there, the very purpose of the scheme will be defeated.

I would like to humbly submit that Kozhikode may be included under the scheme. The formalities in approving the scheme are totally complicated. Every individual application has to be submitted to Delhi for approval. I would humbly ask as to why cannot we delegate power to the State Government to sanction the scheme within the framework of the allocation. If that is done, the complications can be reduced to a great extent.

As regards preservation of the heritage in the city, there is a component in the scheme but unfortunately that is not being taken care of properly. We have to take it up this in a very serious manner. We should not allow the symbols of our heritage which is deep-rooted in the history of our nation and tradition, and proudness of the past to be wiped out like this. So, preservation of the heritage may also kindly be considered.

Transportation is becoming a very serious problem, as correctly pointed out by learned friends. Metro rail system has been successfully implemented in our cities. It is world class. We can be proud of it. Similarly in our State, the

Government of Kerala is coming forward to set up this metro system in Kochi. I hope that the Union Government will give all financial support for that.

Similarly, monorail is proposed in Thiruvananthapuram and Kozhikode. I hope that the Government will give all kind of financial support for that also. With these words, I conclude.

*श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : वर्तमान में देश की कुल आबादी का करीब 28 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास कर रही है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर तेजी से बढ़ रही है और आने वाले कुछ वर्षो में देश की एक तिहाई से भी ज्यादा आबादी शहरी आबादी होगी।

शहरी विकास मंत्रालय के योजना एवं कार्यक्रम प्रारूप में यह चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देश की जीडीपी में करीब 55-60 फीसदी योगदान शहरी आबादी का ही है। इसके साथ शहरों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के जरिए धनराशि जुटाने के अग्रणी रूप में क्षमता है।

शहर आर्थिक वृद्धि के केन्द्र बिंदु हैं और आर्थिक वृद्धि के प्रभावी इंजन हैं, इस महत्वपूर्ण एजेंडा को रखते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने कई बड़ी योजनाओं को कार्यरूप में लिया। मंत्रालय ने कई बड़ी योजनाओं को अपने कार्यक्रम में शामिल किया और जेएनएनयूआरएम इसी दिशा में शुरू की गयी मंत्रालय की एक बड़ी योजना है।

शुरूआत में देश के करीब 62 शहरों को इस योजना में शामिल किया गया जिसमें सभी जिला मुख्यालय को भी शामिल करें। छितराये हुए शहरीकरण की दिशा में शहरी गलियारों सहित नगरों को सुनियोजित विकास किया जाना छोटे एवं मझोले शहरों का एकीकृत विकास, शहरों के विकास में शहरी परिवहन व्यवस्थ एक अति महत्वपूर्ण अंग है और इस परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना अति आवश्यक कार्य है। कुछ वर्षो पहले डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन) की स्थापना की गयी जो कि शहरी परिवहन व्यवस्था की कामयाबी की एक मिसाल है। मगर शहरी विकास मंत्रालय ने इससे भी कई कदम आगे बढ़ते हुए मेट्रो रेल योजना को दूसरे मेगा शहरों में लगा दिया। मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद, में लागू किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भविष्य की मांग और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष जयपुर शहर में मेट्रो लाइन का निर्माण शुरू किया गया जिसको वर्ष 2014-15 तक पूरा कर लिया जायेगा और वहां की शहरी परिवहन व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा।

---

* Speech was laid on the Table

जयपुर में मेट्रो लाइन के निर्माण कार्य के आरंभ होने के साथ देश के कई राज्यों की राजधानी एवं बड़े शहरों में भी मेट्रो लाइन के निर्माण संबंधित परियोजनाओं के आंकलन की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसके परिणाम आने वाले कुछ समय में नजर आने शुरू हो जायेंगे।

शहरी नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति हेतु परिवहन के पश्चात जल वितरण एवं जलाशय भंडारण दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है और मंत्रालय ने इस क्षेत्र में भी काफी उत्कृष्ट कार्य किए हैं। बड़े शहरों में बसाए जाने वाले नए आबादी क्षेत्र में पानी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गयी है। मेगा शहरों में पुराने खराब पड़े जलाशयों की मरम्मत और उनके भण्डारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी काफी राशि शहरों और उनकी नगरपालिकाओं को जारी की गयी।

जल वितरण के साथ सफाई कचरा व्यवस्था के निपटान हेतु मामलों में भी मंत्रालय ने काफी गंभीरता दिखलाई और इस संदर्भ में नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी बनाई गई।

भारतीय शहरों को विकास उन्मुख और उत्पादक बनाने के लिए विश्व स्तरीय शहरी प्रणाली प्राप्त करना आवश्यक है। देश के आर्थिक विकास केलिए उच्च शहरी उत्पदकता को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और इससे जुड़ी चुनौतियों को भी समझना और स्वीकार करना पड़ेगा। इन्हीं चुनौतियों से संबंधित कार्यो की भी अपेक्षाएं रखी जाएगी।

शहरी निर्माण संबंधी नियमों एवं नियमावली का सरलीकरण करना जरूरी है जिससे की समय एवं निवेश की बर्बादी को काफी हद तक रोका जा सके।

-निर्माण संबंधी परियोजनाओं के एप्रूवलस एक तयशुदा समय सीमा में दिए जाए।

-व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक समान नियम व नीति निर्धारण की पहल।

-एकीकृत नई टाउनशिप का विकास करना जिससे कि रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा सके।

-एकीकृत न्यू टाउनशिप के विकास के मुद्दे पर ग्रामीण क्षेत्रों में मंडी टाउन के निर्माण एवं उनके विकास को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाए क्योंकि ये मंडी टाउनस ही आर्थिक वृद्धि के केन्द्र साबित होंगे।

-एकीकृत टाउनशिप की योजना बनाते समय उनके रेल संपर्क को ध्यान में रखना अहम मुद्दा है।

-वर्तमान और नई शहरी आबादी के लिए जल वितरण एवं जल भंडारण की योजना अमल में लाई जाए।

-सुगम एवं सुचारू शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाए।

अंत में निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के तेंदूखेड़ा नगर में पानी की व्यवस्था हेतु नर्मदा नदी का पानी लाने प्रोजेक्ट स्वीकृत हो। साथ ही करेली एवं बरेली शहरों के विकास के लिए राशि प्रदान करने की कृपा करेंगे।

***श्री धनंजय सिंह (जौनपुर):** मैं माननीय शहरी विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उ0 प्र0 के सभी बी-सी ग्रेड के शहरों को जेएनएनयूआरएम के तहत शामिल किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश का विकास आबादी के अनुपात में सही तरीके से हो सके ।

मेरा मानना है कि आज इस देश में शहरी आवास नीति राष्ट्रीय स्तर पर नितांत आवश्यकता है , तभी हम शहरों के अव्यवस्थित निर्माण को रोक सकते हैं ।

हमारे सभी बड़े शहर किसी ना किसी महत्वपूर्ण नदी के किनारे बसे हैं, हम प्रायः यह देखते हैं कि इन शहरों से निकलने वाले गंदे नाले सीधे नदी में बह रहे है, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि शहरों में नदियों के दोनो किनारों पर नदी के समानांतर ड्रेन बनाकर इन गंदे नालों के पानी को नदी में गिरने से रोका जाय तथा ड्रेन के माध्यम से इसे शहर के बाहर लेजाकर इसका वाटर ट्रीटमेंट किया जाय । आज छोटे शहरों को बेहतर करने की सबसे प्रमुख आवश्यकता है कि हम इन शहरों मे बड़े शहरों की सभी सुविधा उपलब्ध कराया जाय ताकि जो मेट्रो शहरो पर लोड बढ़ रहा है उसे हम रोक सके ।

अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर शहरी विकास की कोई नीति बनायेंगे और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जायेंगे । मैं अनुदान मांग का समर्थन करता हूं ।

---

* Speech was laid on the Table

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on Demands for Grants for the Ministry of Urban Development for 2012-13.

मेरा जन्म गांव में हुआ। अभी भी मैं गांव में बसता हूं, लेकिन गांव का विकास करने के लिए हिंदुस्तान सरकार को जिस ढंग से पॉलिसी अपनाने की जरूरत थी, उसे वह नहीं अपनाती। हिंदुस्तान सरकार क्या चाहती है, वह सिर्फ बड़े-बड़े शहरों के डेवलपमेंट की चिंता करती है, जब चौरंगी विकास की बात करते हैं, तो आप लोग हमेशा सोचते हैं कि दिल्ली को किस ढंग से यहां से आसमान तक पहुंचा सकते हैं, मुंबई को यहां से आसमान तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसी की चिंता में आप लोग हमेशा टाइम बिताते हैं। सौ साल से मेरे बोडोलैंड क्षेत्र में सिर्फ पांच टाउनशिप हैं। इन टाउनशिप को डेवलप करने के लिए आज तक हिन्दुस्तान सरकार की तरफ से कुछ पैसा नहीं दिया गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि Kokrajhar happens to be the capital city of the Bodoland Territorial Area. It is so backward that there is no drainage system and there is no safe drinking water system for the people living in that small township. So, I would like to ask the Government of India, through you, Sir, to take appropriate steps to sanction at least an amount of Rs.500 crore for the development of small townships within the Bodoland Territorial Area. गोसाईगांव एक छोटा सा टाउनशीप है। कोकराझार एक छोटा सा टाउनशीप है। बासुगांव एक है। बिजनी एक छोटा-सा छोटा सा टाउनशीप हैं। उदालगुरी एक छोटा सा टाउनशीप है। इन छोटे शहरों का विकास करने के लिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। Why are you always thinking in terms of development of big cities only? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली इनके लिए आप हमेशा चिंता करते हैं लेकिन छोटे-छोटे शहरों के लिए आप लोग चिंता नहीं करते हैं। कमल साहब जी मैं आपसे विनम्र भाव से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारा जो कोकराझार, बासुगांव, बिजनी, उदलपुरी, बोरफेटा रोड और सर्वभाग हैं इन छोटे शहरों के विकास के लिए कम से कम पांच सौ करोड़ रूपया देना बहुत जरूरी है। I once again would like to appeal to the Government of India to provide at least Rs.500 crore to the Bodoland Territorial Area for the development of townships.

श्री महिन्दर सिंह केपी (जालंधर): माननीय सभापति जी, मैं आपका बड़ा अभारी हूं कि आपने मुझे डिमांड फार ग्रान्ट्स जो अर्बन डेवलपमेंट की है उस पर बोलने का मौका दिया है। सर, यह अर्बनाइजेशन जो इस देश में रैपिड्ली हो रही है, शायद दुनिया में कही ऐसी अर्बनाइजेशन नहीं है जो इस देश में हो रही है। हमारा देश गांव में रहने वालों का देश है। लोग गांवों में रहते हैं। देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। पिछले कई सालों से लोग शहरों में आ रहे हैं। देश का पाटिर्शन हुआ, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना उस समय जितनी भी ट्रांस-माइग्रेशन हुई, लोग शहरों में आ कर बसें और शहरों में सुविधाओं की कमी हो गई। शहरों में अवसर ज्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए शहरों में स्थापित हो गए। आज शहरों का क्या हाल है? मैं समझता हूं कि इतना समय नहीं है कि सभी बातें विस्तार से बताऊं। जैसा कि संजय निरूपम जी और दूसरे वक्ताओं ने विस्तार से बातें की हैं। डाक्टर रत्न सिंह जी ने बात की है। मैं पंजाब प्रान्त से आता हूं उस प्रान्त में आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनुअल मिशन जो चल रहा है उस मिशन की अवधि पूरी हो गई है। यह मिशन वर्ष 2005 से वर्ष 2007 तक चलना था लेकिन उस मिशन में अभी तक पंजाब में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। इसके वेरियस कारण होंगे। मंत्री जी इन्हें बताएंगे लेकिन मेरी आप से दरख्वास्त है कि पंजाब में मिशन का जो पैसा लगना था, मिशन खत्म जो गया लेकिन अभी पैसा वहां नहीं लगा। वहां अभी काम शुरू नहीं हुआ तो मिशन का पंजाब को क्या फायदा होगा? अभी आपने उसमें लिखा है कि जहां डिलै होगा वहां स्टेट गवर्न्मन्ट उसका पैसा खर्च करेगी लेकिन स्टेट गवर्न्मन्ट को जितने भी रिफार्म्स करने थे, म्यूनिसिपल रिफार्म्स करने थे, वे रिफार्म्स न करने की वजह से आज मैं समझता हूं कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनुअल मिशन का पैसा वहां खर्चा नहीं किया गया है।

मैं यूआईडीएमएस के बारे में बात करना चाहता हूं कि आपने जालंधर को पैसा दिया, आदमपुर को पैसा दिया। लेकिन आदमपुर एक ऐसी म्युनीसिपैलिटी है जिसमें भारत सरकार का एक पैसा भी अभी तक खर्च नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि यूआईडीएमएस में जितना पैसा आता है, वह पैसा म्युनीसिपैलिटीज़ में लगना चाहिए, काम होना चाहिए। लोगों को भारत सरकार से यह आशा है कि वह हमारा काम करेगी और हम पंजाब में सुविधाएं दे सकेंगे। मैं मंत्री जी से आपके मार्फत दरखास्त करता हूं कि पंजाब में रुका हुआ जो प्रोजैक्ट है, उसे चालू किया जाए और बाकी जितने भी रुके हुए काम हैं, उन्हें चालू किया जाए। पंजाब में जितनी रिवर्स हैं, जितना पौल्युशन हो रहा है, उसे ठीक करने के लिए भारत सरकार की तरफ से योगदान मिलना चाहिए ताकि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, समय की सीमा है और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूं।

सबसे पहले मैं एनसीआर के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र पूर्ण रूप से एनसीआर के अंतर्गत आता है। अभी मेरे मित्र श्री दीपेन्द्र हुड्डा ने एनसीआर की बहुत चर्चा की। वह 1985 में बना और उसके अंतर्गत पश्चिम उत्तर प्रदेश के तीन जिले - बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ, अब पांच जिले हो गए हैं - बागपत और गौतमबुद्ध नगर इसमें नए बनाए गए। लेकिन वहां समान रूप से किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। जिस ट्रांजिट सिस्टम की बात कही गई, वह नहीं हुआ। ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो वहां द्रुत गति से चलती हो। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वर्तमान मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भी रह चुके हैं। आज भी चाहे एनएच 58 से जाएं चाहे एनएच 24 से जाएं, वहां जाने में तीन-चार घंटे लग जाते हैं। एनसीआर होने के कारण वहां जो विकास अपेक्षित है, वह नहीं हुआ है। मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में सवाल पूछा तो मुझे बताया गया कि वह वर्ष 2014 के अंत तक समाप्त हो जाएगा। जब दोबारा प्रश्न पूछा तो बताया गया कि वर्ष 2015 के अंत तक समाप्त हो जाएगा यानी ऐसा नहीं लगता कि एनसीआर के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र का समग्र रूप से विकास करने की कोई योजना मंत्री जी या मंत्रालय के पास है।

जेएनएनयूआरएम के विषय में चर्चा हुई और बहुत समीक्षा भी हुई। मैं एक बात कह दूं कि एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जितने कस्बे हैं जैसे हापुड़, बुलंदशहर, उन्हें जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत लाया जाए ताकि वहां कुछ विकास हो सके। मैं अपने क्षेत्र की थोड़ी सी समीक्षा करना चाहता हूं। हमारे यहां जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत फ्रैंच की सब्सीडियरी कम्पनी को टैंडर दिए गए। उसने उसे फर्दर फरीदाबाद की कम्पनी को दे दिया जिसकी कोई एक्सपर्टीज उसके अंदर नहीं है। उसमें जो स्टेकहोल्डर्स हैं, उसमें जन-प्रतिनिधि बताए गए, स्टेट गवर्नमैंट बताई गई, अधिकारी बताए गए। आज तक किसी जन-प्रतिनिधि से जेएनएनयूआरएम के अधिकारियों ने बातचीत नहीं की। काफी भ्रष्टाचार है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो पाइप लगे हैं, वे किस प्रकार लगने चाहिए, उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। अभी कार्य पूरी नहीं हुआ है, पूरा होगा, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा।...(व्यवधान)

मैंने नगरीय क्षेत्र के अंदर देखा है कि विकास के काम होते हैं, सड़क बनती है लेकिन बाद में उसे तोड़ दिया जाता है कि कोई लाइन डलने वाली है। फिर उसकी मरम्मत होती है। उसके बाद फिर कोई चीज आ जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि फंड चाहे स्टेट का हो या सैंट्रल गवर्नमैंट का हो, आम आदमी की कमाई से पैसा आता है। इसके लिए कोई नोडल अधिकारी होना चाहिए जो इस बात की योजना बनाए

कि सड़क बने तो उसमें दुबारा गड्ढे न किए जाएं। किसी की जिम्मेदारी फिक्स हो ताकि भ्रष्टाचार से पैसे को बचाया जा सके और बर्बादी न हो सके।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, मुझे एक मौका मिला है और बहुत भारी गमन से मैं यहां बोलने के लिए खड़ा हूं। मुझे कई चीजों के बारे में बहुत दुख और तकलीफ भी है। जब श्री कमलनाथ मंत्री बनकर आये थे, तो मुझे लगा कि ये दिल्ली वालों के दिल को पहचानते हैं, दिल्ली को पहचानते हैं और यहां जो स्टाफ है, उस पर कंट्रोल करके चीजों को निकालेंगे। सबसे पहले हमारी अनअथोराइज्ड कालोनी में काम होने थे, जो सीधा आपकी सरकार से संबंधित थे, आपके डिपार्टमैंट से संबंधित थे, उसका आज बुरा हाल है। वहां 40-50 लाख की आबादी रहती है। मैं आपसे आशा करता हूं, क्योंकि मेरी पहले भी कई बार यह मांग रही है कि जेएनएनयूआरएम के अंदर आप जो पैसा देते हैं, उस पैसे से वहां काम होने चाहिए, क्योंकि लोग नारकीय जीवन बिता रहे हैं। उनको सर्टिफिकेट श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथ से दिये गये, तो मैं आशा करता था कि दिल्ली की सरकार और आपकी सरकार, दोनों मिलकर उन कालोनियों के लोगों के लिए काम करेंगे। मैं आज भी आशा करता हूं कि आप कोई स्पेशल सेल बनाकर, कमेटी बनाकर वहां के लोगों को साधन मुहैया करायेंगे ताकि वे अच्छा जीवन व्यतीत तक सके।

उसके बाद आपने दो-तीन बार एक स्पेशल बिल पास किया। अब आपने उसे तीन साल के लिए पास किया है। अभी भी वह तलवार लटकी हुई है। उसमें कोई समाधान नहीं हुआ है। मैं आपसे मांग और आशा करता हूं कि आप इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकालें। एक राहत मिली थी जब आपने कहा था कि जो हमारा मास्टर प्लान है, वह सही नहीं बना है, इसलिए हम उसमें तब्दीली करेंगे। करोल बाग का मसला उठा था, चांदनी चौक का मसला उठा था। आपने उसमें एक बहुत बढ़िया कदम उठाया और यह बयान दिया कि नहीं, यह गलत हुआ है और इसे ठीक करना पड़ेगा। हम मास्टर प्लान को ठीक करेंगे। आज वक्त है और मैं आशा करता हूं कि आप तीन साल बाद दोबारा नहीं कहेंगे कि हम एक साल के लिए इसे बढ़ायेंगे। जो राहत दी जानी है, चाहे जनरल ऐमनेस्टी के तौर पर आप सबको कहें, इंदिरा जी के टाइम में हुआ था कि कालोनियां पास कर दीं और उसके बाद उसमें काम कराये थे। आज वही वक्त है। वह गरीब आदमी खुली आंखों से आपकी तरफ देख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ गयी और आप उनकी मदद करेंगे।

इसके बाद आपके डीडीए में पेंडिंग चीजें हैं। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं कई बार आपके मंत्रालय को लिख चुका हूं। अंग्रेजों के टाइम दिल्ली के पांच गांव ऐसे थे, जिन्हें बेदखल कर दिया गया था, रिवेन्यू रिकार्ड से निकाल दिया गया, क्योंकि वहां स्वतंत्रता सेनानी रहते

थे। माफ करना, आज 65 साल बाद 20 बार कहने के बाद भी उन्हें वापिस रिवेन्यू रिकार्ड में चढ़ाने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। इन गांवों के नाम हैं - तहीरपुर, मोचीगांव, नागली रजापुर, दासघारा और टोडापुर। उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। रोज ऑक्शन कर देते हैं। वे लोग कहां जायेंगे? अगर आज हम 65 साल के बाद भी उन लोगों को पनाह नहीं दे सकते जिनके गांव बेदखल किये गये थे, वे आपसे कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे, उसमें करोड़ों रुपये का खर्चा नहीं होने वाला, एक प्रोटैक्शन और सिम्पथी के तौर पर मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे। इसमें आप कोई न कोई रिलीफ जल्दी देंगे। उसके बाद आपका जो अपार्टमैंट एक्ट है, इस बारे में दिल्ली वाले बहुत तंग हैं। वह अपार्टमैंट एक्ट एक फाइल से दूसरी फाइल में लटकता जा रहा है और आज तक वह अपार्टमैंट एक्ट न पार्लियामैंट में आया और न पास हुआ। उसका नतीजा यह हो रहा है कि जो मकान-मालिक है या जो सोसायटी बनाते हैं, वे एक-एक फ्लैट को चार-चार बार बेच रहे हैं। कोई एग्रीमैंट नहीं हो पा रहा है। पावर ऑफ अटार्नी पर चले आ रहे हैं। आपको करोड़ों रुपये की लीज का पैसा नहीं मिल रहा। आपको जो पैसा आने वाला है, उसका नुकसान हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप अपार्टमैंट एक्ट जल्दी से जल्दी लाकर पास करायेंगे ताकि दिल्ली वालों को उसकी राहत मिल सके।

मैं मैट्रो के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं आपकी कंसल्टेटिव कमेटी के कमरे में दाखिल हुआ, तो आपने एकदम कहा कि जे.पी. मैंने तेरी मैट्रो कर दी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब आप अपना जवाब देने के लिए खड़े हों, तो अपने वे लफ्ज़ वापिस ले लें। आप मंत्री भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं और मैं आपसे मांग भी कर सकता हूं। मुझे बड़ा दुख है। आप मैट्रो का तमाशा देखें। मैंने आपसे कहा कि यमुना विहार से मुकुन्दपुर जोड़ दो, जो मुश्किल से पांच किलोमीटर दूर है। इन्होंने उसे 65 किलोमीटर पूरी दिल्ली में घुमाकर जोड़ा। लेकिन पांच किलोमीटर का वह सफर नहीं जोड़ा आज तक। क्यों? क्योंकि वह जयप्रकाश अग्रवाल का एरिया है और मैं वहां से सांसद हूं। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। मैं आज के बाद अगल दो साल में कभी इसकी मांग भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं और आप फाइल पर लिखवा देना कि हम यह पांच किलोमीटर की मेट्रो कभी पूरी नहीं करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कौन लोग हैं, जो प्लानिंग करते हैं? लाखों आदमी यमुना के इस किनारे रहते हैं, 35 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय करके उन इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करने जाते हैं, और ऐसे ही चले जाएंगे दो साल। उसके बाद कोई और आ जाएगा, वह दे देगा मेट्रो। मुझे सख्त एतराज है इस बात का कि आज इतनी बार कहने के बाद, इतनी बार चिट्ठी लिखने के बाद हम उन लोगों को मदद नहीं कर सके। कौन लोग हैं जो डिपार्टमेंट में बैठकर पॉलिसी बनाते हैं? यहां मेट्रो ले जा रहे हैं, फरीदाबाद ले जा रहे हैं, गुड़गांव ले जा रहे हैं, लेकिन जो मेट्रो दिल्ली में, दिल्ली वालों के लिए बनी थी, उस मेट्रो को पूरा नहीं कर

पाए, इस बात का मुझे दुख है। मुझे दुख इस बात का भी है कि आप मंत्री हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आपको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। आप बुलाइए उन अफसरों को कि क्या मजाक बना रखा है, एक्शन लीजिए उनके खिलाफ। मैं कई बार कह चुका हूं कि जो बैकवर्ड एरिया है, मान लीजिए किसी स्टेट का कोई हिस्सा है, मेरी कांस्टीट्वेंसी है, उसे सरकारी तौर पर बैकवर्ड घोषित किया गया, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब चाहती है, जहां चाहती है, काम करती है और जहां नहीं चाहती है, काम नहीं करती है। मैं यह मांग करता हूं कि यह पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए कि पूरे देश में कोई बैकवर्ड एरिया किसी भी प्रांत में हो, वहां के लोग क्यों सफर करें, वहां के लोग क्यों परेशान हों, सड़कें क्यों नहीं बनें, वहां पानी की लाइन क्यों नहीं जाए, वहां सीवर की लाइन क्यों नहीं जाए, वहां बिजली क्यों न हो, ऐसे एरिया को सीधे आप सेंटर के अधीन लें जो आज भी नेगलेक्टेड हैं। आप वहां जाएं तो ऐसा लगता है कि 200 साल पुरानी दिल्ली में चहलकदमी करने आए हैं। आप जाकर देखिए उन सड़कों पर कितने बड़े-बड़े गढ्ढे हैं। आपकी गाड़ी के चारों पहिए उस सड़क पर खड़े नहीं रह सकते हैं। ऐसी हालत है वहां की। मैं आशा करता हूं कि आप उस ओर भी ध्यान देंगे।

इंदिरा जी ने सबसे पहले जे.जे. क्लस्टर के अंदर काम शुरू कराए थे। अभी भी उन कालोनियों में काम नहीं हो रहा है, आपकी स्कीम थी, आपकी स्कीम बनी, आपकी स्कीम में पैसा दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, बार-बार हमें मांग करनी पड़ती है। हम एक-एक कालोनी के लिए जूझते पड़े हैं, आपके पास आएं, यह क्या तरीका है? इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, स्कीम बनाए, स्कीम बनाकर उसके लिए पैसा दे और काम कराए। बार-बार आने की जरूरत क्यों पड़ती है?

आपकी बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है, उस पर इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए देना चाहिए - चाहे हॉस्पिटल बने, स्कूल बने। आज स्कूलों की बुरी हालत है, जगह नहीं है। हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं है। आज सरकारी जमीन करोडों-अरबों रुपये में आती है।...(व्यवधान) उसके लिए भी आप एनओसी दें, ताकि वे जमीनें इंस्टीट्यूशन्स के लिए दी जा सकें।

हमारे मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू के जो मकान हैं, वे अस्तबल से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मैं कई बार इसकी मांग कर चुका हैं। आपने लुटियन जोन के अंदर कई बिल्डिंग्स बना दीं। कभी रक्षा भवन बन गया, कुछ और बन गया, उसके किनारे बहुत सारी प्राइवेट बिल्डिंग्स बन गयीं, लेकिन अगर कोई काम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है, तो उस पर सारे सरकारी कायदे कानून लागू हो जाते हैं। मैं आपसे इस बात की मांग करता हूं, आप मीटिंग बुलाइए, साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू के जो मकान हैं, उसका जो रिडेवलपमेंट प्लान आपके पास पड़ा है, उसे पास कीजिए। दूसरे, फिरोज़शाह रोड पर जो बहुत बड़ी जमीन है, वहां 200-250 फ्लैट बनाने की हमारी हाउस कमेटी की स्कीम है ताकि

एक जगह पूरा कांप्लेक्स हो, जहां मेंबर्स आफ पार्लियामेंट रह सकें, लाइब्रेरी हो, अन्य चीजें हों और वहां से यहां के लिए सीधा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, जिससे लोग पार्लियामेंट आ सकें, वह भी स्कीम आपके यहां पड़ी है, पैसे की कमी की वजह से ये चीजें रुक जाती हैं। आपने कांस्टीट्यूशन क्लब को बहुत सारा पैसा दे दिया, उसे फाइव-स्टार कल्चर का बना दिया। मैं आशा करता हूं कि आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से संबंधित इन दोनों स्कीम्स को पास कराएंगे।

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): India is slowly urbanizing. Thirty per cent of India's population lives in urban areas. This is much lower than in China, Indonesia, South Korea, Mexico and Brazil. Some of this may be due to much lower per capita incomes in India. Our urban population will be close to 600 million by 2031 more than double that of 2001. Number of metropolitan cities with population of 1 million and above has increased from 35 in 2001 to 50 in 2011 and is expected to increase further to 87 by 2031.

For the development of any country, urbanization is must besides taking care of rural areas/rural population. For reaching any country, first one has to land to the city. Urban cities are having more scope for employment, entrepreneurial avenues, learning and monetary repatriation, etc. Students and youths are coming to urban cities for education and employment as there is lot of scope in urban cities for education and employment as there is a lot of scope in urban cities in various fields. As unrbanisation grows, demand for food increases. Besides investments in infrastructure, logistics, processing, packaging and organized retailing should be enhanced. Industrialisation is also taking place much in urban cities which generates more employment opportunities.

Rapid urbanization faces much challenges viz. public health, drinking water, sewerage, solid waste management, electricity, housing, public transport etc. The scarcity of affordable housing in urban cities drives the poor to slums and most of these settlements lack even basic water and sanitation facilities. On an average, 25% of the population in many Indian cities lives in slums; in Greater Mumbai, slum dwellers accounts for 54% of the total population. Our government's effort in promoting urban infrastructure and more allocation to urban cities solved these challenges to some extent. During the 12th Plan 93 millions are slum dwellers in urban areas.

To meet the problem of transportation in urban areas, Governments efforts in formulation of National Urban Transport Policy, financing buses for urban

* Speech was laid on the Table.

transport, Bus Rapid Transit System Project, traffic transit management centres for urban transport under JNNURM and sanction of metro rail projects for various cities.

Under JNNURM, our government has sanctioned huge amount of money to various States in the country for purchase of urban buses. Delhi has reached much progress in this regard. However, the allocation to other States is not alike that of Delhi. I urge upon the Union Government to allocate more funds to the States particularly for Tamil Nadu for purchase of buses to cities under JNNURM. Investment under JNNURM scheme in 120000 crores in the first phase which will be raised to Rs. 20000 crores in the recent phase.

Many of the State Transport Undertakings in the ocutnry are running into losses and they are facing problems even to pay salaries of employees and to purchase the rolling stock-leave buying of new buses. I urge upon the Hon'ble Minister to allocate more funds to loss making STUs and to improve their infrastructure.

To remove the congestion in urban areas and to provide easy transportation, metro rail systems has started. Delhi Metro Rail Corporation has proved much success. Seeing Delhi's model, many States have come forward to introduce metro train services in their cities and some of them are slowly progressing and plans are anvil in some States. Some States have planned to start mono-rail sercies. I urge upon the Hon'ble Minister to allocate adequate funds for metro and mono-rail projects to the States.

Satellite towns play a major role in the development of urban cities and ease the burden of many States. Satellite towns should be developed and more infrastructure facilties should be provided there which will motivate the people to settle there and easy connectivity must be provided there for their commuting.

Low cost housing facilties are to be made available in all the metropolitan cities. Affordable credit is to be provided to the poor, middle class people for purchasing houses. Cumbersome procedures are to be avoided in getting loans.

Banks are also to be instructed to extend all necessary facilties for easy access of loan facilities to the home buyers.

National Urban livelihood mission is formulated which will create job opportunities for the urban poor. It is just like the employment opportunity provided for rural poor thorugh Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

Water facility is very important for the urban dwellers.

In Tiruneveli constituency, a major scheme of Papanasam pipeline makes for the usage of corporation dwellers are pending for a long period of time. I request our Central Government to provide Rs. 1.50 crore for the major water scheme of Tiruneveli corporation area of Tamil Nadu.

*__श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़):__ भारत सरकार की "मनरेगा" जैसी महत्वपूर्ण योजना से शहरी क्षेत्र की आबादी को भी जोड़ा जाना चाहिए।

भारत सरकार से पूर्व में NSDP (राष्ट्रीय गंदी बस्ती उन्मूलन योजना) के माध्यम से गंदी एवं पिछड़ी बस्तियों के विकास हेतु नियमित बजट राज्यों को मिलता था। जिससे मूलभूत सुविधाओं का विकास होता था, सरकार द्वारा इसे बंद करके इसके स्थान पर ISHDP (एकीकृत मलिन बस्ती आवास योजना) प्रारम्भ की गई है। यह एक अच्छी योजना है लेकिन इसके स्वीकृत होने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। DPR तैयार होकर स्वीकृति प्रस्ताव आने में ही कई महीने लग जाते हैं।

मेरा अनुरोध है कि यह योजना अपनी जगह काम करती रहे लेकिन NSDP के तहत मूलभूत सुविधाओं के तत्काल विकास के लिए नियमित बजट सीधे संबंधित जिले के कलेक्टर को प्राप्त होते रहना चाहिए। जिससे गंदी एवं पिछड़ी बस्तियों का सतत् विकास होता रहे। सरकार की नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में नगर राजगढ़ एवं पचौर जोकि नेवज नदी, सारंगपुर कालीसिंध नदी व व्यावरा जो कि अजनार नदी के किनारे बसे हुए हैं। उन्हें भी इस योजना में विशेष पैकेज दिया जावे। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे नगर खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा एवं नरसिंहगढ़ तथा पचोर, सारंगपुर में पर्यावरण प्रदूषण की बहुत अधिक समस्या है। इसके निदान के लिए उक्त नगरों में पार्क निर्माण हेतु सरकार विशेष पैकेज जारी करे।

अंत में मैं मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में जल आवर्धन संबंधी योजना UIDSSMT के अंतर्गत जिले के राजगढ़, सुठालिया, सारंगपुर नगरीय निकायों के प्रस्ताव काफी समय से स्वीकृति हेतु लंबित हैं। कृपया इन्हें भी शीघ्र स्वीकृत किया जावे।

---

* Speech was laid on the Table.

***श्री मकनसिंह सोलंकी (खरगौन):** मेरा संसदीय क्षेत्र खरगोन - बडवानी (म.प्र.) जनजाति बहुल होकर यहां पर मध्यम श्रेणी के शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र में 3 नगरपालिकाए, नगरपालिका एवं नगर परिषदों के साथ गांवों का विकास होने से कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। यहां पर गंदे पानी की निकासी के साथ ही सीवर लाईन की व्यवस्था अत्यंत निम्न स्तर की होने से मच्छरों एवं अन्य जहरीले कीड़ों की बढ़ोतरी होने से लोगों का इन शहरों में रहना कठिन होता जा रहा है।

इन क्षेत्रों में बिजली की कमी बनी रहती है। गंभीर स्थिति उस समय निर्मित हो जाती है जब बिजली चली जाने पर मच्छर का हमला होता है जिससे मलेरिया एवं अन्य बीमारियों के रोगियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जाती है।

बडवानी एवं खरगौन जिले नर्मदा नदी के आसपास हैं। पेयजल की व्यवस्था के लिए इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धताग किंतु पाईप लाईन के अभाव में पेयजल संकट बना रहता है।

नगरों से निकलने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए कोई शुद्धिकरण प्लांट नहीं है। इससे गंदगी सीधे नर्मदा नदी में जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रथम चरण में बड़वानी, अंजड, मण्डलेश्वर, बड़वाह आदि में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता है।

सादर निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति जिलों में मध्यम श्रेणी के शहरों की नगरपालिका एवं नगर परिषद को विशेष केन्द्रीय अनुदान दिया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिनिवल मिशन के अंतर्गत शहरों में सिवरेज, सोलर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई की योजना पर विशेष धन आवंटन की आवश्यकता है। बडवानी एवं खरगोन की नगर पालिका एवं नगर परिषदों को इस योजना के अंतर्गत करीब 100 करोड़ रूपये के आवंटन की आवश्यकता है।

---

* Speech was laid on the Table.

बडवानी एवं खरगौन जिलों में लगभग 10 माह सूर्य का प्रकाश पर्याप्त रहता है। यदि इस क्षेत्र में सोलर प्रकाश से संबंधित योजनाएं नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र को प्रदाय की जाये तो स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था पर होने वाले व्यय में काफी बचत होगी।

मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनिवल मिशन के तहत अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध कराकर इन छोटे शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान की जा सकती है।

*__श्री रतन सिंह (भरतपुर):__ देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। देश की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 113 करोड़ हो गई है एवं शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अनुमान के अनुसार 38 करोड़ व्यक्ति शहरों में रह रहे हैं। जो जनसंख्या का 31 प्रतिशत है। दो तिहाई घरेलू उत्पादन शहरों में हो रहा है। देश का राजस्व 90 प्रतिशत शहरों से मिल रहा है।

हम माननीय यूपीए चेयरमैन साहब, माननीय राहुल गांधीजी, माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय शहरी विकास मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने बड़े एवं छोटे सभी प्रकार के शहरों के लिए JNNURM एवं UIDSSMT के तहत विकास कार्य स्वीकृत किए जाने हैं। इस वर्ष 1.76 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है जो जीडीपी का 0.25 प्रतिशत है। जिसके अंतर्गत शहरों की सफाई , जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन सड़क नेट वर्क, शहरी परिवहन एवं स्लम, कच्ची बस्तियोंके विकास कार्यो का प्रावधान है। निर्माण कार्य बहुत तेजी से पूरे किये जा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध निर्धारित समय में पूरे किए जावे, जिससे लागत मूल्य बढ़े नहींएवं जनता में समय पर लाभ मिल सके। विशेष मानीटरिंग की व्यवस्था लागू किया जावे।

दिल्ली पर आबादी का ज्यादा दबाव नहीं बने, इसके लिए एनसीआर सीमायें विचार कर बढ़ाई जानी चाहिए। भरतपुर, धौलपुर जिले को और दिल्ली के सभी आसपास के क्षेत्र को शीघ्र सम्मिलित किया जाना चाहिए।

JNN URM के अंतर्गत सभी सम्भागीय मुख्यालय एवं सभी जिलों को विकास कार्यो के लिए सम्मिलित किया जाना चाहिए।

---

* Speech was laid on the Table.

MPs के सभी आवास जीर्ण-शीर्ण हालत मेंहैं। नये नियमों के अनुरूप सुदृढ़ एवं मजबूत बनाये जायें।

UIDSSMT के अंतर्गत सभी उपखण्डीय मुख्यालयों को सम्मिलित किया जाना भी आवश्यक है जिससे आबादी का दबाव जिला एवं राजधानी क्षेत्रों पर नहीं बढ़े।

शहरों का समग्र विकास JNNURM एवं UIDSSMT के तहत किया जाना चाहिए। इसके तहत पानी, बिजली, आवास, सड़कों के निर्माण उनके बाईपास एवं गरीबों को आवास की व्यवस्था को प्रथम वरीयता दिया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि JNNURM एवं UISSMT के अंतर्गत जीडीपी का 1 प्रतिशत राशि आवंटित की जावे। जिससे वरीयता के आवश्यक कार्य समय रहते हुए पूरे किए जा सकें।

जहां नगर पालिकाओं के आय के पर्याप्त स्रोत नहीं उन्हें विशेष आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जानी चाहिए।

माननीय DDA एवं इस प्रकार की सभी संस्थाओं द्वारा दलित एवं गरीब वर्गो को आवास प्रथम वरीयता पर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

माननीय मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं कि जयपुर में मेट्रो रेल का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। भरतपुर संभागीय मुख्यालय दिल्ली के बहुत नजदीक है। मेट्रो रेल से शीघ्र जुड़े जाने का विनम्र निवेदन है।

मैं शहरी विकास के इस जन कल्याणकारी एवं विकासशील बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

18.00 hrs

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): सभापति जी, मैं ऐसे शहर का प्रतिनिधित्व करती हूं जो दुनिया के सबसे तेज गति के विकसित शहरों में आता है। जेएनएनयूआरएम के पांच एवार्ड सूरत शहर को मिल चुके हैं, लेकिन गुजरात में होने की वजह से वह शहर केन्द्र सरकार की उपेक्षा झेल रहा है। इन प्रस्तावों को देखें तो राज्य, विशेषकर गुजरात जैसे राज्य से न्याय नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार के कुछ निर्णय राज्यों के क्षेत्रों में भी केन्द्र की सत्ता चलाने जैसे हैं। दिस पर देश में विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। राज्यों के विकास को रोक कर केन्द्र की तिजोरी भरने की केन्द्र सरकार की आकांक्षा उजागर हो रही है। इस बजट में केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर देश में कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया जाए तो उसकी मंजूरी केन्द्र सरकार से लेना एवं प्रोजेक्ट का एक प्रतिशत केन्द्र सरकार को पर्यावरणीय मंजूरी लेते वक्त जमा कराने का प्रावधान है, जो राज्यों के साथ अन्याय करता है एवं शहरों के विकास की एवज में केन्द्र सरकार की तिजोरी भरने की व्यवस्था है।

सूरे जैसे शहर में मेट्रो रेल एवं केन्द्र सरकार की विविध योजनाओं में योग्य प्रकार से आर्थिक आबंटन होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि सूरत शहर में मेट्रो रेलवे व्यवस्था एवं सूरत शहर को अन्य राज्यों से जोड़ती हुई अभी जो रोड व्यवस्था है, उसमें सुधार किया जाए। हम चाहते हैं कि सब राज्यों का विकास हो। आपने गुजरात देखा है और आप वहां गए भी हैं। गुजरात में, खासकर सूरत में कनेक्टिविटी के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इतने बड़े शहर के लिए यह जरूरी है। मैं शहरी विकास मंत्री जी से अपेक्षा करती हूं कि वह सूरत शहर की तरफ ध्याने देकर उसे खूबसूरत और विकसित बनाने में जरूर मदद करेंगे, ऐसी मेरी उनसे विनती भी है।

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister.

Hon. Members, I may inform you that till the reply of the hon. Minister and till the Demands for the Ministry is passed, the House is extended till that time.

… (*Interruptions*)

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। यह तो कोई बात नहीं हुई।

MR. CHAIRMAN: You can lay your speech.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You please take your seat.

श्री महाबल मिश्रा: आप समय बढ़ा दें, हमें भी एक-दो मिनट में अपनी बात कहने का मौका दें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: तीन बार ऐसा हुआ है, सबको मौका देना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Already the time allotted for discussion is over. But if the hon. Members feel that the debate can still continue, then let them decide.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If the Members accept it, I have no objection. I have no objection in permitting the hon. Members to speak, but let them be brief. They are taking more than almost 5 to 10 minutes. If the Members co-operate, then I have no objection. There are many Members who want to speak and I have no objection to their speaking for two minutes each. Let them speak for two minutes if they so want.

श्री महाबल मिश्रा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र का दौरा किया था।

18.04 hrs

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए एक लाख मकान बनाने की बात कही थी। इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने देहात के लिए 240 करोड़ रुपए अलग से भी दिए, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। जैसा दीपेन्द्र हुड्डा जी ने कहा कि दिल्ली देहात जो कि नजफगढ़ का एरिया है, वह दिल्ली के देहात का दिल है, जिस तरह से कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल है, वैसे ही पूरे दिल्ली देहात और हरियाणा के लिए नजफगढ़ की मार्केट है। मंत्री जी ने वहां विजिट किया था। राज्य मंत्री श्री सोगतराय जी ने भी इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने द्वारका से नजफगढ़ तक मेट्रो की बात मानी थी। उस समय एनाउस हुआ था कि द्वारका से नजफगढ़ जो साढ़े पांच किलोमीटर मेट्रो लाइन है, उसके लिए 1072 करोड़ रुपये के फंड की स्वीकृति जल्दी से जल्दी की जाएगी। मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

दिल्ली में 1639 अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जहां के लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सन् 2008 में यूपीए की चेयर-पर्सन माननीय सोनिया जी के द्वारा एक प्रॉविजनल सर्टिफिकेट बांटा गया था लेकिन वे कॉलोनीज अभी तक रेगुलराइज्ड नहीं हुई हैं जिसके कारण एमसीडी चुनाव पर उसका असर पड़ा। मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां पानी, बिजली, सीवर का काम होना चाहिए। वहां पानी की लाइन नहीं है, बिजली के खम्भे नहीं हैं, रोड नहीं हैं, सीवर नहीं हैं। ऐसी 1639 कॉलोनीज हैं। वर्ष 2002 में कॉलोनी का एरियल-सर्वे हुआ था, लेकिन आज वर्ष 2012 है और इन 10 सालों में वहां बहुत सारे मकान बन गये हैं, इसलिए वर्ष 2012 के आधार पर उन कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात करें। दिल्ली में 40 लाख लोग बाहर से आते हैं जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा से तथा एनसीआर से आते हैं। आज इन कॉलोनीज में लोग बीमार हो रहे हैं, हैजा फैल रहा है, पानी नहीं है, सीवर नहीं हैं। इसलिए इस काम को करने के लिए आप अविलम्ब आदेश दें और इन कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात करें।

द्वारका सिटी आपने बहुत अच्छी बनाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसी द्वारका में आपने एक फ्रेट-कम्पलैक्स भी जोड़ा है, जहां 50 हजार ट्रक रोज आयेंगे। इस सब-सिटी का क्या औचित्य रहेगा? जब द्वारका आपने सब-सिटी बनाई, सुंदर सिटी बनाई लेकिन एक फ्रेट-कम्पलैक्स जिसमें 50 हजार ट्रक रोज

आयेंगे, इसका औचित्य मुझे समझ में नहीं आया है। एक तरफ आप अच्छी प्लानिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप फ्रेट-कम्पलैक्स बनाते हैं। उसे अविलम्ब रोकने की बात करें।

वर्ष 2002 के सर्वे के आधार पर जो कॉलोनीज रेगुलराइज करने की बात आई है लेकिन जब वर्ष 2008 में हमारा एक प्रॉविजनल सर्वे भी था और इस बीच में लाखों मकान वहां बने हैं तो उसका आधार वर्ष 2012 को लिया जाए और उसी आधार पर कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाए। उसमें सीवर, पानी मुहैया कराई जाए। दिल्ली केवल कनॉट-प्लेस और नई दिल्ली नहीं हैं, अब बहादुरगढ़, नजफगढ़, सोनीपत तक में रहने वाला भी दिल्ली का निवासी है। यहां तो एमपी और दूसरे साहबान लोग घूमते हैं जिनकी गाड़ी में पैंचर तक नहीं होता है लेकिन आप उस दिल्ली को भी देखें जहां पीने का पानी नहीं है, सीवर नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि इतनी बड़ी दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि चारों कोनों पर आप बरसाती तालाब बनाएं और उसे रिसाइकल करके लोगों को पानी दें। हरियाणा वाले यहां बैठे हैं, वे दिल्ली को पानी देते नहीं हैं। वर्ष 1993 में पानी का समझौता हुआ था। दिल्ली में लोग माइग्रेट होकर आते हैं, इसलिए हरियाणा और पंजाब की जनसंख्या घटी है लेकिन दिल्ली की जनसंख्या माइग्रेशन के कारण बढ़ी है, पर समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि नांगलोई, नजफगढ़ और उत्तम नगर के देहात के लिए आपने 240 करोड़ रुपये सैंक्शन किये हैं। जिस किसान की जमीन पर द्वारका बसी, वहां मेट्रो है लेकिन उस किसान के देहात के लिए मेट्रो नहीं है। इसलिए उनके लिए भी आप मेट्रो दें। आप नजफगढ़ से द्वारका के लिए, मुंडका से बहादुरगढ़ के लिए आज मेट्रो एनाउंस करें। पब्लिक आपको देख रही है कि आज माननीय कमलनाथ जी इस विषय में कुछ एनाउंस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा कुछ एनाउंस करेंगे।

***श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):** बढ़ती हुई जनसंख्या में इस मंत्रालय का काम काफी चुनौतीभरा है। आज तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण 80 % हमारे माइग्रेशन को जाता है । गांव आज बीमार है । तेजी से बढ़ता हुआ डीजल और खेती में बढ़ रही लागत बिजली की कमी इन सभी कारणों से आज खेती मुनाफे का धंधा नही है । इसलिए नौजवान तेजी से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, ताकि किसी तरह कमा-खा रहे हैं ।

बढ़ती हुई जनसंख्या को लाभ-सारी सुविधायें जो आजादी के 64 साल के बाद देना है यह बहुत ही कठिन चुनौती भरा काम है । आजादी के छः दशक के बाद भी शहरों में वे सुविधायें नजर नहीं आती है । मैट्रोपोलिटन सिटी की बात करे तो एमएनसी के आने के बाद बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गयी है। कई शहर कंक्रीट, जंगल में परिवर्तित हो गये हैं लेकिन उन बड़ी इमारतों के कोने में वे झुग्गियां भी मुंह चिढ़ाती हैं वे मजदूर जिसके मेहनत और काबिलीयत से ये आलीशान इमारते बनती है वे इन्हीं झुग्गी में रहते हैं । गांव की तरह शहर में भी इंदिरा आवास का प्रावधान हो क्याकि शहर में गरीब है ।

छोटे शहरों की हालत तो और भी खराब आज भी वहां राम राज्य बरकरार है । रामराज्य मकं बाघ-बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे । आज भी छोटे शहरों में जो तालाब हैं वहां आदमी नहाते हैं । गाय-भैंस पशु को पानी पिलाता है और उसी पानी से खाना भी बनाते हैं । यह आधुनिक राम राज्य है ।

हमें आज इन्हीं चुनौती का सामना करना है। सड़क, पेयजल, वेस्ट मैनेजमेंट कचरा का निस्तारण आज इन्हीं बातें पर ध्यान देना होगा सड़कों और वाहन को सुगमता से चलाने के लिए मोनोरेल जैसी योजना को प्राथमिकता देनी होगी जो कम लागत में भी बनती है । कचरे से उर्जा जैसी योजना बनानी होगी । इ-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज बड़ी समस्या है । आज वैश्विक क्रांति के कारण बाजार बढ़ा है । उपभोक्ता को लुभाया जा रहा है । उपभोग संस्कृति को बढ़ाया जा रहा है । हर दिन नया मोबाइल फोन, लैपटॉप, बिजली के अन्य उपकरण खरीदे जा रहे हैं। पुरानी चीजें कहाँ फेंके डिस्ट्राय करें इसका कोइ प्रावधान किसी कंपनी के पास नहीं है । इस पर काम करना बहुत जरूरी है ।

पेयजल आज काफी अहम् मुद्दा है। खासकर पटना राजधानी हुए इन सुविधाओं से महरूम है । बांका क्षेत्र जहां का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं वह सेटेलाइट के द्वारा परीक्षण करने का पता चला है वह एक डार्क जोन है । आज बांका क्षेत्र पानी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है । कतरनी चावल जैसा खुशबू देने वालो क्षेत्र के किसान पानी के अभाव में मजदूर बनने को लाचार हैं।

---

* Speech was laid on the Table

शर्म और ह्या औरत का गहना है, जैसी बातें हमारे समाज में की जाती है । आज उसी समाज के उसी भारत में औरतें खुले रूप में तालाब में नदी किनारे नहाती हैं, जहां लाज और गहना है उसी भारत में हमारे क्षेत्र में औरतें है सड़क के किनारे शौच के लिए मजबूर हैं।

आज की इस चुनौती भरे वातावरण में आपका काम काफी चुनौती भरा है, आपको लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। इसके साथ ही, मैं इसका पूरा समर्थन करती हूं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI KAMAL NATH): Mr. Chairman Sir, I want to thank the hon. Members for participating in the discussion on the Demands for Grants of this Ministry which is happening in this House after 27 years. I myself have been in this House for 32 years. I remember that last time, it was in 1985 that this House took up the Grants of this Ministry and this is demonstrated by the studies that the Members have done on the issues of urban development and the challenges of urban development in this country.

I will not go into the facts and figures because most Members in their speeches have already brought out the serious situation which is there in urban infrastructure. The growing urbanisation is compounded by the fact that we have a young population. Young population is more mobile than the older one. It is because of that the urbanisation challenge which will go up to 600 crore people living in the urban areas in the next decade or the next decade and half is a matter of very serious concern.

This was the first experiment in the JNNURM. This was the first project undertaken by any Central Government. There was no JNNURM. There was no support from the Centre to the States for specific projects, for specific municipalities, for specific nagar palikas, for specific nagar panchayats or nagar nigams. This was first launched in 2005. Now, we all understand that this is a State subject. But the whole idea of this Scheme was that we would encourage the States to undertake reforms, some reforms in the smaller municipalities, in the medium sized municipalities, in the nagar nigams, etc. It is because of this the Central Government provided a huge outlay.

There has been a mention that all the schemes are delayed. It is a fact and I must admit it that schemes get delayed. One of the reasons for this delay is lack of capacity. We all come from some nagar palikas or some nagar panchayats or some nagar nigams. We all know that. One hon. Member mentioned it.

आज जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत है, जब तक इनकी क्षमता में सुधार नहीं होगा, तब तक कैसे सही योजना बनेगी। यह कहा गया कि योजनाओं की स्वीकृति में बहुत समय लगता है।

यह बात सही है, लेकिन जो योजना बन कर आती है, अगर उसमें कोई कमी है खामी है, तो उसे देखना पड़ता है, इसीलिए योजना स्वीकृत होने में समय लगता है।

आज जेएनयूआरएम-2 पर विचार कर रहे हैं, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में की थी कि इसे बनाया जाएगा। इसमें सबसे मुख्य प्रावधान रखेंगे कि हर राज्य को एक स्टेट म्यूनिसिपल सर्विस बनाना आवश्यक होगा। आज देखने में आता है कि कोई नगर पालिका या नगर पंचायत में कोई अधिकारी है, तो वह हैल्थ विभाग से है, वैटेनेरी विभाग से है, पीडब्ल्युडी से है, बिजली विभाग से है, उसका उस विभाग में कोई अनुभव नहीं है। वह तो अपना समय पास कर रहा है और किसी नेता के पास जाकर, आप सभी जानते हैं और हमें स्वीकार करना होगा कि वे कहते हैं कि उनकी पोस्टिंग यहां करा दीजिए। वह शहर में रहना चाहता है, नगर पालिका और नगर पंचायत में रहना चाहता है। हमें डेप्यूटेशन का सिलसिला समाप्त करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि पूरे सदन से मुझे सहमति मिलेगी कि हर राज्य को हम निर्देशित करेंगे कि जेएनयूआरएम-2 के अंतर्गत कोई राशि चाहते हैं या योजना स्वीकृत कराना चाहते हैं, तो अपने राज्य में उन्हें आवश्यक रूप से स्टेट म्यूनिसिपल सर्विस का गठन करना पड़ेगा। एक कैडर बनाना पड़ेगा, तभी हम उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। जेएनयूआरएम-2 में हम जो राशि रखेंगे, जो ऐलोकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए करेंगे, वह उसी को करेंगे। अगर किसी दूसरे विभाग का होगा, तो वह सम्भव नहीं होगा। तभी हमारी शहरीकरण की जो बढ़ती हुई गति है, इसमें और ज्यादा सुधार आ पाएगा। हमारा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर है।

सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बातें सदन में रखी हैं और हम देख रहे हैं कि आज किस तरह का शहरीकरण हो रहा है। यह बड़े-बड़े शहरों की ही बात नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि नगर पंचायतों में शहरीकरण हो रहा है, आज नगर पालिकाओं में शहरीकरण हो रहा है और परसेंट की दृष्टि से नगर पालिका और नगर पंचायत में not in numbers but in percentage terms. In percentage terms it is greater than what it is in the bigger cities. लोग गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि जो गांव के प्रधान हैं, वे अब गांवों में नहीं रहते। वे अब कस्बों में रहते हैं। यह बात सही है और यह 10,000 वाले, 50,000 वाले, 1 लाख वाले और 2 लाख वाले इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। राज्य सरकार तनख्वाह बांटने के लिए है। उनको राशि पहुंचाती है। लेकिन योजनाओं का क्या होगा? इसीलिए जेएनएनयूआरएम-2 में हमारा यह प्रयास है। It will be our objective to give preference to the smaller towns and cities. We want to encourage the bigger towns because we are financially sound. जो बड़े शहर हैं, जो नगर

निगम हैं, जैसे बैंगलोर, दिल्ली और मुम्बई हैं, इन नगर निगम के पास फंड्स रेज करने की क्षमता है, म्युनिसिपल बौंड्स इश्यू करने की क्षमता है पर छोटी जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत हैं, इनके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। इसलिए ये जो छोटी छोटी नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं, Even one lakh, two lakh, three lakhs, we are going to give them preference in the JNNURM-II. हमें इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो हमारे छोटे शहर हैं और बड़े शहर हैं, they all have exceeded the carrying capacity.

जो इनकी आबादी थी, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले और जो इनमें नालियों का प्रावधान था, जो इनके लिए पेयजल का प्रावधान था, सीवेज का प्रावधान था क्योंकि छोटे वालों में तो कभी था ही नहीं अगर था तो इनकी जो क्षमता है, यह अब एक्सीड कर गई है और जो अगले पांच साल में होगा, What we will do in the next five years, we must remember that we will be catching up with the past, not building for the future. This is the challenge that we have to catch up with the past and it is towards this challenge, किसी ने कहा कि आप मिलते नहीं हैं, मैं पहला मंत्री था जिसने नगर पालिकाओं की मीटिंग की। मैंने छोटी-छोटी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं का एक अधिवेशन दो महीने पहले दिल्ली में बुलाया। सब राज्यों से आये। मैंने सब राज्यों के मंत्रियों को बुलाया। मैंने बड़े नगर निगम की अलग मीटिंग की और मैंने मीटिंग में कहा कि जो हमारी छोटी नगर पालिकाएं और नगर निगम हैं जो कभी दिल्ली तक नहीं आ सकतीं, उनकी मैं मीटिंग करूंगा। उनकी मीटिंग मैंने दिल्ली में दो महीने पहले की और सबकी बात सुनी। सबके सुझाव लिये क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारी जेएनएनयूआरएम-2 है, वह एक नये दृष्टिकोण से बने परंतु हमें यह बात याद रखनी है कि इसका क्रियान्वयन कौन करता है? इसका क्रियान्वयन मेरा मंत्रालय नहीं करता। इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है। आप जब करप्शन की बात करते हैं तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा?

आप कहते हैं कि योजना का सही क्रियान्वयन नहीं हुआ। वह क्रियान्वयन तो राज्य सरकार और नगर पालिका करती है। केन्द्र सरकार तो केवल योजना को एग्जामिन करती है। We study the DPR. लोग इसको कौन चैक करता है? There is a State level Committee.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सर, टीम भेजकर चैक कराइए।

श्री कमल नाथ : वह तो हम करेंगे। मैं उसी प्वाइंट पर आ रहा हूं। Basically, this is a State subject. यह राज्य के अधिकारों में आता है। हम इसमें कोई हस्तक्षेप करेंगे तो आप लोग ही परेशान होंगे। आप लोग परेशान होंगे तो मुझे परेशान करेंगे और हमारी सरकार को परेशान करेंगे। इसमें यह बात आपको

याद रखनी है कि जो आज हमारे शहरीकरण की चुनौती है, यह केवल केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है चाहे कोई भी राज्य सरकार हो। हो सकता है कि कुछ दबाव डालना पड़ेगा कि इसका क्रियान्वयन सही प्रकार से करे। केन्द्र सरकार केवल पैसा दे सकती है, मोनीटर कर सकती है। हां, केन्द्र सरकार पैसा बंद कर सकती है। तो क्या पैसा बंद कर देने से योजना सही हो जाएगी? पैसा बंद कर देने से तो लोगों को और परेशानी होंगी। ऐसा कई जगह हुआ और मेरे कई साथियों ने आकर कहा कि आप ऐसा मत करिए। नालियों के खुदे हुए पाइप पड़े हुए हैं, सड़कें खोदी हुई हैं और हमने पैसा बंद कर दिया। क्योंकि कहा कि अगर पाइप गलत प्रकार का है तो क्या बंद कर दें? आप कहिए कि बंद कर दो, हम कल ही बंद कर देंगे। जांच कर लेंगे और उसके बाद सही निकले तो क्या हम बंद कर दें? आप ही बताइए। बाद में आप ही मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि मत बंद होने दीजिए। क्या किया जाए? हमें याद रखना है कि यह प्राइम रिस्पांसिबिलिटी राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार तो केवल सहायता कर रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है। कोई कहता है कि हमें यह योजना नहीं मिली, हमारे राज्य को कम पैसा मिला है, यह बात भी सही हो सकती है। यह भी सही है कि किसी राज्य सरकार ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, सही बात कही, मैं सहमत हूं। मैंने खुद उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, संसद में रहे हमारे साथी अखिलेश यादव जी से बात की, मैंने कहा उत्तर प्रदेश की समस्या यह है कि कोई योजना नहीं आती। आप की स्टेट लैवल कमेटी है, आपको डीपीआर नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम से बनवानी है और आपको ही स्टेट लैवल कमेटी में एप्रूव करना है और दिल्ली भेजना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अभी तक तो बहनजी की सरकार थी।

श्री कमल नाथ : चाहे जिसकी भी सरकार हो, मैं तो आपको बता रहा हूं कि क्या परिस्थिति है, किन परिस्थितियों में इस योजना को गुजरना पड़ा है, जेएनएनयूआरएम को गुजरना पड़ा है। एक सरकार गई दूसरी सरकार आई, जिसने पहले स्वीकृत की दूसरी सरकार ने आकर कैंसल कर दी, उन्हें सूट नहीं की चाहे कोई भी कारण हो।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please address the Chair.

SHRI KAMAL NATH: Sir, they spoke with such a lot of enthusiasm that I must look at them. I am addressing the Chair but looking at them**....** (*Interruptions*)

सभापति महोदय: मैं आपका दर्शन करने के लिए तरस गया हूं।

SHRI KAMAL NATH: Sir, you are absolutely right. In this, the first thing we must recognize is that the State Governments have the prime responsibility.... (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार: आप हिंदी में बोल रहे थे तो ज्यादा अच्छा लग रहा था।

श्री कमल नाथ: मैं दोनों में बोल रहा हूं, थोड़ा इधर और थोड़ा उधर।

महोदय, हमें यह याद रखना होगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसमें सबको सहयोग देना होगा चाहे सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि हो। मैं जानता हूं कि मेरे जिले में क्या हो रहा है। मैंने खुद अहसास किया है कि कैसे योजना बनती है। ऐसी योजना बनती है कि म्युनिसिपल अफसर नहीं बनाता, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं बनाते बल्कि ठेकेदार बनाते हैं। यह स्थिति है क्योंकि कैपिसिटी नहीं है, उनके पास बनाने की क्षमता नहीं है। यही सबसे बड़ी कठिनाई है। जेएनएनयूआरएम-2 में हमारा पूरा प्रयास होगा कि कैपिसिटी बिल्डिंग को प्राथमिकता दें। छोटे और बड़े शहरों को प्राथमिकता दें। बड़े शहर जो 10 लाख की आबादी से ऊपर हैं, 70 हो जाएंगे। आज करीबन 55 हैं और नई जनगणना में अगले दस साल में 70 हो जाएंगे। यूरोप में 70 नहीं हैं और हमारे देश में हो जाएंगे। हमारा प्रयास है कि हम इनकी मदद करें, वाएबिलिटी की फंडिंग करें। पब्लिक फंड को यूटिलाइज करें, म्युनिसिपल बांड करें, लोन्स लें तभी उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। आज उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने आप में सुधार लाएं।

महोदय, यहां काफी सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। संजय निरुपम जी ने बहुत बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि शहर गांव की तुलना में खराब होते जा रहे हैं। जहां तक तालाबों और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं यह बहुत बड़ी समस्या है। तालाब के बारे में अभी जिक्र किया गया कि यह जेएनएनयूआरएम में है। हम इसे जेएनएनयूआरएम में जोड़े रखेंगे। मानिटरिंग कमेटी की बात कई संसद सदस्यों ने उठाई है, संजय निरुपम जी ने भी उठाई। मंत्रालय ने लगभग एक साल पहले इसे घोषित किया था। लेकिन कुछ राज्यों ने यह समिति नहीं बनाई। जब यह बात उठी है तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने नहीं बनाई, उन पर कुछ कार्रवाई अवश्य करनी होगी कि सांसदों की अध्यक्षता में जैसे रूरल डेवलपमेंट में है वैसी समिति बनाई थी। कई राज्य सरकारों ने इसे घोषित किया है और कई राज्य सरकारों ने घोषित नहीं किया है। इस पर मैं राज्य सरकार से कहूंगा।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: आप वहां पावर दीजिए, वहां पावर नहीं मिलती।

श्री कमल नाथ : सब माननीय सदस्य उस समिति के अध्यक्ष होंगे, वह पावर इन इटसैल्फ है, आप मानीटर कर सकेंगे, प्रश्न पूछ सकेंगे और यह हमने हर महीने टेक अप किया है।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, जो ग्रामीण विकास की जिस निगरानी समिति का आपने उदाहरण दिया है, वह सैन्ट्रल से बनकर गई है, States were bound to comply with it.

SHRI KAMAL NATH: We have followed the pattern. The Ministry of Parliamentary Affairs has laid out the rules and constituted it and that is exactly what the Ministry of Urban Development has done.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): The Committee has to be improved.

SHRI KAMAL NATH: Let it be formed, then I would hear your suggestion about its improvement. I will ensure these Committees are formed and those States which do not form the Committee, I am afraid, we will have to stop instalments of those States. I think, all Members from all sides agree with me.

Shri Sanjay Nirupam has mentioned about community participation fund. It is a very good idea. In the JNNURM, we will have consultations and make sure that this works. This was there but was not fully utilized, rather very little utilized. We would ensure that this happends.

Shri Lalji Tandon mentioned about rain water harvesting. It is already there in JNNURM. He mentioned a very important point. उन्होंने कहा कि जो हमारी नगर पंचायत और नगरपालिकाओं के अधिकार है और हमने इसी सदन में बैठकर संशोधन किया था। आज राज्य इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उन अधिकारों को छीना जा रहा है। यह बात सही है, लेकिन हम जेएनएनयूआरएम में एक शर्त लगायेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़ों के बारे में कहा,मैं उन्हें भेज दूंगा। परंतु मैं बड़े संक्षेप में उन्हें यह कहना चाहता हूं कि यह बात सच है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम योजनाएं आईं, क्योंकि जब आई नहीं तो स्वीकृत भी नहीं हुईं। अब अगर आने लग जायेंगी तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश एक महान प्रदेश है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसे हम उसकी आबादी और साइज के हिसाब से प्राथमिकता देंगे। ...(व्यवधान) इलाहाबाद में जो महाकुंभ आ रहा है, आपने उस महाकुंभ की बात की। वहां जल्दी ही महाकुंभ आने जा रहा है और इसमें ज्यादा समय नहीं बचा है। Through you, I would request the hon. Member to get projects made and send them because *Maha Kumbh* not just in Allahabad but it is a national event. यह एक राष्ट्रीय इवेंट है, इसलिए

हम इसे प्राथमिकता देंगे। राज्य सरकार के साथ मैं अलग से एक बैठक करने को तैयार हूं, जहां महाकुंभ के बारे में बात हो।

श्री विजय बहादुर सिंह जी ने कहा कि कस्बों से माइग्रेशन हो रहा है। पहले गांव से कस्बा और कस्बे से शहरों में लोग आते हैं। यह बात सही है और यही बात मैंने कही। यह जो आज पलायन हो रहा है, यह बड़ी जोरों से हो रहा है। खेती करते हैं गांवों में लेकिन पढ़ायेंगे शहरों में, यही हो रहा है। छोटे-छोटे कस्बों में लोग रहने लग गये हैं। यह बात सही है। उन्होंने कहा कि हम नेशनल अर्बन पालिसी बनायें। हमारी बहुत सारी नेशनल पालिसीज हैं। लेकिन हम कोई नेशनल अर्बन पालिसी क्या बनायें, क्योंकि हर राज्य सरकार को एक अर्बन पालिसी बनानी है। यह राज्य सरकार का विषय है, हम इस पर कोई कानून कैसे बनायें। आपने कहा कि एक नेशनल एक्ट बनाइये। यदि सब दलों की सहमति हो तो हम नेशनल एक्ट बनाने को तैयार हैं। मैं कहता हूं कि इसकी आवश्यकता है। परंतु इसमें अगर राजनीति से काम न किया जाए तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। छः करोड़ लोग हमारे शहरों में बसेंगे। अभी अजनाला जी ने कहा कि लैंड माफिया है। यह बात सही है। परंतु यदि हम कोई नेशनल कानून, नेशनल एक्ट बनायें तो इसमें जब तक सब दलों की सहमति न हो, यह संभव नहीं है। हालांकि इसकी आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह आवश्यकता को हम केवल इस सदन में ही अहसान न करें। हम यह आवश्यकता सभी राजधानियों में भी अहसास करें। अगर यह आवश्यकता सभी राजधानियों में अहसास होगी तो एक नैशनल अर्बन एक्ट बनेगा। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं, मैं सबका जवाब तो नहीं दे सकता पर कालीकेश सिंह जी ने बताया कि दिल्ली का मास्टर प्लॉन पास नहीं हुआ है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि दिल्ली का मास्टर प्लॉन पास हुआ है और यह इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर है। दिल्ली का मास्टर प्लॉन बहुत कॉम्प्लिकेटिड है। अब उसका रिवीज़न चल रहा है और मुझे विश्वास है कि इस रिविज़न में जो सुधार हो सकता है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वह सुधार जरूर हो। इसमें प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि यह क्यों डिले हो रहे हैं। इसका जवाब मैंने दे दिया है। जहां तक सीपीडब्ल्यूडी की बात हैं मैं इस पर आवश्यक जांच करूंगा। जहां तक मैट्रो की बात है आज हम दिल्ली एवं अन्य शहरों में मैट्रो देखते हैं। मैट्रो आज हमारे अर्बन ट्रांस्पोर्ट के लिए बेसिक नीड है। We are proud of Delhi Metro. There are metros now in Bengaluru, Chennai and Hyderabad. All these are being implemented. It is a huge cost. There is a cost sharing pattern. Today, the only agency in the country which can prepare a Project Report for metro system is the Delhi Metro. Nobody else has the capacity to even prepare a Project Report or a Feasibility Study. So, we are very happy with the metro system in Delhi. We have already completed 193 kms

and when the third phase is over, there will be 59 lakh riders in Delhi Metro. We are in the final stages of preparing the DPR for the fourth phase of Delhi Metro and when the fourth phase is completed, Delhi Metro will be having 440 kms. which will be larger than the London Metro. This will happen in Delhi.

Similarly, DPRs are being prepared for other cities.

मैंने घोषणा की है कि जो भी बीस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं, उनमें मैट्रो की डीपीआर बनानी चाहिए। भोपाल, इंदौर, नागपुर, नवी मुंबई आदि में इसकी शुरूआत हुई है। माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश की बात की थी मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए राज्य सरकार से सुझाव आने होते हैं। अगर माननीय सदस्य राजय सरकार के माध्यम से यह भेज दें तब इसमें मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई हो पाएगी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी ढील रही है। हमारे दिपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बात कही है कि दिल्ली मेट्रो में ज्यादा हिस्सा, bigger share is of Haryana. इसका पैटर्न जो बदरपुर से फरीदाबाद का है बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। for Delhi metro extension up to Gurgaon, there is a formula for the extension of Delhi Metro beyond the National Capital of Delhi. But he says that this formula means that they have to pay more. So we can have a look at it, but this formula is, perhaps, the fairest formula.

Shri Shailendra Kumar mentioned that there should be metros for Lucknow, Kanpur and Delhi Metro should be extended from Dilshad Garden to Ghaziabad. I will suggest that if he can get the State Government to propose this, we will be happy.

Sir, I want to inform the House about one of the major projects which we have taken up for Tirupati. In the Tirupati, we have taken up three projects involving a Central assistance of about Rs. 68 crore. It has been sanctioned for underground storm water drainage. We are giving priority to Tirupati.

Sir, as far as Hubli-Dharwad is concerned, the BRTS Project of Hubli-Dharwad has been included in the World Bank Funded Sustainable Urban Transport Project and also the capacity building of urban transport is a part of this. In UIDSMD, we have got two projects going, I will be happy to give the hon. Members the details of this.

Sir, as far as heritage projects are concerned, हमें अपना हेरीटेज प्रोटेक्ट करना है।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): What about Kochi Metro?

SHRI KAMAL NATH: I have said that Kochi Metro is in the final stage of approval. I will be taking it to the Cabinet as soon as it is ready.

Sir, as far as Surat is concerned, again, there is no proposal from the State Government. The BRTS has been sanctioned under JNNURM for 29.9 kms. at a sum of Rs.469 crore, सूरत में आपने बस की बात कही, सूरत ने बस की मांग ही नहीं की थी। ...(व्यवधान) पहले यह मांग नहीं की थी। इस प्रकार माननीय सदस्यों ने जो मेन बात उठायी है, बहुत सारी बातें मैट्रो से संबंधित हैं। जहां तक नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड की बात है, इसमें इंप्लीमेंटेशन के बारे में हुड्डा जी ने कहा कि फीजिबिलिटी स्टडी की जाए। दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार में आरआरपीएस की फीजिबिलिटी की स्टडी की जाए। मैं नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को निर्देशित कर दूंगा कि इसकी फीजिबिलिटी स्टडी फौरन टेक-अप करें।

महोदय, और भी जो मैट्रो के विषय हैं, महाबल मिश्रा जी ने बड़े जोश में द्वारका से नजफगढ़ की बात कही। ...(व्यवधान) यह स्वीकृत हो गयी है। इसको हम फॉर्मली कैबिनेट में एप्रूव कर देंगे। जहां तक मुंडका टू बहादुरगढ़ की बात है, यह भी स्वीकृत है, यह 11.5 किलोमीटर लंबी है। जो जे. पी. अग्रवाल जी कह रहे थे, मुकुंदपुर से यमुना विहार टू शिव विहार ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए। एक तो है 2.7 किलोमीटर, यह भी स्वीकृत है, जो उनकी दूसरी बात थी कि शिव विहार टू मुकुंदपुर, इसका सर्वे चल रहा है। मैट्रो ऐसे नहीं बन जाती है, मैट्रो एक सड़क की तरह नहीं बन सकती है, मैट्रो में तो पहले डीपीआर बनती है, क्या अंडरग्राउंड होगा, क्या ओवरहेड होगा? गुस्सा करने से तो डीपीआर नहीं बन जाएगी और न डीपीआर बनेगी और न मैट्रो बनेगी, डीपीआर की कार्रवाई शुरू हो गयी है और इसमें लगभग पांच-छः महीने लगेंगे। ...(व्यवधान) अंत में, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, खासकर कि आज जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है ...(व्यवधान) जहां तक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की बात है, जहां तक दिल्ली की सड़कों की बात है, यह बात फिर से याद रखनी है कि यह बहस नगर निगम के हाउस में नहीं हो रही है, यह बहस देश की संसद में हो रही है। आज नगर निगम सड़कें बनाती है, हमारा मंत्रालय कोई सड़क नहीं बनाता है। कहते हैं कि सब सड़कें टूटी हैं, सड़कें बनाइए, इसकी बहस तो नगर निगम के सदन में करें, यहां इसकी बहस कैसे होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): चेयरमैन साहब, मंत्री जी ने बोलने वालों को तो सब कुछ दे दिया, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : रावत साहब, पुरानी कहावत है कि दीपक तले अंधेरा।

श्री कमल नाथ : जहां तक अनऑथराइज्ड कॉलोनी की बात है, माननीय सदस्य खुद जानते हैं, इस बात से परीचित हैं कि इसमें दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी है। इसमें जो दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी, हम उसे नोटीफाई कर देंगे। इनको दिल्ली सरकार से इसकी नोटीफिकेशन करानी है, इसकी जो जांच है, इसका जो सर्वे है, यह किस दिन से होगा, यह सब सेंट्रल मामले हैं। माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा और दिल्ली सरकार से भी हम एक ज्वाइंट मीटिंग करके इनकी जो परेशानी है, इसकी गति बढ़ाने की बात है, उस पर हम विचार करेंगे।

महोदय, दूसरी बात अपार्टमेंट एक्ट की है। अपार्टमैंट एक्ट में बहुत से सुझाव आए थे। यह बहुत दिनों से पैन्डिंग हैं। It has been pending for a long time. We are now in the final stage of the Apartments Act. I will bring it to the House as soon as we finalise it. Undoubtedly it is a very important issue. … (*Interruptions*)

सभापति महोदय: महाबल मिश्रा जी, आप बैठ जाइए। खुश होकर चले मत जाइए।

SHRI KAMAL NATH: As far as the issue of land allotment to institutions is concerned, land has been allotted to several institutions in Delhi, to schools and to other educational institutions. We are working out a formula on what basis land should be allotted by DDA. This is a sensitive issue. It is not that you can allot land; when somebody will be allotted land, everybody will say that there is something wrong with it. So it is a sensitive issue. We must recognise that it is a very sensitive issue. So, allotting land to schools, Government schools, Kendriya Vidyalayas is one thing; allotting land to Government hospitals is another thing. When we try and move away from this, it becomes a very sensitive issue. So we are trying to work out a policy which is fair. We must make the optimum use of our land.

The last thing I would like to mention is this. In India, we have very very inefficient use of land. The Approach Paper to the Twelfth Plan talks about using

land efficiently. We are a large country but we are not large if from the country's size you take away the mountains, you take away the forests, you take away the rivers, you take away the deserts, and you take away the water bodies. Then, our density is very high. The only answer is that we use our land efficiently. What is the most efficient use of land? That is not necessary for the Central Government; it is for the State Governments to look at. We will have to look at it; we are large States. I myself come from a large State. But even large States will have to look at. Today you want 400 acres or 500 acres of land for a Railway coach factory. Where do you find it? You cannot expand it. So we have to be using land efficiently. Those days are gone when land was used very inefficiently. Land has to be used efficiently whether they are Central Government agencies or whether they are State Government agencies. Only when land is used efficiently and only when State Governments look at efficient use of land, we will be able to get the best use of our schemes.

One of the big reasons of delay, which I did not say, in projects of JNNURM has been that State Government does not transfer the land. आज नगर पंचायत या नगरपालिका की योजना स्वीकृत हो गई लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार उनको ज़मीन ट्रांसफर नहीं करती। राज्य सरकार को अपनी ही नगरपालिका को और अपनी ही नगर पंचायत को ज़मीन ट्रांसफर करने में सालों लग जाते हैं। इसमें समय लग जाता है। दो साल लग जाते हैं। हमें एक शर्त लगानी पड़ेगी कि जब तक नगरपालिका, नगर पंचायत या नगर निगम के पोज़ैशन में ज़मीन न हो, हम योजना स्वीकृत नहीं करेंगे। इसमें सालों लग जाते हैं। इस तरह बहुत सारे कारण हैं जो हमारे पहले जेएनयूआरएम में विचार करने के लिए हमारे सामने आए हैं और इनको हम कर रहे हैं।

Another very important point is this. What do we do with the new municipalities? एक माननीय सदस्य ने कहा कि नयी नगर पंचायतें बनी हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): नगर पंचायतें क्या होती हैं? हमारे यहाँ नगर पंचायतें नहीं हैं। ...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : छोटी म्यूनिसिपैलिटी होती हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: इसका क्राइटीरिया क्या है?

श्री कमल नाथ : दस हज़ार, पंद्रह हज़ार या बीस हज़ार की आबादी हो सकता है। जो नगरपालिका नहीं हैं और ग्राम पंचायत नहीं हैं, जो इन दोनों के बीच में है। ...(व्यवधान) इसको टाउन एरिया भी कहते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: हमारे यहाँ यूपी में टाउन एरिया कहते हैं।

श्री कमल नाथ : कहीं कस्बा कहते हैं, कहीं नगर पंचायत कहते हैं। हम अपने यहाँ नगर पंचायत कहते हैं। इसका चाहे कुछ भी नाम हो, बात यह है कि इन सबमें राज्य सरकारों को सोचना पड़ेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार: खेल गांव के फ्लैट्स के बारे में बताइए।

श्री कमल नाथ : जहां तक खेल गांव के फ्लैट्स का प्रश्न है, इसमें हम 100 फ्लैट्स का ऑक्शन कर रहे हैं। इसमें जो बाजार भाव है, उसके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ...(व्यवधान) आज के दिन अगर किसी सांसद को किसी भी भाव में दे दिया तो पूरा प्रेस और पूरी मीडिया चिल्लाने लग जाएगी कि सांसदों ने मिलकर अपने आप को ही फ्लैट्स एलॉट कर दिया। आज जो हालात है, उस हालात का न आप विक्टिम बनना चाहते हैं और न ही मैं बनना चाहता हूं। इसलिए खेल गांव के फ्लैट्स के बारे में हम न ही सोचें, वही अच्छा रहेगा। जहां तक माननीय सांसदों के फ्लैट्स की बात है, 52 flats on B.D. Road for Lok Sabha and 14 flats on Talkatora Road for Rajya Sabha are under construction. अब फिरोजशाह रोड में करीब 460-462 फ्लैट्स और 400 फ्लैट्स नॉर्थ एवं साउथ एवेन्यू में प्लानिंग स्टेज में हैं। इसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम इन फ्लैटों को रि-बिल्ड करेंगे तो ये एम.पी. कहां जाएंगे? 460 फ्लैट्स फिरोजशाह रोड में और 400 फ्लैट्स नॉर्थ एवं साउथ एवेन्यू में बनाने की योजना बन रही है और कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी। तब मैं माननीय सदस्यों और स्पीकर से चर्चा करूंगा कि इसमें क्या उपाय निकल सकते हैं? करीब 900 फ्लैट्स का अपग्रेडेशन टेक-अप किया गया है। मैं जानता हूं कि इसमें सांसदों की शिकायतें हैं। कई शिकायतें मेरे पास आती रहती हैं।

अन्त में, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। I want to thank all the hon. Members. जहां तक कैन्टोनमेंट का प्रश्न है, हमारे बहुत सारे कैन्ट एरियाज हैं जो सभी चीजों से वंचित हैं। मैंने इस बारे में सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि इनको भी हम जे.एन.एन.यू.आर.एम. में जोड़ने को तैयार हैं। जे.एन.एन.यू.आर.एम. की जो भी सुविधाएं और राशि हैं, इनको उपलब्ध कराएंगे। इसकी स्वीकृति के लिए मैंने उनको लिखा है। In the end, I want to thank all the hon. Members.

श्री शैलेन्द्र कुमार: इसके लिए तो आपको डिफेंस मंत्रालय से स्वीकृति लेनी पड़ेगी।

श्री कमल नाथ : इसके लिए उन्होंने लिखा है। In conclusion, I want to thank all the hon. Members for their participation.

श्री महिन्दर सिंह केपी (जालंधर): जे.एन.एन.यू.आर.एम. में काम ही शुरू नहीं हुआ है।

श्री कमल नाथ : जो आपने कहा था, वह मैंने नोट कर लिया है। Sir, I can only assure the hon. Members that as people's representative, as we all are, it is always my effort that whenever hon. Members approach me, I try and accommodate their requests. But they approached me without any proposal from the State Government. राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं है, राज्य सरकार का प्रस्ताव नहीं है, राज्य सरकार की एप्रूवल नहीं है, डीपीआर नहीं है और मुझे कहते हैं कि यह हमारी योजना है, इसे स्वीकृत करा दीजिए।

श्री जगदीश शर्मा: कुछ अपने स्तर से भी स्वीकृत कर दीजिए।

श्री कमल नाथ : जहां तक जहानाबाद का प्रश्न है, जब माननीय सदस्य की सड़क की बात थी, वहां किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी तो मैंने कर दिया था। पर, जहां राज्य सरकार की बात है, यह स्कीम बनी हुई है, इसमें राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पास प्रोपोजल भेजती है। माननीय वित्त मंत्री भी यहां मौजूद हैं। I have requested him for a large allocation to JNNURM-II. I am sure that all of you will approve the Demands for Grants based on the assumption that the fund allocation for JNNURM-II will be very substantial.

I have also requested the hon. Finance Minister that let there be a gap between JNNURM-I and JNNURM-II.

So, we should have some interim arrangement which will be subsumed by JNNURM-II. This is under consideration of the Finance Ministry, and I am sure that we will get their support.

In conclusion, I would like to thank all the hon. Members who have participated in this discussion.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, one cut motion by Shri Raju Shetti and six cut motions by Shri Rajendra Agrawal have been moved to the Demands for Grants relating to the Ministry of Urban Development. Shall I put all the cut motions to the vote of the House together or the hon. Members want any particular cut motion to be put separately?

SEVERAL HON. MEMBERS: Please put all the cut motions to the vote of the House together.

The cut motions were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Urban Development to the vote of the House.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 101 to 103 relating to the Ministry of Urban Development."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, the House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 2nd May, 2012 at 11 a.m.

18.52 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 2, 2012/Vaisakha 12, 1934 (Saka).